कार्यसूची

दिनांक - 26.02.2026

2026

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

गुरूवार दिनांक 07 माघ, 1947 (श०)
26 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-23 (तेईस)

(1)	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	...	...	06
(2)	जल संसाधन विभाग	...	...	01
(3)	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	...	...	00
(4)	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	...	...	05
(5)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	...	...	04
(6)	ऊर्जा विभाग	...	...	07
		कुल योग-		23

दोषियों को चिन्हित करना ।

409. श्री सरयू राय-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में सिकिदिरी जल विद्युत परियोजना की मरम्मत भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड (भेल) द्वारा कराने में हुए घोटाले की जाँचकर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर ने परियोजना की दोनों इकाईयों की मरम्मति हेतु रु० 4.88 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया था, जिसके विरूद्ध 2 मार्च, 2012 को मुख्य अभियंता (उत्पादन) ने रु० 20.87 करोड़ व्यय पर कार्यादेश दिया । तत्पश्चात् अधिकारियों की लापरवाही के कारण न्यायालय ने भेल को ब्याज सहित रु० 130 करोड़ भुगतान करने का आदेश सरकार को दिया है;

(3) क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विकास निगम ने मामले में जाँचोपरान्त कतिपय अधिकारियों को दोषी पाया, परन्तु दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई का विवरण अप्राप्त है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राक्कलन से अधिक व्यय के दोषियों को चिन्हित करने और उनके विरूद्ध कृत कार्रवाई का विवरण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) इस कार्यादेश से संबंधित Regular CBI Case no.- CBI/07/2016 दर्ज है । मामला Special Judge, CBI Court, Ranchi में विचाराधीन है ।

(2) इस कार्यादेश में BHEL द्वारा किये गये कार्य के बकाया राशि भुगतान हेतु Hon'ble Commercial Court, Ranchi में Money Suit No. 16/2015 दिनांक 26 मार्च, 2015 को दाखिल की गई है । माननीय न्यायालय द्वारा इस वाद में JUUNL के विरूद्ध दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 को आदेश पारित की गई है । इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपीलवाद संख्या 01/2025 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP वाद संख्या 9580/2025 खारिज हो चुका है । तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में JUUNL द्वारा Review Petition दाखिल किया गया है । जिसकी डायरी संख्या 35899/2025 दिनांक 6 जुलाई, 2025 है ।

इसी क्रम में BHEL द्वारा Hon'ble Commercial Court, Ranchi के आदेश के नुपालन हेतु Execution Case No.05/2024 दाखिल करते हुए Property attachment हेतु अनुरोध किया गया है । मामले में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 17 मार्च, 2026 को निर्धारित है ।

(3) वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन JSEB के कुल 05 पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाही चलाई गई है । विभागीय कार्यवाही के पश्चात की गई कार्रवाई निम्नवत है:-

(1) श्री डी०एन० राम, तदेन मुख्य अभियंता (उत्पादन)- इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई में इनका दिनांक 20 जून, 2026 को आकस्मिक मृत्यु होने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त कर दिया गया ।

(2) श्री बी०के० चौधरी, तदेन् परियोजना प्रबंधक, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना सिकिदिरी सम्प्रति सेवानिवृत्त- इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में 40 प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध इन्होंने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP (S) No-871/2021 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 को आदेश पारित किया गया है । उक्त के अनुपालन में इनके द्वारा निगम में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है । कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(3) श्री गोपी नाथ सिंह मुण्डा, तदेन् अभियंता प्रमुख (जी०टी०ओ०) संप्रति सेवानिवृत्त-इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दो वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अस्थाई पेंशन कटौती का दण्ड हेतु द्वितीय कारणपृच्छा की गई थी । जिसका जवाब इनके द्वारा समर्पित किया गया है, जिसमें इन्होंने अपना पक्ष रखते हुए CBI के जाँच प्रतिवेदन में इनका नाम प्रतिवेदित नही रहने के फलस्वरूप आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है । निर्णय लंबित है ।

(4) श्री प्रवीण कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता (उत्पादन) संप्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता-इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समीक्षोपरान्त संकल्प संख्या-281 दिनांक 25 जुलाई, 2019 द्वारा इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया ।

(5) श्री प्रमोद कुमार, तदेन वित्त नियंत्रक-II- इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का आदेश निर्गत किया गया था । जिसके विरूद्ध इनके द्वारा अपील दायर की गई थी, जिसे समीक्षोपरान्त इन्हें आरोप मुक्त किया जा चुका है ।

(4) न्यायिक प्रक्रिया में की गई लापरवाही के लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई हेतु प्रक्रिया की जा रही है ।

कार्रवाई करना ।

B-81. श्री राजेश कच्छप-क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में TSP अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित राज्यों को दिया जाने वाला विशेष धन राशि है;

(2) क्या यह बात सही है कि सन् 1974 ई० में शुरू हुई योजना राज्य के जनजाति आबादी के अनुपात में केन्द्र से मिलती है, झारखण्ड में ST आबादी 26 प्रतिशत होने से बजट का समानुपाती हिस्सा TSP के लिए अनिवार्य है इस प्रकार राज्य बजट में TSP हिस्सा कुल बजट का 26 प्रतिशत होना चाहिए, जिसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है;

नोटः- B-अ०सू०-32- अ०ज०जा०, अ०जा०, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, के ज्ञापांक-633 दिनांक 19 फरवरी, 2026 के द्वारा वित्त विभाग, में स्थानांतरित ।

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित TSP मद में केन्द्र से प्राप्त हुई TSP की राशि का सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं है तथा पूर्ण आंकड़े के अभाव में अबतक केन्द्र से हजारों करोड़ रुपये प्राप्त हुए है, जिसका विचलन कर स्टेट प्लान, पेयजल, शहरी विकास, सड़क निर्माण, विधायक मद् में विचलन कर बड़ी राशि गैर योजना मदों में चली गई जो TSP गाईडलाईन्स का उल्लंघन है;

(4) क्या यह बात सही है कि खण्ड-3 में वर्णित विचलन को रोकने के लिए वर्ष 2020 में झारखण्ड सरकार ने TSP नियमावली बनाई जिसमें ग्राम सभा से योजना चयन और सोशल ऑडिट अनिवार्य किया गया तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद् भी बनी, फिर भी TSP राशि का विचलन चिंताजनक है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

छात्रवृत्ति का भुगतान ।

82. श्री जयराम कुमार महतो-क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ई-कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान विगत दो वर्षों से पिछड़े वर्ग के छात्रों को नहीं किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि ये गरीब छात्र शिक्षा हेतु इस छात्रवृत्ति पर निर्भर है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बीज क्रय करना ।

83. श्री अमित कुमार यादव-क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा चतरा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग आदि 10 जिलों में 10 बीज ग्राम केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2004-05 में की गई, जिसका पुनः MOU झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम द्वारा माह दिसम्बर 2024 में 5 वर्ष के लिए किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित 10 बीज ग्राम केन्द्रों से MOU संपन्न होने के बाद भी तैयार किये गये बीज सरकार क्रय नहीं कर रही है, जिससे बीज ग्राम केन्द्रों के संचालक द्वारा तैयार बीज सड़ रहे है और किसान निराश हो रहे है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में MOU किये गये बीज ग्राम केन्द्रों के बीज का क्रय अविलंब करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

संसाधन उपलब्ध कराना ।

84. श्री राजेश कच्छप-क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास स्व-शासन-प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु संविधान की 5th Schedule के Para-5 के उप पारा 2 के तहत Tribes Advisory Council को Mini Assembly का दर्जा प्राप्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित Council का न तो आधारभूत संरचना को मूर्त रूप दिया गया और न ही संसाधन उपलब्ध कराये गये है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की गंभीरता के मद्देनजर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ।

85. श्री सरयू राय-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड स्टेट इलेक्ट्रीसिटी एमप्लाईज मास्टर ट्रस्ट का रु० 69 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम ने और रु० 40 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम ने बैंक ऑफ इंडिया और इण्डियन बैंक का अपना एफडी तोड़कर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया और केनरा बैंक में जेटीडीसी और जेएसईबी के नामपर खोले गए फर्जी बैंक खाते में एफडी कर दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों बैंकों में एफडी किये रुपये को फर्जी तरीके से 500 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से निकाल लिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि मास्टर ट्रस्ट निधि का एफडी करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऑफर दिया था, जिसमें सेन्ट्रल बैंक और केनरा बैंक शामिल नहीं थे, फिर भी दोनों निगमों ने बिचौलिए के माध्यम से पैसा वहीं जमा किए;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि इस घोटाला के कितने रुपये बसूल हुए और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

मंईयाँ सम्मान का लाभ ।

86. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी-क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयाँ सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाली महिलाओं के करीब 3 लाख आवेदन लंबित है;

(2) क्या यह बात सही है कि 50 वर्ष की उम्र पूरा कर चुकी करीब 2 लाख लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित है;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थानीय स्तर पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुकी महिलाओं का नाम नही जोड़े जाने के कारणों में पदाधिकारियों द्वारा पोर्टल खराब होने की बात कही जाती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 18 वर्ष उम्र पूरा करने वाली पात्र महिलाएँ जिनका आवेदन लंबित है, उन्हें भी मंईयाँ सम्मान योजना का लाभ, एरियर समेत देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

आयोग का गठन ।

87. श्री कुमार उज्जवल-क्या मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शी आयोग (SC Advisiory Commission) का गठन लंबे समय से नही किया गया है, जिसके कारण अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण, आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी संस्थागत व्यवस्था का अभाव बना हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि आयोग के गठन में हो रही देरी के कारण अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित शिकायतों, नीतिगत सुझावों एवं योजनाओं की निगरानी का कोई स्वतंत्र एवं सशक्त मंच वर्तमान में उपलब्ध नही है;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति परामर्शी आयोग के गठन हेतु अब तक कोई ठोस निर्णय नही लिया गया है अथवा प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जल्द अनुसूचित जाति परामर्शी आयोग (SC Advisiory Commission) का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

अविलम्ब निर्णय लेना ।

88. श्री राज सिन्हा-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सहित राज्य के सभी जिला में JBVNL द्वारा वर्तमान में प्रीपेड उपभोक्ताओं को अचानक पुराना बकाया बिल भेजने से लाखों उपभोक्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं, जिन्हें पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड मीटर में हस्तांतरित करते समय बकाए बिल का जानकारी नही दी गई, जो अनुचित है तथा बकाए बिल को भुगतान नही करने पर उनका विद्युत बाधित कर दी जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि पोस्टपेड मीटर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर में हस्तांतरित करते समय बकाए बिल का भुगतान के बावजूद और अन्य अतिरिक्त बकाए बिल का मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाईल में भेज दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार JBVNL द्वारा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को खण्ड-1, 2 एवं 3 में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु यथा बकाए बिल का भुगतान जैसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ के निराकरण हेतु अविलम्ब निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बिजली व्यवस्था में सुधार ।

89. श्री हेमलाल मुर्मू-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा राज्य में पुराने बिजली के तार, केबल एवं पोल के स्थान पर नए तार, केबल, पोल आदि अधिष्ठापित किए जाने का प्रावधान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के कई प्रखण्ड एवं गाँव ऐसी व्यवस्था से वंचित है, इसमें लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, अमड़ापाड़ा और गोपीकान्दर के गाँव शामिल है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड/गाँव सहित खण्ड दो में उल्लेखित प्रखण्डों के गाँवों में सुरक्षा की दृष्टि से पुराने केबल/तार एवं पोल को हटाने एवं संबंधित प्रखण्डों में इस सुविधा से वंचित गाँवों में नए केबल/पोल आदि का अधिष्ठापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

धान क्रय करना ।

90. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी-क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के तहत 282000 किसानों का धान बिक्री के लिए पूरे राज्य में पंजीकरण कराया गया है, जिसमें से अभी तक 1,50,000 किसानों को ही धान बिक्री के लिए SMS भेजा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि धान खरीदने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि 60 लाख क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध किसानों से अब तक मात्र 23 लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया है एवं लगभग 1 लाख 30 हजार किसान SMS के इंतजार में धान नहीं बेच पाए है;

(3) क्या यह बात सही है कि किसानों का धान सरकार द्वारा क्रय नहीं करने की उदासीनता से मजबूर किसान अपना धान सस्ते दाम पर खुले बाजार में बेचने को मजबूर है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिन किसानों को खुले बाजार में कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा, उनको बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य के अंदर का आकलन कर भुगतान करते हुए, जिनकी वजह से किसान का धान नहीं बिक पाया उन्हें दण्डित कर, वैसे किसान जिन्होंने अभी तक अपने धान को खुले बाजार में नहीं बेचा है, उनसे अविलंब धान खरीदने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भूमि का हस्तांतरण ।

91. श्री रोशन लाल चौधरी-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पीटीपीएस० क्षेत्र के हेसला, उचरिंगा, कटिया का कुल 222.29 एकड़ जमीन जियाडा को हस्तांतरित किया जा रहा है जिसके कारण 2000 से अधिक परिवार बेघर और 400 से अधिक दुकानदारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है इस स्थानांतरण के कारण पंचायत भवन, सरकारी स्कूल सहित कई सरकारी भवन भी टूट रहे है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पीटीपीएस के शेष परिसंपति में स्थित रिक्त क्वार्टर का दर निर्धारण कर Lease पर आवंटित करने और हेसला, उचरिंगा, कटिया, जनता नगर, बिरसा मार्केट के भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने या पुर्नवास के पश्चात् भूमि हस्तांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना ।

92. श्री राज सिन्हा-क्या मंत्री, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अन्तर्गत 7 लाख 72 हजार 4 सौ 46 महिलाओं की आवेदन विगत सात-आठ महीने से लम्बित (Pending) है, जिसमें धनबाद, राँची तथा पलामू जिलों के आवेदनों की संख्या अधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में दिसम्बर, 2025 तक 51,24,060 लाभुकों को ही उक्त वर्णित योजना का लाभ दी गई, जबकि दिसम्बर 2025 तक करीब 60 लाख लाभुकों को योजना का लाभ दिलाना था, परन्तु राजकीय कोष की अनुपलब्धता तथा विभागीय शिथिलता के कारण योजना के लाभ से वंचित रखा गया;

(3) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में जिन्होंने फर्जी तरीके से उक्त योजना का लाभ लिया है, उनसे राशि वापसी और विधि-सम्मत कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे राज्य को करोड़ों राजस्व की क्षति हुई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में लम्बित (pending) आवेदनों का अविलम्ब सत्यापन कराते हुए आवेदन की तिथि से वर्णित योजना का लाभ दिलाने तथा खण्ड (03) में वर्णित फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों की संख्या व रिकवरी राशि के आँकड़े उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रस्ताव पर स्वीकृति देना ।

93. श्री अरूप चटर्जी-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बोकारो, चन्द्रपुरा, पंचेत, कोनार, तिलैया एवं मैथन स्थित DVC परियोजनाओं के आसपास की ग्रामों/बस्तियों में पन्द्रह हजार परिवार आज भी वैध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से वंचित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 के आलोक में उक्त क्षेत्रों में JBVNL द्वारा अब तक कोई पृथक फीडर या व्यवस्थित वितरण तंत्र विकसित नहीं किए जाने से इन क्षेत्रों में अनाधिकृत विद्युत उपभोग, व्यापक विद्युत चोरी एवं तकनीकी हानि से DVC को प्रतिमाह 2-3 करोड़ रुपये की राजस्व नुकसान हो रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 के वर्णित विषयों को लेकर DVC द्वारा अपने व्यय पर उक्त ग्रामों/बस्तियों में स्मार्ट मीटर एवं वितरण अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा इन उपभोक्ताओं को "मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना" के अन्तर्गत 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का एक औपचारिक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है जो लंबित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब DVC के उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सकों की नियुक्ति ।

94. श्री सुरेश कुमार बैठा-क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी का 778 पद स्वीकृत है, जिसमें 300 पद रिक्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि 200 डिग्रीधारी पशु चिकित्सक लम्बे समय से नौकरी के आस में बेरोजगार बैठे है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन 200 बेरोजगार पशु चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अमल करना ।

95. श्री देवेन्द्र कुंवर-क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली-2022 की कंडिका-8 में आंगनबाड़ी सेविकाओं को दस वर्ष तक कार्य करने के उपरान्त सीमित परीक्षा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित सेविकाओं के लिये पिछले दो (2) दशक से सीमित परीक्षा का विज्ञापन सरकार द्वारा नही निकाली गई है जो महिला सशक्तिकरण (WOMEN'S EMPOWERMENT) की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए, खंड-02 में वर्णित विषय पर अमल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

इरिगेशन की व्यवस्था ।

96. श्रीमती सबिता महतो-क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरायकेला जिले का ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ के लोग कृषि पर ही आश्रित है;

(2) क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ के (1) मैसाडत्रा सुवर्णरेखा डैम से नहर होते हुए 15 किलोमीटर लिफ्ट सिंचाई होने से 50 गाँवों में (2) सुवर्णरेखा डैम से नीमडीह प्रखण्ड के ओड़िसा से 10 किलोमीटर की लिफ्ट सिंचाई द्वारा होने से 20 गाँवों एवं (3) आमटाँड नदी से काशीडीह होते हुए घाटशिला कान्दरबेड़ा तक 06 किलोमीटर तथा (4) चांडिल बांध से नीमडीह कुकड़ू प्रखण्ड के नीमडीह के 13 एवं कुकड़ू के 09 पंचायतों में मेगा लिफ्ट सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषक हित में खण्ड-02 में वर्णित स्थलों पर लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बकाया भुगतान करना ।

97. श्री जयराम कुमार महतो-क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में PDMC योजनान्तर्गत किसानों को Drip Irrigation System मुहैया करवाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना के अन्तर्गत बहुत सारे किसानों को लाभ पहुँचाया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2023 में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को कृषि निर्देशक द्वारा उक्त योजनाओं की जाँच कार्रवाई गई जिसमें घोर अनियमितताएँ गड़बड़ियाँ पायी गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषि निदेशक की जाँच रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई करने एवं चिन्हित एजेंसियों का बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

न्यायिक जाँच कराना ।

98. श्री रोशन लाल चौधरी-क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) के बैंक खाते से लगभग रु० 100 करोड़ से अधिक राशि की अवैध निकासी/हेरा-फेरी का मामला वर्ष 2024 में प्रकाश में आया है । उक्त राशि विभिन्न बैंक खातों/शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई संबंधित बैंक खातों से लेन-देन, भुगतान आदेश या वित्तीय स्वीकृति बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के संभव नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रकरण में निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (MD), महाप्रबंधक (GM), उप महाप्रबंधक (DGM) अथवा अन्य वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों की भूमिका है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Audit/Financial) विफल हुई;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काली प्रबंध निदेशक (MD), महाप्रबंधक (GM), उप महाप्रबंधक (DGM) अथवा अन्य वितीय स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जाँच CBI/ न्यायिक जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

नीति लागू करना ।

C99. श्री कुमार उज्जवल-क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बालिकाओं के अपहरण की घटनाएँ चिंताजनक रूप से बढ़ रही है, और चतरा जिला इस संबंध में अत्यंत संवेदनशील बनाता जा रहा है, जहाँ आदिवासी बालिकाओं के अपहरण के सर्वाधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिवासी बालिकाओं के अपहरण की रोकथाम, तस्करी पर अंकुश तथा पीड़िताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कोई स्पष्ट नीति, विशेष कार्यबल (Special Task Force) अथवा विभागीय दिशानिर्देश जारी कर चतरा जिला सहित अपहरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से विशेष सुरक्षा अभियान, सतत निगरानी तंत्र त्वरित कार्रवाई व्यवस्था एवं समन्वित नीति निर्माण करते हुए लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

C नोटः-अ०सू०-12-महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक-473, दिनांक 17 फरवरी, 2026 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबन्धन विभाग में स्थानांतरित ।

कार्रवाई करना ।

100. श्री भूषण बड़ा-क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनायें कागजों में ही अटक कर रह गई है उनमें से प्रमुख है मुख्यालय अधिकरण, Regional Office तथा लैम्पस-पैक्स के लिए आधारभूत संरचना विकास एवं मरम्मत मद में 56 करोड़, सह-कारिता प्रभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण योजना के लिए 10.20 करोड़ संयुक्त सहकारिता भवन सह Conference Hall निर्माण के लिए 4.93 करोड़ रुपये तथा फूर्दा, खंटी स्थित CO-operative Trining Center के लिए 6.41 करोड़ रुपये की योजना;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजनाओं के लिए विभाग उदासीन बनी हुई है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित योजनाओं पर अमल नहीं होने से कृषि विभाग गतिशीलता के साथ जनानोन्मुखी नहीं हो पा रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय पर उच्च स्तरीय जाँच करने तथा संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

लाभ देने का विचार ।

101. श्री संजीव सरदार-क्या मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में महिला कार्यकर्ता संगठन के रूप में सरकारी कार्यों को करने के लिए ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के रूप में लगभग 80 हजार महिलाएं अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से आदेश पारित है कि ''समान काम के लिए समान वेतन'' जिसका विभाग अनदेखी कर रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका से विगत 10-15 वर्षों से अधिक समय से सेवा ले रही है;

(4) क्या यह बात सही है कि विभागीय नियमावली के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर पात्र महिलाओं को पदोन्नति की बात का उल्लेख है और नियमावली में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को वंचित रखा गया है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को उनके हित के लिए ''समान काम के लिए समान वेतन'' एवं नियमानुसार पात्र महिलाओं को पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर बहाल करने तथा EPF, सुरक्षा बीमा भविष्य निधि, रिटायरमेंट का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

तालाबों का जीर्णोद्धार ।

102. श्री हेमलाल मुर्मू-क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत राज्य व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में जिला को मिले 323.15 करोड़ रु० आवंटन के विरूद्ध 195.17 करोड़ रु० खर्च हुए जिसके कारण राज्य में कृषि योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और तालाबों की स्थिति जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में 9 (नौ) एकड़ में निर्मित तालाब की स्थिति जर्जर है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषि योजनाओं के लिए आवंटित राशि का शतप्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने तथा कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने और तालाबों को उन्नयन एवं विकास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रांची:
दिनांक:- 26 फरवरी, 2026 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 66--250--25-02-2026

षष्टम्
झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

गुरूवार दिनांक 07 फाल्गुन, 1947 (श०)
26 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-40 (चालीस)

(1)	जल संसाधन विभाग	...	...	15
(2)	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	...	...	12
(3)	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	...	...	01
(4)	ऊर्जा विभाग	...	...	10
(5)	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	...	...	02
(6)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	...	...	00
		कुल योग-		40

कार्रवाई करना ।

*285. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका, बरवाडीह, गारू, सरयू एवं महुआडंड प्रखण्डों में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना और पुर्नगठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत कार्य कराया जा राह है जिसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति और नये पोल, तार व ट्रांस्फारमर लगाकर बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्डों में योजना के तहत जिस विद्युत संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो प्राक्कलन के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिससे जल्द ही बिजली पोल टेढ़े हो जा रहे है और बिजली बाधित हो जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित सभी प्रखण्डों में संवेदक द्वारा करायी जा रही बिजली कार्य की गुणवत्ता की जांच कर संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रोत्साहित करना ।

*286. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र में सब्जी फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर प्रदान कर असुरक्षित पलायन को अंकुश लगाया जा सकता है;

(3) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र को (मोटे अनाज) मिलेट्स हब" के रूप में विकसित किया जा सकता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधान-सभा क्षेत्र में उपरोक्त विषयों पर सकारात्मक पहल कर सब्जी मण्डी, सब्जी फसलों को प्रोत्साहित कर रोजगार, मिलेट्स हब के रूप मे विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना ।

*287. श्री जर्नादन पासवान--क्या मंत्री, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समेकित सहकारी विकास परियोजना (ICDP) द्वारा वर्ष 2013-2014 में झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिला में पैक्स/लैम्पस को कृषि और संबध क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु ऋण प्रदान किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त के तहत् चतरा जिला के कुल 53 पैक्स को कुल 11 करोड़ 58 लाख 44 हजार रुपये का ऋण प्रदान किया गया था जिसमें अनुदान राशि छोड़कर शेष वसुलनीय थी;

(3) क्या यह बात सही है चतरा जिला के अधिकांश पैक्सों ने यह राशि वापस नहीं की और ना इस राशि से किये गये उपयोग से संबंधित लेखा-जोखा, भण्डार पंजी एवं ऑडिट रिर्पोट उपलब्ध है, फिर भी बकायेदार पैक्सों को नियम विरूद्ध धान अधिप्राप्ति केन्द्र आवंटित किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में बकायेदार पैक्सो से राशि वसूलने एवं नियम विरूद्ध आवंटित धान अधिप्राप्ति केन्द्र को रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नहर का पक्कीकरण करना ।

*288. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का (7) शिकारीपाड़ा विधान-सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड-शिकारीपाड़ा अंतर्गत कैराबनी जलाशय योजना के तहत् ग्राम-मेहुलबन्ना तक नहर का पक्कीकरण किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के तहत् ग्राम-मेहुलबन्ना से ग्राम-जामकांदर, पर्वतपुर, राजबांध तक लगभग-3.5 कि०मी० नहर का पक्कीकरण नहीं किया गया है, पक्कीकरण नहीं होने से पानी की बर्बादी होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त जलाशय योजना के तहत् किसानों के हित में ग्राम-मेहुलबन्ना से ग्राम-जमकांदर, पर्वतपुर राजबांध तक नहर का पक्कीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

परियोजना पूरा करना ।

*289. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना का आरंभिक प्राक्कलन रुपये 128.99 करोड़ था, परंतु विश्व बैंक ने 1982 में इसे बढ़ाकर रुपये 480 करोड़ कर दिया है । फिलहाल परियोजना की लागत रुपये 14,500 करोड़ की हो गई है, जबकि इसका 35 प्रतिशत से अधिक कार्य शेष है;

(2) क्या यह बात सही है कि परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता की रुपये 616 करोड़ भारत सरकार ने विमुक्त नहीं किया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2018 के बाद व्यय का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र जल शक्ति मंत्रालय को नहीं भेजा गया है;

(3) क्या यह बात सही है केन्द्र सरकार परियोजना के बजट का 60 प्रतिशत देने पर सहमत है, परन्तु बजट में अपर्याप्त राशि का प्रावधान होने के कारण भारत सरकार से अधिकतम सहायता नहीं प्राप्त हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र से अधिकतम सहायता राशि प्राप्त कर परियोजना को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सिंचाई योजना बनाना ।

*290. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुमका जिला 07 शिकारीपाड़ा विधान-सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड-शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम-आसनबनी पंचायत-पिनरगड़िया में बंद पड़े बड़े पत्थर खदानों में लबालब जल भरा पड़ा है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बंद पड़े पत्थर खदानों के जल से किसान खेती करने के उपयोग में ले सकते है जिससे लगभग 500 एकड़ भूमि सिंचित क्षेत्र हो सकता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर उपरोक्त बंद पड़े पत्थर खदानों का जल का उपयोग किसानों के हित में सिंचाई योजना बनाकर शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

सुधार कर बिल भेजना ।

*291. श्री शत्रुधन महतो--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि घरेलु उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 युनिट बिजली मुफ्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि 200 युनिट बिजली मुफ्त एवं स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद ग्रामीणों को लगातार त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र भेजा जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिजली विभाग द्वारा भेजे गए त्रुटीपूर्ण विपत्र को वापस लेते हुए सुधार कर बिल भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

डीप बोरिंग करना ।

*292. श्री धन्नजय सोरेन--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान-सभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अपनी आजीविका के लिए जनता पूर्णतः कृषि पर निर्भर है;

(2) क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान-सभा क्षेत्र के चारों प्रखण्ड मंडरो, बारियो, तालझारी एवं बोआरीजोर में सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नही है;

(3) क्या यह बात सही है कि यदि बोरियो विधान-सभा क्षेत्र के चारों प्रखण्डो में कम से कम 10-10 डीप बोरिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था हो जायेगी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त प्रखण्डों में डीप बोरिंग कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

निर्माण कराना ।

*293. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सारठ-मधुपुर पावर ग्रिड से 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए है;

(2) क्या यह बात सही है कि इतने बड़े क्षेत्र की देख-रेख के लिए एक भी कनीय अभियंता (जुनियर इंजिनियर) (J.E) की प्रतिनियुक्ति नही किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्रिड का भवन केवल दो (02) कमरों का है, जो जर्जर अवस्था में है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित ग्रिड एवं इतने बड़े क्षेत्र को देखते हुए पर्याप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही खण्ड-03 में वर्णित भवन का विस्तार करते हुए निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

वितरण नियमित करना ।

*294. श्री धन्नजय सोरेन--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधान-सभा क्षेत्र के चारों प्रखण्डों में राशन कार्डधारकों को हर माह राशन देने के लिए नियमित व्यवस्था संचालित है;

(2) क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान-सभा क्षेत्र में राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान-सभा क्षेत्र में आदिवासियों एवं मूलवासियों को राशन सुचारू एवं नियमित ढंग से नही मिल पा रहा है;

(4) क्या यह बात सही है कि राशन के वितरण में पारदर्शिता अति आवश्यक है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशन वितरण नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

समाधान करना ।

*295. श्री नमन बिकसल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र और अत्यंत पिछड़ा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबिरा विधान-सभा क्षेत्र मे पिछले वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कई जगहों के लिए नया आँगनबाड़ी भवन निर्माण शुरू किया गया था जो अब तक पूर्ण नही हो पाया है;

(3) क्या यह बात सही है कि आँगनबाड़ी केंद्र समय से पूर्ण नही होने के कारण आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र के गरीब बच्चे, गर्भवती महिलाएँ का केयर और कुपोषण मुक्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाऐं प्रभावित हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आदिवासी समुदायों एवं इनकी घटती जनसंख्या अनुपातों और इनके प्रारम्भिक देख-भाल के साथ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी योजनाओं के उद्देश्यों की सफल सुचालन हेतु अधुरे आँगनबाड़ी भवन निर्माण संबंधी कारणों का समाधान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

स्थानांतरित करना ।

*296. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखण्ड स्थित खेल मैदान के बीचो-बीच 33,000 वोल्ट (33KV) की उच्च शक्ति विद्युत प्रवाहित तार, गुजरती है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस मैदान में प्रतिदिन सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास करते है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित और खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए उक्त विद्युत लाईन को खेल मैदान की परिधि से बाहर स्थानांतरित (Shifting) करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बिजली तारों को ऊँचा करना ।

*297. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा पुराने बिजली पोलों को हटाकर नए बिजली पोल स्थापित किए जा रहे है, परंतु कई स्थानों पर सड़क के किनारे बिजली पोल स्थापित न करके सड़कों और नालियों के परिधि के अंदर ही कुछ दूरी पर इन बिजली पोलों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो रही है तथा 9 मीटर का बिजली पोल होने के बावजूद 1.5 मीटर जमीन में गाड़ने के बाद बिजली के तारों का अधिष्ठापन 7.5 मीटर पर न करके कही 6 मीटर तो कही 6.5 मीटर पर किया जा रहा है, जिससे एकरूपता नही हो पा रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त अनियमितता की जांच करवाते हुए इन विसंगतियों को दूर करवाने और भविष्य के हिसाब से जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों के हिसाब से सड़क और नाली से निर्धारित दूरी पर बिजली पोल को स्थानांतरित करवाते हुए विभाग द्वारा भविष्य और ऊँचे वाहनों तथा श्री रामनवमी और सरहूल, आदि त्यौहारों पर निकलने वाली शोभायात्रा और झांकियों, इत्यादि की ऊँचाई को ध्यान में रखते हुए उक्त बिजली पोलों पर बिजली के तारों को निर्धारित ऊँचाई और दूरी पर अधिष्ठापित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

सेडमैप तैयार करना ।

*298. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविंदपुर बलियापुर, टुंडी के कृषक पाठशाला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के रूप में प्रचारित किया गया वह आज स्वयं बदहाली और अव्यवस्था का शिकार है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन के द्वारा कृषक पाठशाला में निरीक्षण के बावजूद संवेदक/एजेंसी किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण दिलाने में असक्षम है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषक पाठशालाओं का सामाजिक-आर्थिक ऑडिट एवं योजना को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

विद्युत सब-स्टेशन बनाना ।

*299. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम-बेड़ोकला में विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति 7 वर्ष पूर्व प्रदान की गयी थी, परंतु अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नही हुआ है, जिस कारण आस-पास के इलाके में विद्युत संबंधी समस्या बनी रहती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

शीतगृह का निर्माण करना ।

*300. श्री देवेन्द्र कुंवर--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जरमुन्डी विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत सोनारायठाड़ी प्रखण्ड में Cold Storage Building की कोई व्यवस्था नही होने से किसान, व्यापारी, आम जनता परेशान है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में 100MT क्षमता वाली शीतगृह का निर्माण वर्त्तमान Financial Year 2026-2027 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

इलाज कराना ।

*301. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं सिमडेगा जिला अंतर्गत ठेठाईटांगर प्रखण्ड के कारोमियां पंचायत में कई पशुओं की अज्ञात संक्रमित बीमारी से अकाल मृत्यु हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि गरीब किसानों के पशुओं का अज्ञात संक्रमण से आकस्मिक मृत्यु के कारण गरीब किसानों को काफी आर्थिक हानि हुई है और प्रभावित किसानों का कृषिकार्य भी प्रभावित हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अज्ञात संक्रमण रोगों से आकस्मिक मृत पशुओं के कारण, किसानों को हुई क्षति की भरपाई (क्षति पूर्ति) करने के साथ अज्ञात संक्रमित बीमारियों का पता लगा कर बाकी बचे पशुओं का संरक्षण या इलाज करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

विद्युत व्यवस्था दुरूस्त करना ।

*302. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र में 11 हजार वोल्ट के बिजली तारों का ओवरहेड वायरिंग पुराने हो जाने के कारण ये काफी घातक हो गए है और अक्सर टूटते रहते है, जिससे जान-माल की हानि होती है और कोई भी घातक घटना कभी भी घटित हो सकती है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में हजारीबाग में 11 हजार वोल्ट के बिजली केबल का अभाव होने के कारण उक्त जर्जर तारों को बदलना मुश्किल हो रहा है और अभी 1 महीने बाद श्री रामनवमी का महापर्व आने वाला है, जिसमें ऊँचे-ऊँचे झण्डे और झांकियां तथा शोभायात्रा निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इन तारों के नीचे और इनके संपर्क क्षेत्रों से होकर गुजरते है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घातक घटना से इन्कार नही किया जा सकता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त 11 हजार वोल्ट के जर्जर तारों को रामनवमी महापर्व से पूर्व बदलवा कर विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

अग्रेतर कार्रवाई करना ।

*303. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत प्रस्तावित राढू जलाशय योजना एक मध्यम सिंचाई योजना है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन संशोधन हेतु विभागीय पत्रांक-1/PMC/Rarhu-CWC-193/2013-580 दिनांक 22 नवम्बर, 2024 द्वारा मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, राँची को निदेशित किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही संशोधित प्राक्कलित राशि के साथ जलाशय योजना हेतु अग्रतेर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

योजना शुरू कराना ।

*304. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्षाजल के अधिकतम संरक्षण, नदियों एवं सहायक नालों के प्राकृतिक प्रवाह को सुदृढ़ करने तथा भू-जल पुनर्भरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि बोकरो विधान-सभा क्षेत्र में स्थित नदियां एवं नाले वर्षा ऋतु में तो प्रवाहित रहते है, परंतु शेष समय जल संरक्षण संरचनाओं के अभाव में उनका प्रवाह स्थायी नही रह पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो विधान-सभा क्षेत्र में वर्षाजल संरक्षण नदियों एवं नालों के सुदृढ़ीकरण तथा उनके सतत प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु योजना शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

लाईट लगाना ।

*305. श्री सुरेश पासवान--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुनासी जलाशय योजना में सौंदर्यीकरण हेतु बड़ी राशि लगाकर लाईटिंग का कार्य किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि लगाये गये लाईटिंग में सही गुणवत्ता नहीं रहने के कारण अधिकातर लाईट रात में बुझा रहता है जिससे डैम में खतरा बना रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लाईट लगाने वाले संवेदक पर कार्यवाही करते हुए सही लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

चेक डैम का कार्य पूर्ण करना ।

*306. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकर द्वारा भू-जल स्तर में वृद्धि मृदा क्षरण पर नियंत्रण तथा स्थानीय जल स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान-सभा क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है तथा वर्षाजल संरक्षण की पर्याप्त संरचनाएँ उपलब्ध नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि बोकारो विधान-सभा क्षेत्र में चेक डैम निर्माण हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा वर्तमान में कितने चेक डैम प्रस्तावित है और उनके कार्य कब तक पूरी होगी;

मुआवजा भुगतान करना ।

*307. श्रीमती सविता महतो--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान-सभा क्षेत्र में सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत दाँया तट शिविर निर्माण हेतु घोड़ानेगी गाँव की रैयती जमीन का अधिग्रहण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा लगभग 40 वर्षों से कार्यालय, आवासीय कॉलोनी, निरीक्षण भवन, पोलिटैक्नीक कॉलेज, गोदाम इत्यादि का निर्माण कर लिया गया परन्तु आजतक रैयतदारों को जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घोड़ानेगी गाँव के रैयतदारों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय का अधिष्ठापन ।

*308. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधान-सभा क्षेत्र के सभी प्रखण्ड यथा-मनिका, बरवाडीह, सरयू, गारू, महुआडाँड़ एवं लातेहार का अधिकांश भू-भाग पलामू व्याघ्र परियोजना एवं भेड़िया अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण ECO Sensitive Zone घोषित है जिस कारण यहाँ के निवासी मूलतः कृषि आधारित कार्यों पर ही निर्भर है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय का अधिष्ठापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नया भवन बनाना ।

*309. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति जर्जर अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य द्वारा संचालित कई आँगनाबाड़ी केन्द्रों का स्वभवन नही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के जर्जर हो चुके आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं भवन विहिन आँगनबाड़ी केन्द्रों को नया भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मानदेय देना ।

*310. श्री शत्रुघ्न महतो--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 18,000 कृषक मित्र कार्यरत हैं, जो राज्य में कृषि संबंधित योजनाओं का प्रसार करते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000/-रु० मात्र दी जाती है, जिसे बढ़ाकर मानदेय निर्धारित करने की मांग लगातार की जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में किसान सलाहकारों को समान कार्य के लिए 21000/-रु० प्रतिमाह मानदेय दी जा रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में कार्यरत कृषक मित्रों को बिहार के समान 21000/- प्रतिमाह मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?

अण्डरग्राउण्ड वायरिंग कराना ।

*311. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डालटेनगंज विधान-सभा क्षेत्र के मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में खुला तार-पोल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर निगम में काफी घनी आबादी के साथ-साथ पलामू प्रमण्डल का मुख्यालय होने के चलते खुला विद्युत आपूर्ति से लोगों को बिजली के चपेट में आने से कई दुर्घटनाएँ पूर्व में घटित हो चुकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़े शहरों के तर्ज पर मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में भी अण्डरग्राउण्ड वायरिंग कर विद्युत आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

परिवर्तित करना ।

*312. श्री संजीव सरदार--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत जादुगोड़ा स्थित ग्राम स्वाससपुर में केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल का समूह केन्द्र लगभग 165 एकड़ में फैला हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिसर पर जवानों एवं उनके परिवारों के लिए आवासीय भवन एवं बैरक निर्मित है;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 5 जून, 2023 को ड्यूटी के दौरान एक सी०आर०पी०एफ० जवान की 132 KV हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गयी एवं हाल ही में निर्माण में जुटे एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह तथा आस-पास के ग्रामवासियों एवं राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए उक्त 132 KV हाई टेंशन तार को कही दूसरे मार्ग मे शिफ्ट/परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना ।

*313. श्रीमती मंजू कुमारी--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड जमुआ के ग्राम कटरियाटांड़ में स्थित उसरी वीयर एवं उससे निकली नहर जो 1968-69 में निर्मित है, तथा वर्तमान में जर्जर अवस्था में होने के कारण किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि नहर कई जगह क्षति ग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम-कटरियाटांड़, दुधरियाँ, चापादाह, तेजपुर, चकमंजो मांगोडीह, खरगडीहा, गांडो, बेलकुंडी एवं देवरी प्रखण्ड के टिहरो नेकपुरा इत्यादि गाँवों के लगभग 15,000 किसानों को समुचित सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के पत्रांक-800, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 द्वारा आपके विभाग को समर्पित किया गया है जिसपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए खण्ड-1 में वर्णित योजना का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कानूनी कार्रवाई करना ।

*314. श्री जर्नादन पासवान--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के कई धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर वर्ष-2022-2023 एवं 2023-2024 अन्तर्गत विभाग की राशि एक करोड़ से अधिक का बकाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा वर्ष-2024-2025 के धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर बकाया अथवा गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई परन्तु वर्ष-2022-2023 एवं 2023-2024 के बकायेदार अथवा गबन करने वाले पैक्स पर प्राथमिकी दर्ज नही की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में समान आर्थिक अपराध के लिए दण्ड में समरूपता हेतु बकायेदार पैक्सों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

शीघ्र चालू कराना ।

*315. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारठ विधान-सभा के बभनगॉवा में 5000 मेट्रिक टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कोल्ड स्टोरेज चालू होने से सारठ एवं अगल-बगल के प्रखण्डों के हजारों किसानों को लाभ होगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित कोल्ड स्टोरेज को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना ।

*316. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बिरसिंहपुर पंचायत के हरहरी में प्रस्तावित विद्युत सब-स्टेशन निर्माण की स्वीकृति विगत वर्ष में दे दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सब-स्टेशन का निर्माण न होने से ग्रामीण को वर्षों से विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पक्कीकरण करना ।

*317. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली विधान-सभा क्षेत्र में कोकरो मुख्य नहर के बलुआडीह शाखा नहर जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण के अभाव में पानी नही पहुँच पा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनाहातु प्रखण्ड अन्तर्गत करमटांड़, सोसोडीह, बाँकु लान्दुपडीह एवं बारेन्दा शाखा नहर एवं बीसी जीर्णोद्धार अवस्था में है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित शाखा नहरों एवं बीसी का जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण का कार्य शीघ्र करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

तटबंध निर्माण कराना ।

*318. श्री नरेश प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड के ग्राम राणाडीह से सुंडीपुर तक कोयल नदी के किनारे तटबंध नहीं होने से बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में एवं सड़क पर भर जाता है, जिससे किसानों के फसल क्षति होने के साथ ही उपजाऊ जमीन कट कर नदी में समा जाता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड के ग्राम राणाडीह से सुंडीपुर तक कोयल नदी के किनारे तटबंध निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

दुग्ध शीतक केन्द्र खोलना ।

*319. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारित विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगर ऊँटारी अनुमण्डल मुख्यालय में दुग्ध शीतक (Bulk Milk Cooler-BMC) केन्द्र नही होने के कारण यहाँ के पशुपालक नगर ऊँटारी से 50-60 किलोमीटर दूर गढ़वा में एक मात्र दुग्ध शीतक केन्द्र पर निर्भर है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित अनुमण्डल मुख्यालय में दुग्ध शीतक केन्द्र खोलने से यहाँ के पशुपालक लाभान्वित होंगे;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित जिले के नगर ऊँटारी अनुमण्डल में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दुग्ध शीतक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

राशि देना ।

*320. श्री सुरेश पासवान--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 जो विस्तारित कर 2027 तक किया गया है, जिसकी कंडिका-6.2 (ख) के अनुसार प्रत्येक विस्थापित को स्वरोजगार हेतु 2,25,000 रुपये दिया जाना है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा लापरवाही के कारण मात्र बीस विस्थापितों को राशि दी गई, बाकी विस्थापितों के साथ अनदेखी किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीतिगत बाकी विस्थापितों को स्वरोजगार की राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बर्बाद होने से बचाना ।

*321. श्री नरेश प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अतिपिछड़ा जिला गढ़वा के कांडी प्रखण्ड के नारायणपुर ग्राम में बरसात के दिनों में सोन नदी के बाढ़ से किसानों का हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि नारायणपुर गाँव एवं सोन नदी के बीच सरकार द्वारा निर्मित पुल का जमीनी परत काफी ऊँचा हो जाने की वजह से बाढ़ का पानी नदी में नहीं जा पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त वर्णित स्थल पर किसानों को बाढ़ से निजात दिलाने हेतु ठोस कदम उठाने का विचार रखती है जिससे किसानों का हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने से बचाया जा सके, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना ।

*322. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चैथी में स्थित "चैथी टाल आहार" स्थानीय किसानो के लिए सिंचाई का मुख्य साधन है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस आहार में गाद (Slit) जमा होने और मेढ़ (Embarkment) के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी जल भंडारण क्षमता काफी कम हो गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित चैथी टाल आहार की महत्ता को देखते हुए इसका जीर्णोद्धार (Renovation) चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

ठोस कदम उठाना ।

*323. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा, जिले के लोग कृषि पर निर्भर हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित जिले में कृषि उद्योग कलस्टर की स्थापना नहीं होने से किसानों की सर्वांगीण विकास तथा आय में वृद्धि नहीं होना बेहद चिंता का विषय है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित कलस्टर की स्थापना हेतु पर्याप्त मात्र में सब्जी, फल, मिलेटस, चिरौंजी, करंज, रागी, इमली आदि उत्पादों की बहुलता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय पर ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चेक डैम निर्माण कराना ।

*324. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के केतार प्रखण्ड के पंचायत-परसोडीह अन्तर्गत लवदर नाला चेकडैम का निर्माण अति आवश्यक है;

(2) क्या यह बात सही है कि लवदर नाला चेकडैम का निर्माण होने से केतार प्रखण्ड के दर्जनों गाँव यथा-परसोडीह, ताली, बक्सीपुर, बाँसडीह खुर्द, बाँसडीह कला, चौरा, हुराका, सिंहपुर आदि के किसानों को इनके हजारों एकड़ जमीन पर खेती हेतु सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से खण्ड-1 में वर्णित लवदर नाला चेकडैम का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राँची:
दिनांक 26 फरवरी, 2026 (ई०)

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 62--250--25-02-2026 ।

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा

[पंचम(बजट)सत्र]

गुरूवार, तिथि 26 फरवरी, 2026 (ई०)

07 फाल्गुन,1947 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-: प्रश्नोत्तर :-

(01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्यः-

(04) **सर्वश्री संजय कुमार सिंह यादव, सुरेश पासवान एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,** स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार **(पथ निर्माण विभाग)** की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026, 24-02-2026 एवं 25-02-2026 से स्थगित)

(05) **श्री उदय शंकर सिंह, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार **(कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)** की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 एवं 25-02-2026 से स्थगित)

(06) **श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार **(पर्यटन, कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)** की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 एवं 25-02-2026 से स्थगित)

(07) **डॉ० नीरा यादव, स०वि०स० एवं श्री देवेन्द्र कुँवर, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार **(उद्योग विभाग)** की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 एवं 25-02-2026 से स्थगित)

(08) **सर्वश्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप एवं श्री सोनाराम सिंकू,स०वि० स०** की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार **(राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)** की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 एवं 25-02-2026 से स्थगित)

(09) **श्री चन्द्रदेव महतो, स०वि०स० एवं श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार **(राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)** की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 एवं 25-02-2026 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०.....02

(10) **श्री प्रकाश राम, स०वि०स०** एवं **श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण –सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 से स्थगित)

(11) **श्री देवेन्द्र कुँवर, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण –सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 से स्थगित)

(12) **श्री उमाकान्त रजक, स०वि०स०** एवं **श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण –सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 से स्थगित)

(13) **श्री राम सूर्या मुण्डा, स०वि०स०** एवं **श्री अमित कुमार, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 से स्थगित)

(14) **श्री जयराम कुमार महतो, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक–25-02-2026 से स्थगित)

(15) **श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स०,श्री मनोज कुमार यादव,स०वि०स०** एवं **डॉ० नीरा यादव स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(16) **श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(17) **श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(18) **सर्वश्री अनन्त प्रताप देव, हेमलाल मुर्मू एवं श्री रामचन्द्र सिंह,स०वि०स०** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(19) **श्रीमती ममता देवी, स०वि०स०** एवं **श्रीमती लुईस मराण्डी** की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(20) झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(21) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा–पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(22) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

कृ०पृ०उ०.....03

-: वित्तीय-कार्य :-

(23) वित्तीय वर्ष **2026-27** के वार्षिक आय-व्ययक के सम्मिलित अनुदानों की माँगों (**खण्ड-01**) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (**कृषि प्रभाग**), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (**पशुपालन प्रभाग**), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (**सहकारिता प्रभाग**), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (**मत्स्य प्रभाग**) एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (**डेयरी प्रभाग**) पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान।

(माँग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

(24) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य०का०सू०-01/2026-..4467../वि०स०,राँची,दिनांक-.25.02.26.

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2026
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य०का०सू०-01/2026-..4467../वि०स०,राँची,दिनांक-.25.02.26.

प्रतिलिपिः-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/2026
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य०का०सू०-01/2026-..4467../वि०स०,राँची,दिनांक-.25.02.26.

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2026
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

झारखण्ड विधान-सभा
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی
{پانچواں (بجٹ) اجلاس}

جمعرات، مورخہ: 26/فروری، 2026 (عیسوی) / 07/پھاگن، 1947 (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00/بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01۔ ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02۔ مختصر میعادی و علامتی سوال اور ان کے جواب۔

03۔ وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اور ان پر سرکاری بیان

04۔ جناب سنجئے کمار سنگھ یادو، جناب سوریش پاسوان اور جناب نمن وکسل کونگاڑی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 21/فروری، 2026، 24/فروری، 2026 اور 25/فروری، 2026 سے ملتوی]

05۔ جناب اودے شنکر سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 24/فروری، 2026 اور 25/فروری، 2026 سے ملتوی]

06۔ جناب رام چندر سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ سیاحت، فن و ثقافت، کھیل کود اور نوجوان امور) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔ 24/فروری، 2026 اور 25/فروری، 2026 سے ملتوی]

07۔ محترمہ ڈاکٹر نیرا یادو اور جناب دیونیدر کنور، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

صنعت) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔24/فروری،2026اور25/فروری،2026 سے ملتوی]

08۔ جناب نمن وکسل کونگاڑی، جناب راجیش کچھپ اور جناب سونارام سنکو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات، رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔24/فروری،2026اور25/فروری،2026 سے ملتوی]

09۔ جناب چندر دیو مہتو اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔24/فروری،2026اور25/فروری،2026 سے ملتوی]

10۔ جناب پرکاش رام اور جناب ناگیندر مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری،2026 سے ملتوی]

11۔ جناب دیوندر کنور، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری،2026 سے ملتوی]

12۔ جناب اوما کانت راجک اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری،2026 سے ملتوی]

13۔ جناب رام سوریہ منڈا اور جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ جنگلات ماحولیات اور تبدیل آب وہوا) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری،2026 سے ملتوی]

14۔ جناب جئے رام کمار مہتو۔ رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔25/فروری،2026 سے ملتوی]

15۔ جناب امیت کمار یادو، جناب منوج کمار یادو اور ڈاکٹر نیرا یادو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی فراہمی اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

16۔ جناب متھورا پرساد مہتو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی وسائل اور شفاف) کی جانب

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

سے بیان۔

17۔ جناب نوین جیسوال، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ شہری ترقیات اور رہائش) کی جانب سے بیان۔

18۔ جناب آنند پرتاپ دیو، جناب ہیم لال مرمو اور جناب رام چندر سنگھ، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی فراہمی اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

19۔ محترمہ ممتا دیو اور محترمہ لوئیس مرانڈی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ آبی وسائل اور شفاف) کی جانب سے بیان۔

کمیٹیوں کی تشکیل

20۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ، طریقہ کار اور دستور العمل کے تناظر میں کمیٹیوں کی تشکیل (اگر ہو)۔

ایوان کے میز پر رپورٹوں کا رکھا جانا

21۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کی رپورٹوں کو ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)

22۔ عرضیوں کی پیشی (اگر ہو)۔

مالیاتی امور

23۔ مالی سال 2026-27 کے سالانہ آمد و خرچ میں شامل مطالبات زر جزو (01) محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو (محکمہ زراعت)، محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو (محکمہ مویشی)، محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو (محکمہ کوآپریٹیو)، محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو (محکمہ ماہی پروری) اور محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو (محکمہ ڈیری) پر بحث و مباحثہ و سرکار کا جواب اور ووٹنگ۔

{مطالبات اور تخفیف تجویزوں کی فہرست الگ سے تقسیم کی جا رہی ہے}

24۔ دیگر نہایت ضروری امور (اگر ہو)۔

(رنجیت کمار)
کارگزار سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

یادداشت نمبر: فہرست امور۔ 01 / 2026 / ...... ق۔س۔ا، رانچی   مورخہ:...2.5...فروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: معزز اراکین حضرات، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی / معزز وزیر اعلیٰ / معزز وزراء حضرات / معزز اپوزیشن لیڈر، جھارکھنڈ

برائے مہربانی ملاحظہ فرمائیں

قانون ساز اسمبلی/چیف سکریٹری، جھارکھنڈ/عزت مآب گورنر کے پرنسپل سکریٹری/ایڈووکیٹ جنرل، جھارکھنڈ، رانچی/لوک سبھا نئی دہلی/راجیہ سبھا
، نئی دہلی/جھارکھنڈ سرکار کے تمام محکموں کے پرنسپل سکریٹری/سکریٹری کو اطلاعات اور ضروری کارروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

ازو جیہ
(سید شیر از وجیہ نجمی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01/2026/.....1467.....ق۔س۔ا، رانچی مورخہ:...25...، فروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: انڈر سکریٹری، اسپیکر دفتر اور ماہر معتمد، سکریٹری دفتر کو بالترتیب عزت مآب اسپیکر صاحب اور کارگزار سکریٹری کو اطلاعات مرسلہ۔

ازو جیہ
(سید شیر از وجیہ نجمی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور۔01/2026/.....1467.....ق۔س۔ا، رانچی مورخہ:...25...، فروری، 2026 (عیسوی)

اردو ترجمہ: جاری کردہ "شعبہ اردو" جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

نقل تحریر: جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے تمام افسران/شعبہ ویب سائٹ/شعبہ لائبریری، شعبہ تعلقات عامہ اور جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ٹی وی کو اطلاعات اور ضروری کارروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

ازو جیہ
(سید شیر از وجیہ نجمی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

25/2/26

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम(बजट) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न– गुरूवार,दिनांक– 07फाल्गुन,1947 (श0) / 26 फरवरी,2026 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेगें :–

क्र0स0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
A-09. उत्तर मुद्रित	अ.सू–19	श्री सरयू राय	दोषियों को चिन्हित करना।	ऊर्जा	13.02.26
B-81.	अ.सू–32	श्री राजेश कच्छप	कार्रवाई करना।	अनु0जनजाति,अनु0 जाति,अल्पसंख्यक एवं पि0वर्ग कल्याण	18.02.26
82.	अ.सू–15	श्री जयराम कुमार महतो	छात्रवृति का भुगतान।	अनु0जनजाति,अनु0 जाति,अल्पसंख्यक एवं पि0वर्ग कल्याण	13.02.26
83.	अ.सू–46	श्री अमित कुमार यादव	बीज क्रय करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	21.02.26
84.	अ.सू–33	श्री राजेश कच्छप	संसाधन उपलब्ध कराना।	अनु0जनजाति,अनु0 जाति,अल्पसंख्यक एवं पि0वर्ग कल्याण	18.02.26
85.	अ.सू–42	श्री सरयू राय	दोषियो के खिलाफ कार्रवाई।	ऊर्जा	21.02.26
86.	अ.सू–27	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	मईया सम्मान का लाभ।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	14.02.26
87.	अ.सू–13	श्री कुमार उज्जवल	आयोग का गठन।	अनु0जनजाति,अनु0 जाति,अल्पसंख्यक एवं पि0वर्ग कल्याण	13.02.26
88.	अ.सू–31	श्री राज सिन्हा	अविलम्ब निर्णय लेना।	ऊर्जा	17.02.26
89.	अ.सू–18	श्री हेमलाल मुर्मू	बिजली व्यवस्था में सुधार।	ऊर्जा	13.02.26
90.	अ.सू–35	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	धान क्रय करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	19.02.26

कृ0पृ030

1	2	3	4	5	6
91.	अ.सू-47	श्री रोशन लाल चौधरी	भूमि का हस्तांतरण।	ऊर्जा	21.02.26
92.	अ.सू-39	श्री राज सिन्हा	योजना का लाभ देना।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	19.02.26
93.	अ.सू-24	श्री अरूप चटर्जी	प्रस्ताव पर स्वीकृति देना	ऊर्जा	14.02.26
94.	अ.सू-41	श्री सुरेश कुमार बैठा	चिकित्सको की नियुक्ति।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	19.02.26
95.	अ.सू-48	श्री देवेन्द्र कुंवर	अमल करना।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	21.02.26
96.	अ.सू-40	श्रीमती सबिता महतो	ईरिगेशन की व्यवस्था।	जल संसाधन	19.02.26
97.	अ.सू-16	श्री जयराम कुमार महतो	बकाया भुगतान करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	13.02.26
98.	अ.सू-43	श्री रोशन लाल चौधरी	न्यायिक जाँच कराना।	ऊर्जा	21.02.26
C-99.	अ.सू-12	श्री कुमार उज्जवल	नीति लागू करना।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	13.02.26
100.	अ.सू-34	श्री भूषण बड़ा	कार्रवाई करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	19.02.26
101.	अ.सू-49	श्री संजीव सरदार	लाभ देने का विचार।	महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	21.02.26
102.	अ.सू-20	श्री हेमलाल मुर्मू	तालाबों का जीर्णोद्धार।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	13.02.26

नोटः-A-09-आदेश पत्र संख्या-09,दिनांक-19.02.26 को सदन द्वारा दिनांक-26.02.26 के लिए स्थगित।(उत्तर मुद्रित)

B-अ.सू-32-अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक-633,दिनांक-19.02.26 के द्वारा वित्त विभाग में स्थानांतरित।

C-अ.सू-12-महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक-473,दिनांक-17.02.26 के द्वारा गृह,कारा एवं आपदा प्रबन्धन विभाग में स्थानांतरित।

रांची,
दिनांक-26 फरवरी.2026 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

कृ0पृ030

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–10/2025–...4393........./वि0स0,राँची,दिनांक–..24.02.26........

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/26

(गुरुचरण सिंह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–10/2025–...4393........./वि0स0,राँची,दिनांक–..24.02.26........

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/26

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–10/2025–...4393........./वि0स0,राँची,दिनांक–..24.02.26........

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति/शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/26

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

24/02

आकाश/–

श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 26.02.2026 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 32 की उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में TSP अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित राज्यों को दिया जाने वाला विशेष धन राशि है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने या अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उपर उठाने के लिए भारत की संचित निधि से प्रति वर्ष अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है। TSP जनजातीय उप–योजना का उद्देश्य जनजातीय आबादी के विकासत्मक कमी की पूर्ति हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि अनूसूचित जनजाति एवं अन्य के बीच की खाई को पाटा जा सके।
2.	क्या यह बात सही है कि सन् 1974 ई० में शुरू हुई योजना राज्य के जनजाति आबादी के अनुपात में केन्द्र से मिलती है, झारखण्ड में ST आबादी 26 प्रतिशत होने से बजट का समानुपाती हिस्सा TSP के लिए अनिवार्य है इस प्रकार राज्य बजट में TSP हिस्सा कुल बजट का 26 प्रतिशत होना चाहिए, जिसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 की योजना बजट की समीक्षा किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल योजना बजट के विरूद्ध TSP हेतु क्रमशः – 41.66%, 42.07%, 43.02%, 42.21% एवं 43.90% का बजटीय उपबंध किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 02 में वर्णित TSP मद में केन्द्र से प्राप्त हुई TSP की राशि का सही आंकड़ा सरकार के पास नही है तथा पूर्ण आंकड़े के अभाव में अबतक केन्द्र से हजारों करोड़ रूपये प्राप्त हुए है, जिसका विचलन कर स्टेट प्लान, पेयजल, शहरी विकास, सड़क निर्माण, विधायक मद में विचलन कर बड़ी राशि गैर योजना मदों में चली गई जो TSP गाईडलाईन्स का उल्लंघन है;	**अस्वीकारात्मक।** केन्द्र सरकार से अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विभाग को राशि अनुच्छेद 275(1) (SCA to TSP/ TSS/ PM–AAGY) योजना के तहत प्राप्त होती है, जिसमें PAC द्वारा स्वीकृत विभिन्न sectors की योजनाओं पर केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का संबंधित मार्गदर्शिका अनुरूप व्यय किया जाता है, जिसका विचलन नहीं किया गया है।
4.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 03 में वर्णित विचलन को रोकने के लिए वर्ष 2020 में झारखण्ड सरकार ने TSP नियमावली बनाई जिसमें ग्राम सभा से योजना चयन और सोशल ऑडिट अनिवार्य किया गया तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद् भी बनी, फिर भी TSP राशि का विचलन चिंताजनक है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः– 08/वि०स०प्र०–12/03/2026– 716 राँची, दिनांकः– 25/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 4211, दिनांक– 18.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/26
(जया रेचल मिंज)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 08/वि०स०प्र०–12/03/2026– 716 राँची, दिनांकः– 25/02/2026

प्रतिलिपिः– सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/26
(जया रेचल मिंज)
सरकार के उप सचिव।

श्री जयराम कुमार महतो मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–15 का उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में ई-कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान विगत दो वर्षों से पिछड़े वर्ग के छात्रों को नहीं किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विगत 2 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में पिछड़े वर्ग के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है– (तालिका नीचे)
2	क्या यह बात सही है कि ये गरीब छात्र शिक्षा हेतु इस छात्रवृत्ति पर निर्भर है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(उत्तर नीचे)

उत्तर 1 – तालिका:

Category	Year	BC	
		No of Beneficiries	Amount Disbursed (In Lakhs)
Pre Matric (1 to 8)	2023-24	1475265	27913.555
	2024-25	1605841	26686.39
	2025-26	1012847	19351.05
Pre Matric (9 to 10)	2023-24	201982	9099.19
	2024-25	183581	6461.145
Post Matric	2023-24	392419	65054.36
	2024-25	15996	1878.16

उत्तर 3:

i. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (1 to 8) योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसके अन्तर्गत योग्य छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित है।

ii. प्री-मैट्रिक (9 एवं 10) छात्रवृत्ति एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्रांश एवं राज्यांश के सम्मिलित राशि से किया जाता है एवं छात्रवृत्ति का भुगतान केन्द्रांश की विमुक्ति पर निर्भर है।

iii. पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि राज्य के वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में अत्यधिक कम है, जो निम्नवत् है।

राशि करोड़ में

	Pre Matric BC Scholarship (60:40)		Post Matric BC Scholarship (60:40)	
Year	केन्द्र से की गई अधियाचना	केन्द्र द्वारा विमुक्त राशि	केन्द्र से की गई अधियाचना	केन्द्र द्वारा विमुक्त राशि
1	2	3	4	5
2023-24	67.00	7.05	371.37	77.31
2024-25	66.14	14.61	353.21	33.57
2025-26	45.91	3.95	370.87	0.00

इस कारण कई छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति का भुगतान में विलम्ब होता है। केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09/छात्रवृत्ति (विधानसभा)–01/26- 651 रांची, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप संख्या–3875, दिनांक– 13.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जया रेचल मिंज)
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-26.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-46 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता- श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा चतरा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग आदि 10 जिलों में 10 बीज ग्राम केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2004-05 में की गई, जिसका पुनः MoU झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम द्वारा माह दिसंबर 2024 में 5 वर्षों के लिए किया गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित 10 बीज ग्राम केन्द्रों से MoU संपन्न होने के बाद भी तैयार किये गये बीज सरकार क्रय नहीं कर रही है, जिससे बीज ग्राम केन्द्रों के संचालक द्वारा तैयार बीज सड़ रहे हैं और किसान निराश हो रहे हैं;	कृषि निगम का पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाधीन है तत्पश्चात् बीज ग्रामों बीज क्रय के विकल्प पर विचार किया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कृषक लोकहित में MoU किये गये बीज ग्राम केन्द्रों के बीज का क्रय अविलंब करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/कृ०वि०नि०(अ०सू०)-07/2026 569 कृ०, राँची, दिनांक- 25.02.2026

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक सं0-4367 दिनांक-21.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2026

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/कृ०वि०नि०(अ०सू०)-07/2026 569 कृ०, राँची, दिनांक- 25.02.2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा-09 (कृषि प्रभाग)/मो० जफर अली, Consultant, PMU, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/20

सरकार के अवर सचिव।

श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–33 का उत्तर सामग्री–

प्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास स्व–शासन–प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु संविधान की 5th Schedule के Para-5 के उप पारा 2 के तहत Tribes Advisory Council को Mini Assembly का दर्जा प्राप्त है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Council का न तो आधारभूत संरचना को मूर्त रूप दिया गया और न ही संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं ;	विभागीय अधिसूचना सं०–1119–03 / TAC-01 / 2021, दिनांक–04.06.2021 के द्वारा Jharkahnd Tribes Adivsory Council Rules, 2021 अधिसूचित है। उक्त नियमावली की नियम सं०–6 के अनुसार निम्नवत् प्रावधान किए गए हैं– "6. Secretariat and appointment of personnel There shall be a Secretariat based at the Dr. Ram Dayal Munda Tribal Welfare Research Institute, Morahabadi, Ranchi for the smooth and effective functioning of the Council. The appointment of an officer not below the rank of Joint Secretary and requisite personnel to the Council as may, from time to time, be determined by the State Government". वर्तमान में विभाग में उपलब्ध मानव बल से TRI का कार्य संचालित किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की गंभीरता के मद्देनजर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–2 में यथा उल्लेखित।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–08 / TAC (अ०सू०)–01 / 2026 - 682 राँची, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4210, दिनांक–18.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.02.26
(कृष्ण कुमार)
सरकार के उप सचिव।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं.–अ०सू०–42 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड स्टेट इलेक्ट्रीसिटी एमप्लाईज मास्टर ट्रस्ट का रू० 69 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम ने और रू० 40 करोड़ झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम ने बैंक ऑफ इंडिया और इण्डियन बैंक का अपना एफडी तोड़कर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और केनरा बैंक में जेटीडीसी और जेएसईबी के नामपर खोले गए फर्जी बैंक खाते में एफडी कर दिया है;	इस संबंध में निम्नलिखित दो प्राथमिकी दर्ज है। (1) CID PS Case No. 42/2024 (2) CID PS Case No. 43/2024 (3) CID PS Case No. 44/2024 यह तीनों केस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि दोनों बैंकों में एफडी किये रुपये को फर्जी तरीके से 500 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से निकाल लिया गया है;	–
3. क्या यह बात सही है मास्टर ट्रस्ट विधि का एफडी करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऑफर दिया था, जिसमें सेन्ट्रल बैंक और केनरा बैंक शामिल नहीं थे, फिर भी दोनों निगमों ने बिचौलिए के माध्यम से पैसा वहीं जमा किए;	–
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि इस घोटाला से कितने रुपये वसूल हुए और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?	उपरोक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 389 / दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार रिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को विधान सभा में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाली महिलाओं के करीब 3 लाख आवेदन लंबित है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 50 वर्ष की उम्र पूरा कर चुकी करीब 2 लाख लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित है।	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अन्तर्गत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि स्थानीय स्तर पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुकी महिलाओं का नाम नहीं जोड़े जाने के कारणों में पदाधिकारियों द्वारा पोर्टल खराब होने की बात कही जाती है।	योजना संबंधी संकल्प के अनुपालन में योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जाते है। नवम्बर, 2025 में आयोजित "आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया गया है। विभागीय पत्रांक–3582 दिनांक–28.11.2025 एवं निदेशालय पत्रांक–80 दिनांक–03.02.2026 द्वारा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिलों को दिया गया है। सत्यापन उपरांत स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 18 वर्ष उम्र पूरा करने वाली पात्र महिलाएँ जिनका आवेदन लंबित है, उन्हें भी मंईयां सम्मान योजना का लाभ, एरियर समेत देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	आवेदनों की स्वीकृति उपरांत प्रत्येक माह रू० 2500/– की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक– 04/म. स./विधान सभा–65/2026– 546 /राँची, दिनांक– 20-02-2026
प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3972/वि.स., दिनांक–14.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

20.2.26
(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

श्री कुमार उज्जवल, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 26.02.2026 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 की उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शी आयोग (SC Advisory Commission) का गठन लंबे समय से नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण, आरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी संस्थागत व्यवस्था का अभाव बना हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं०– 1968, दिनांक– 15.09.2008 द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद नियमावली, 2008 अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०– 1968 दिनांक– 15.09.2008 द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना सं०– 1969 दिनांक– 15.09.2008 के द्वारा इसे गठित भी किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि आयोग के गठन में हो रही देरी के कारण अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित शिकायतों, नीतिगत सुझावों एवं योजनाओं की निगरानी का कोई स्वतंत्र एवं सशक्त मंच वर्तमान में उपलब्ध नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति परामर्शी आयोग के गठन हेतु अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है अथवा प्रस्ताव में मंत्रीमंडल (कैबिनेट) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है;	परिषद के पुनर्गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जल्द अनुसूचित जाति परामर्शी आयोग (SC Advisory Commission) का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 08/SC Advisory (अ०सू०)–01/2026–649 राँची, दिनांक– 20/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 3874, दिनांक– 13.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.02.26

(कृष्ण कुमार)
सरकार के उप सचिव।

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं.–अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सहित राज्य के सभी जिला में JBVNL द्वारा वर्तमान में प्रीपेड उपभोक्ताओं को अचानक पुराना बकाया बिल भेजने से लाखों उपभोक्ताओं के समक्ष आर्थिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गई है,	अस्वीकारात्मक। प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन के पश्चात् उपभोक्ताओं का प्रत्येक माह विपत्र निर्गत किया जा रहा है एवं पुराने बकाए का भुगतान लंबित होने के कारण विपत्र की राशि अधिक प्रतीत हो रही है, हालाँकि उपभोक्ताओं को बकाये विपत्र का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं, जिन्हें पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड मीटर में हस्तांतरित करते समय बकाए बिल का जानकारी नहीं दी गई, जो अनुचित है तथा बकाए बिल की भुगतान नहीं करने पर उनका विद्युत बाधित कर दी जा रही है,	अस्वीकारात्मक। उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर में हस्तांतरण से पूर्व का बकाया भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है, परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में विद्युत संबंध विच्छेदित किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि पोस्टपेड मीटर से स्मार्ट प्रीपेड, मीटर में हस्तांतरित करते समय बकाए बिल का भुगतान के बावजूद और अन्य अतिरिक्त बकाए बिल का मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाईल में भेज दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है,	अस्वीकारात्मक। उपभोक्ताओं द्वारा बकाया भुगतान किस्त की सुविधा विभाग द्वारा दिये जाने के पश्चात् भी भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विद्युत संयोग विच्छेदित किया जा रहा है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार JBVNL द्वारा राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को खण्ड–1, 2, एवं 3 में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु तथा बकाए बिल का भुगतान जैसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ के निराकरण हेतु अविलम्ब निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दे रही है, उपभोक्ताओं द्वारा बकाया अधिक होने पर संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में आवेदन देकर बकाया भुगतान हेतु अतिरिक्त समय की माँग किये जाने पर भुगतान की समय सीमा बढ़ाई भी जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 356 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि– अपर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री हेमलाल मुर्मू, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री हेमलाल मुर्मू, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा राज्य में पुराने बिजली के तार, केबल एवं पोल के स्थान पर नए तार, केबल, पोल आदि अधिष्ठापित किए जाने का प्रावधान किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। RDSS, MUJY, ADP एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जर्जर पोल, केबल एवं तार को बदलने का प्रावधान है। पुराने तार, केबल एवं पोल की स्थिति ठीक रहने पर इनका उपयोग किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के कई प्रखण्ड एवं गाँव ऐसी व्यवस्था से वंचित है, इसमें लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, अमड़ापाड़ा और गोपीकान्दर के गाँव शामिल है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड/गाँव सहित खण्ड दो में उल्लेखित प्रखण्डों के गाँवों में सुरक्षा की दृष्टि से पुराने केबल/तार एवं पोल को हटाने एवं संबंधित प्रखण्डों में इस सुविधा से वंचित गाँवों में नए केबल/पोल आदि का अधिष्ठापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 359 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–35 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में वित्तीय वर्ष 2025–26 के तहत 282000 किसानों का धान बिक्री के लिए पूरे राज्य में पंजीकरण कराया गया है, जिसमें से अभी तक 150000 किसानों को ही धान बिक्री के लिए SMS भेजा गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सम्प्रति खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में पूरे राज्य में 2,85,346 किसान निबंधित है जिनमें से 1,65,540 किसानों को धान बिक्री हेतु SMS भेजा गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि धान खरीदने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि 60 लाख क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध किसानों से अबतक मात्र 23 लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया है एवं लगभग 1 लाख 30 हजार किसान SMS के इंतजार में धान नहीं बेच पाए है;	खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में पूरे राज्य में 60 लाख क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध किसानों से अबतक 26.46 लाख क्विंटल धान का क्रय किया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान क्रय की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2026 तक निर्धारित है तथा धान क्रय हेतु शेष निबंधित किसानों को SMS भेजा जा रहा है। साथ ही, वैसे इच्छुक किसान जो धान बेचना चाहते है, Farmer Mobile App के माध्यम से स्वयं धान बिक्री हेतु तिथि एवं समय के लिए स्लॉट बुक कर सकते है।
(3) क्या यह बात सही है कि किसानों का धान सरकार द्वारा क्रय नहीं करने की उदासीनता से मजबूर किसान अपना धान सस्ते दाम पर खुले बाजार में बेचने को मजबूर है;	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(4) यदि उपर्युक्त बातों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जिन किसानों को खुले बाजार में कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ा उनको बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य के अंतर का आकलन कर भुगतान करते हुए, जिनकी वजह से किसान का धान नहीं बिक पाया उन्हें दण्डित कर, वैसे किसान जिन्होंने अभी तक अपने धान को खुले बाजार में नहीं बेचा है, उनसे अविलम्ब धान खरीदने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०–28/2026 528 /राँची, दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–4257/वि०स०, दिनांक 19.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री रोशन लाल चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं.–अ०सू०–47 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रोशन लाल चौधरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पीटीपीएस० क्षेत्र के हेसला, उचरिंगा, कटिया का कुल 222.29 एकड़ जमीन जियाडा को हस्तांतरित किया जा रहा है जिसके कारण 2000 से अधिक परिवार बेघर और 400 से अधिक दुकानदारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है इस स्थानांतरण के कारण पंचायत भवन, सरकारी स्कूल सहित कई सरकारी भवन भी टूट रहे है;	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़ (राजस्व शाखा) का पत्रांक–1962/रा०, 1963/रा० एवं 1964/रा०, दि०–19.12.2017 के द्वारा कुल रकबा–(19.97+173.49+28.83) एकड़=222.29 एकड़ भूमि जियाडा (झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार) को हस्तान्तरण हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत हो चुका है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पीटीपीएस के शेष परिसम्पति में स्थित रिक्त क्वार्टर का दर निर्धारण कर Lease पर आवंटित करने और हेसला, उचरिंगा, कटिया, जनता नगर, बिरसा मार्केट के भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने या पुर्नवास के पश्चात् भूमि हस्तांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस प्रकार का प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 391 / दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री संजीव सरदार, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न संख्या–49 का उत्तर

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में महिला कार्यकर्त्ता संगठन के रूप में सरकारी कार्यो को करने के लिए ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के रूप में लगभग 80 हजार महिलाएँ अल्प मानदेय पर कार्यरत है।</td><td>सम्प्रति 75,625 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका विभागान्तर्गत कार्यरत है। विभागीय अधिसूचना सं0–2239 दिनांक–30.09.2022 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्त्तों सहित) नियमावली, 2022 के नियम–5 अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का मानदेय निर्धारित किया गया है जो निम्न है:–
<table>
<tr><th rowspan="3">कर्मी</th><th colspan="5">मानदेय प्रति माह (राशि रू0 में)</th></tr>
<tr><th colspan="2">केन्द्रीय योजनान्तर्गत</th><th rowspan="2">राज्य योजनान्तर्गत (100%राज्य)</th><th rowspan="2">राज्य संसाधन से कुल व्यय</th><th rowspan="2">कुल</th></tr>
<tr><th>केन्द्रांश (60%)</th><th>राज्यांश (40%)</th></tr>
<tr><td>आंगनबाड़ी सेविका</td><td>2700/–</td><td>1800/–</td><td>5000/–</td><td>6800/–</td><td>9500/–</td></tr>
<tr><td>आंगनबाड़ी सहायिका</td><td>1350/–</td><td>900/–</td><td>2500/–</td><td>3400/–</td><td>4750/–</td></tr>
</table>
साथ ही, विभागीय अधिसूचना सं0–2239 दिनांक–30.09.2022 के नियम–5(3) में संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में आंगबाड़ी सेविका के मानदेय में प्रतिवर्ष रू0 500/– की वृद्धि तथा आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में प्रतिवर्ष रू0 250/– की वृद्धि अनुमान्य किया गया है। यह वृद्धि प्रतिवर्ष माह जुलाई में किये जाने का प्रावधान है।

तद्‌लोक में वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका को प्रतिमाह रू0 11,500/– एवं आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह रू0 5,750/– मानदेय भुगतान किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय से आदेश पारित है कि "समान काम के लिए समान वेतन" जिसका विभाग अनदेखी कर रही है।</td><td>–अस्वीकारात्मक–
विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2972 दिनांक–16.11.2018 द्वारा केन्द्र प्रायोजित आंगनबाड़ी सेवाएँ योजनान्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को दिनांक–01.10.2018 के प्रभाव से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–11-36/2016-CD.1 दिनांक–20.09.2018 के आलोक में क्रमशः रू0 4,500/– प्रतिमाह एवं रू0 2,250/– प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच व्यय भार 60:40 के अनुपात में है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका से विगत 10–15 वर्षों से अधिक समय से सेवा ले रही है।</td><td>–स्वीकारात्मक–</td></tr>
</table>

4.	क्या यह बात सही है कि विभागीय नियमावली के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर पात्र महिलाओं को पदोन्नति की बात का उल्लेख है और नियमावली में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को वंचित रखा गया है।	–अस्वीकारात्मक– विभागीय अधिसूचना सं0–2239 दिनांक–30.09.2022 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 के नियम–8 (1) में रिक्तियों की उपलब्ध के आधार पर वैसे आंगनबाड़ी सेविकाएँ जिन्होने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं निर्धारित अर्हताएं रखती हो, उन्हें सीमित परीक्षा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के 25% पदों पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के 64 रिक्त पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–896 दिनांक–16.02.2026 द्वारा वर्णित अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को प्रेषित की गई है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को उनके हित के लिए "समान काम के लिए समान वेतन" एवं नियमानुसार पात्र महिलाओं को पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर बहाल करने तथा EPF, सुरक्षा बीमा भविष्य निधि, रिटायरमेंट का लाभ देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–88/2026 – 591 राँची, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–4366/वि०स०, दिनांक–21.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.26

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री हेमलाल मुर्मू, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-26.02.2026 को पूछे जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-20 का प्रश्नोत्तर :-

प्रश्नकर्त्ता- श्री हेमलाल मुर्मू, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के अंतर्गत राज्य व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में जिला को मिले 323.15 करोड़ रू0 आवंटन के विरूद्ध 195.17 करोड़ रू0 खर्च हुए जिसके कारण राज्य में कृषि योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और तालाबों की स्थिति जर्जर है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में 9 (नौ) एकड़ में निर्मित तालाब की स्थिति जर्जर है;	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुल तीन तालाबों में जलकुम्भी एवं जल-पतवार का प्रकोप हो गया था। विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्ष में प्रशासक, राँची नगर निगम से तालाब की सफाई हेतु Aquatic Weed Harvesting Machine की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु मशीन कि अनुपलब्धता के कारण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तालाबों की सफाई का कार्य नहीं किया जा सका। वर्तमान में तालाबों की सफाई ई-निविदा द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषि योजनाओं के लिए आवंटित राशि का शतप्रतिशत खर्च सुनिश्चित करने तथा कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने और तालाबों का उन्नयन एवं विकास करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त दोनों कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-21/2025 - 557 कृ0, राँची, दिनांक- 24/02/2026

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-3886 दिनांक-13.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-21/2025 - 557 कृ0, राँची, दिनांक- 24/02/2026.

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोयांग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा-09 (कृषि प्रभाग)/मो0 जफर अली, Consultant, PMU, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम् (बजट) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न गुरूवार, दिनांक– 07 फाल्गुन, 1947 (श०) .....को 26 फरवरी, 2026 (ई०)
झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
285.	ऊ–20	श्री रामचन्द्र सिंह	कार्रवाई करना।	ऊर्जा	14.02.26
286.	कृष–21	श्री सुदीप गुड़िया	प्रोत्साहित करना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.26
287.	कृष–15	श्री जनार्दन पासवान	पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	13.02.26
288.	ज–26	श्री आलोक कुमार सोरेन	नहर का पक्कीकरण करना।	जल संसाधन	19.02.26
289.	ज–21	श्री सरयू राय	परियोजना पूरा करना।	जल संसाधन	13.02.26
290.	ज–29	श्री आलोक कुमार सोरेन	सिंचाई योजना बनाना।	जल संसाधन	19.02.26
291.	ऊ–23	श्री शत्रुध्न महतो	सुधार कर बिल भेजना।	ऊर्जा	17.02.26
292.	कृष–13	श्री धन्नजय सोरेन	डीप बोरिंग करना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	13.02.26
293.	ऊ–25	श्री उदय शंकर सिंह	निर्माण कराना।	ऊर्जा	17.02.26
294.	खा–08	श्री धन्नजय सोरेन	वितरण नियमित करना।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	13.02.26

क्र0पृ030

01	02	03	04	05	06
295.	मस–10	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी	समाधान करना।	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.02.26
296.	ऊ–18	श्री मनोज कुमार यादव	स्थानांतरित करना।	ऊर्जा	14.02.26
297.	ऊ–08	श्री प्रदीप प्रसाद	बिजली तारों को ऊँचा करना।	ऊर्जा	09.02.26
298.	कृष–03	श्री चन्द्रदेव महतो	रोड मैप तैयार करना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	09.02.26
299.	ऊ–24	श्री अमित कुमार यादव	विद्युत सब–स्टेशन बनाना।	ऊर्जा	17.02.26
300.	कृष–28	श्री देवेन्द्र कुंवर	शीत गृह का निर्माण करना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	18.02.26
301.	कृष–25	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी	ईलाज कराना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.26
302.	ऊ–07	श्री प्रदीप प्रसाद	विद्युत व्यवस्था दुरुस्थ करना।	ऊर्जा	09.02.26
303.	ज–05	श्री अमित कुमार	अग्रेत्तर कार्रवाई करना।	जल संसाधन	09.02.26
304.	ज–04	श्रीमती श्वेता सिंह	योजना शुरू कराना।	जल संसाधन	09.01.26
305.	ज–16	श्री सुरेश पासवान	लाईट लगाना।	जल संसाधन	13.02.26
306.	ज–03	श्रीमती श्वेता सिंह	चेक डैम कार्य पूर्ण करना।	जल संसाधन	09.02.26
307.	ज–24	श्रीमती सबिता महतो	मुआवजा भुगतान करना।	जल संसाधन	17.02.26
308.	कृष–20	श्री रामचन्द्र सिंह	कृषि महाविद्यालय का अधिष्ठापन।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	14.02.26
309.	मस–09	श्री सुदीप गुड़िया	गया भवन बनाना।	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.02.26
310.	कृष–22	श्री शत्रुघ्न महतो	मानदेय देना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.26
311.	ऊ–02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	अंडरग्राउण्ड वायरिंग करना।	ऊर्जा	09.02.26
312.	ऊ–28	श्री संजीव सरदार	परिवर्तित करना।	ऊर्जा	19.02.26
313.	ज–25	श्रीमती मंजु कुमारी	जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	17.02.26
314.	कृष–16	श्री जनार्दन पासवान	कानूनी कार्रवाई करना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	13.02.26

कृ0प्र030

01	02	03	04	05	06
315.	कृष-26	श्री उदय शंकर सिंह	शीघ्र चालू कराना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	17.02.26
316.	ऊ-01	श्री चन्द्रदेव महतो	कार्य पूर्ण करना।	ऊर्जा	09.02.26
317.	ज-17	श्री अमित कुमार	पक्कीकरण करना।	जल संसाधन	13.02.26
318.	ज-28	श्री नरेश प्रसाद सिंह	तटबन्ध निर्माण कराना।	जल संसाधन	19.02.26
319.	कृष-07	श्री अनन्त प्रताप देव	दुग्ध शीतक केन्द्र खोलना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	13.02.26
320.	ज-13	श्री सुरेश पासवान	राशि देना।	जल संसाधन	13.02.26
321.	ज-27	श्री नरेश प्रसाद सिंह	बर्बाद होने से बचाना।	जल संसाधन	19.02.26
322.	ज-23	श्री मनोज कुमार यादव	जीर्णोद्धार कराना।	जल संसाधन	14.02.26
323.	कृष-31	श्री भूषण बड़ा	ठोस कदम उठाना।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	19.02.26
324.	ज-08	श्री अनन्त प्रताप देव	चेकडैम निर्माण कराना।	जल संसाधन	13.02.26

राँची,
दिनांक-26 फरवरी,2026 (ई०)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-10/2025.....4345...../वि०स०,राँची,दिनांक-..21.02.26..

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/2026

(गुरुचरण सिंह)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-10/2025.....4345...../वि०स०,राँची,दिनांक-..21.02.26....

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक,आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/2026

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-10/2025.....4345...../वि०स०,राँची,दिनांक-..21.02.26..

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/वेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा एवं J.V.S.Tv. शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/2026

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

21/02

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.–ऊ०–20 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका, बरवाडीह, गारू, सरयू एवं महुआडांड प्रखण्डों में बिजली व्यवस्था का सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना और पुर्नगठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति और नये पोल, तार व ट्रांस्फारमर लगाकर बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करना है;	स्वीकारात्मक। लातेहार जिला के मनिका, बरवाडीह, गारू, सरयू एवं महुआडांड प्रखण्डों में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना (MUJY) अंतर्गत कुल 144 चयनित अविद्युतीकृत टोलों को विद्युतीकृत किया जाना एवं अविद्युतीकृत घरों को विद्युत संबंध प्रदान किया जाना है, जिसमें अभी तक कुल 49 अविद्युतीकृत टोलों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेश टोलों का विद्युतीकरण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त प्रखण्डों में पुर्नगठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत LT overhead wire को A B Cable से बदलने का कार्य, नए 11 के0भी0 लाइन निर्माण का कार्य एवं नए ट्रान्सफार्मर स्थापित कर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करना है एवं वर्तमान में इस योजना के तहत 225 स्थानों में से 156 स्थानों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष स्थानों पर विद्युतीकरण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में योजना के तहत जिस विद्युत संवेदक द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो प्राक्कलन के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिससे जल्द ही बिजली पोल टेढ़े हो जा रहे है और बिजली बाधित हो जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। संवेदक द्वारा विद्युतीकरण हेतु निर्गत कार्यादेश के आलोक में ही कार्य की जा रही है। कार्य की गुणवत्ता की नियमित जाँच बाह्य एजेंसी (PMA) एवं विभाग के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर की जाती है। संवेदक द्वारा किए गए कार्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो संवेदक से उसे ससमय सुधार कारवाई की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी प्रखण्डों में संवेदक द्वारा करायी जा रही बिजली कार्य की गुणवत्ता की जांच कर संवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संवेदक द्वारा किए गए कार्य में जो त्रुटि विभाग के संज्ञान में आती है उसे ससमय सुधार कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 357 /

दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–कृष–21 का

प्रश्नोत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता– श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मण्डी नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र में सब्जी फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर प्रदान कर असुरक्षित पलायन को अंकुश लगाया जा सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र को (मोटे अनाज) मिलेट्स हब के रूप में विकसित किया जा सकता है;	राज्य के 24 जिलों में झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूरे राज्य में कुल 21818 कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1044.00 लाख (दस करोड़ चौवालीस लाख रूपये) रूपया प्रदान किया गया है, जिसमें से खूँटी जिला के कुल 1306 कृषकों को 60.00 लाख (साठ लाख रूपये) प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त विषयों पर सकारात्मक पहल कर सब्जी मण्डी, सब्जी फसलों को प्रोत्साहित कर रोजगार, मिलेट्स हब के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तोरपा विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025–26 में "उद्यान विकास की योजना" अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न प्रकार के हाईब्रीड सब्जी बीज यथा– टमाटर, खीरा, भिण्डी, नेनुआ, फेंचबीन्स, कद्दू, धनिया, ओल कन्द बीज, अदरक कन्द बीज, गृह वाटिका किट, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, बिषझा उत्पादन इकाई तथा पॉली हाउस आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजना पूरे राज्य में संचालित है, जिसके तहत झारखण्ड राज्य को मिलेट हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि खूँटी जिला अन्तर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र इस योजना से आच्छादित एवं लाभान्वित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ०वि०स०(ता०)–22/2025 – 539 **कृ०, राँची, दिनांक–** 24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–4141 दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

(बिभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ०वि०स०(ता०)–22/2025 – 539 **कृ०, राँची, दिनांक–** 24/02/2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा–09 (कृषि प्रभाग)/मो० जफर अली, Consultant, PMU, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के उप सचिव।

श्री आलोक कुमार सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का (7) शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि प्रखण्ड–शिकारीपाड़ा अंतर्गत कैराबनी जलाशय योजना के तहत् ग्राम–मेहुलबन्ना तक नहर का पक्कीकरण किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के तहत् ग्राम–मेहुलबन्ना से ग्राम–जामकांदर, पर्वतपुर, राजबांध तक लगभग 3.5 कि०मी० नहर का पक्कीकरण नहीं किया गया है, पक्कीकरण नहीं होने से पानी की बर्बादी होती है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त जलाशय योजना के तहत् किसानों के हित में ग्राम–मेहुलबन्ना से ग्राम–जामकांदर, पर्वतपुर राजबांध तक नहर का पक्कीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कैराबनी मुख्य नहर की कुल लंबाई 3.41 कि०मी० है, जिसमें प्रथम चरण में नहर पक्कीकरण का कार्य कराया जा चुका है। मुख्य नहर से अंतिम छोर से निःसृत महोलबन्ना वितरणी की कुल लंबाई 2.16 कि०मी० में 1.04 कि०मी० में नहर पक्कीकरण का कार्य किया गया है। महोलबन्ना वितरणी के अंतिम छोर से निःसृत पर्वतपुर उप वितरणी (कुल लंबाई 2.26 कि०मी०), राजबांध उप वितरणी (कुल लंबाई 1.50 कि०मी०) एवं असना उप वितरणी (जामकांदर) (कुल लंबाई 2.90 कि०मी०) का पक्कीकरण का कार्य नहीं कराया गया है। प्रथम चरण में मुख्य नहर एवं शाखा नहर का पक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसके उपरान्त बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में वितरणियों के पक्कीकरण का कार्य कराने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–32/2026– 970 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–4249 वि०स० दिनांक–19.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–21 की उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का आरंभिक प्राक्कलन रूपये 128.99 करोड़ था, परन्तु विश्व बैंक ने 1982 में इसे बढ़ाकर रूपये 480 करोड़ कर दिया है। फिलहाल परियोजना की लागत रूपये 14,500 करोड की हो गई है, जबकि इसका 35 प्रतिशत से अधिक कार्य शेष है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता की रूपये 616 करोड भारत सरकार ने विमुक्त नहीं किया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2018 के बाद व्यय का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र जल शक्ति मंत्रालय को नहीं भेजा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, केन्द्र सरकार परियोजना के बजट का 60 प्रतिशत देने पर सहमत है, परन्तु बजट में अपर्याप्त राशि का प्रावधान होने के कारण भारत सरकार से अधिकतम सहायता नहीं प्राप्त हो रही है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र से अधिकतम सहायता राशि प्राप्त कर परियोजना को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वर्ष 1977 में रू० 128.99 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्तमान में परियोजना की पुनर्मूल्यांकित राशि रू० 14,949.744 करोड़ है। परियोजना का अभी तक भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत है। 2. परियोजना हेतु वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 तक कुल रू० 1889.61 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है एवं रू० 616.95 करोड़ शेष है। प्राप्त केन्द्रीय अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को विभागीय पत्रांक–146 दिनांक–19.02.2020 द्वारा भेजा गया है।

		वर्ष 2019–20 से अब तक परियोजना पर हो रहे व्यय का वहन पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसका वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्रीय जल आयोग को ससमय भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमशः विभागीय पत्रांक–373 दिनांक– 21.06.2021, पत्रांक–493 दिनांक–03.06.2022, पत्रांक–396 दिनांक–15.05.2023, पत्रांक–497 दिनांक– 07.06.2024 एवं पत्रांक–560 दिनांक–21.07.2025 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, राँची को भेजा गया है।
		3. (i) वर्ष 2011–12 में AIBP के तहत् परियोजना को शामिल करते हुए AIBP घटक के लिए झारखण्ड राज्य की हिस्सेदारी रू० 3807.77 करोड़ तथा केन्द्र एवं राज्य का शेयर 90:10 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। जिसके अनुसार परियोजना हेतु व्यय में Central Share रू० 3289.19 करोड एवं State Share रू० 365.47 करोड़ निर्धारित हुए थे। (ii) बाद के वर्षों मे Central Share एवं State Share में परिवर्तन (वर्ष 2014–15 से 75:25 प्रतिशत एवं वर्ष 2016–17 से 60:40 प्रतिशत) होने के कारण दिनांक 01.04.2016 को Effective Central Share की राशि घटकर रू० 2506.56 करोड़ एवं State Share बढ़कर रू० 1301.21 करोड़ हो गयी। (iii) दिनांक 01.04.2016 तक Central Share की राशि में रू० 1132.88 करोड़ विमुक्त किया जा चुका था एवं केन्द्रीय अनुदान की शेष राशि रू० 1373.68 करोड़ मात्र रह गयी। (iv) वर्ष 2019 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा Fast Track Performance Clearance (FTPC) के अन्तर्गत परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू० 14,949.744 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत झारखण्ड AIBP घटक की राशि रू० 9579.58 करोड़ हो गयी। (v) परियोजना लागत में हुई वृद्धि को FTPC द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरांत भी केन्द्रीय अनुदान मूल AIBP

		समझौते के अनुरूप स्थिर (फ्रीज) है, जिसके कारण वर्ष 2018–19 में Central Share की राशि रू० 2506.56 करोड़ मात्र ही रही, परन्तु State Share बढ़कर रू० 7073.02 करोड़ हो गया। जिसके कारण परियोजना की लागत में हुई वृद्धि का पूर्ण वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ रहा है। (vi) वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक कुल रू० 756.73 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ तथा रू० 616.95 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान शेष रहा गया है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में परियोजना की बढ़ी हुई लागत तथा केन्द्रीय अनुदान के स्थिर (फ्रीज) होने के कारण Effective Central Share 60 प्रतिशत से घटकर मात्र 17.92 प्रतिशत रह गया है। राज्य सरकार इस परियोजना के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं केन्द्रीय अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–तारांकित–22/2026– 386 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०– प्र०–3876 दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री आलोक कुमार सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है दुमका जिला 07–शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि प्रखण्ड–शिकारीपाड़ा अंतर्गत ग्राम–आसनबनी पंचायत–पिनरगड़िया में बंद पड़े बड़े पत्थर खादानों में लबालब जल भरा पड़ा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त बंद पड़े पत्थर खादानों के जल से किसान खेती करने के उपयोग में ले सकते हैं जिससे लगभग 500 एकड़ भूमि सिंचित क्षेत्र हो सकता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्थल निरीक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं लाभ–लागत के दृष्टिकोण से उपयुक्त पाये जाने पर योजना निर्माण पर आवश्यक कार्रवाई किया जा सकेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर उपरोक्त बंद पड़े पत्थर खादानों का जल का उपयोग किसानों के हित में सिंचाई योजना बनाकर शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–31/2026– 969 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–4251 वि०स० दिनांक–19.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

Kumar Soren.docx

श्री शत्रुघ्न महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.–ऊ०–23 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री शत्रुघ्न महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त एवं स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद ग्रामीणों को लगातार त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र भेजा जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिजली विभाग द्वारा भेजे गए त्रुटिपूर्ण विपत्र को वापस लेते हुए सुधार कर बिल भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्मार्ट मीटर एक आधुनिक एवं विकसित तकनीक आधारित मीटर है, जिसमें उपभोक्ता का विपत्र प्रतिदिन के खपत अनुसार एक नियमित अंतराल पर निर्गत किया जाता है। अबतक लगाए गये स्मार्ट मीटरों में से 30,521 मीटरों का औचक स्थल निरीक्षण कराया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई है। स्मार्ट मीटर के अतिरिक्त अन्य मीटरों के विपत्र संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल स्तर से जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 372 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री धनन्जय सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–13 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री धनन्जय सोरेन, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान सभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अपनी आजीविका के लिए जनता पूर्णतः कृषि पर निर्भर है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बोरियो विधान सभा क्षेत्र के चारों प्रखण्ड मंडरो, बोरियो, तालझारी एवं बोआरीजोर में सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नही है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2025–26 में भूमि संरक्षण कार्यालय, साहेबगंज द्वारा बोरियो, तालझारी और मंडरो प्रखण्ड में 10 तालाब, 34 परकोलेशन टैंक, वित्तीय वर्ष 2024–25 में 27 तालाब, 73 परकोलेशन टैंक एवं 09 डीप बोरिंग तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 24 तालाब, 64 परकोलेशन टैंक एवं 10 डीप बोरिंग का जीर्णोद्धार/निर्माण कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि यदि बोरियो विधान सभा क्षेत्र के चारों प्रखण्डों में कम से कम 10–10 डीप बोरिंग की व्यवस्था कर दी जाय तो किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था हो जायेगी;	उपलब्ध वजटीय अधिसीमा के अधीन राज्य के सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। विभागीय राज्यादेश सं0–36 दिनांक–23.07.2025 द्वारा साहेबगंज जिले को वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 13 डीप बोरिंग का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त प्रखण्डों में डीप बोरिंग कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–20/2025 – 540 **कृ0, राँची, दिनांक**–24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–4256, दिनांक–19.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–20/2025 – 540 **कृ0, राँची, दिनांक**–24/02/2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा–09 (कृषि प्रभाग)/मो0 जफर अली, Consultant, PMU, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ऊ०–25 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सारठ–मधुपुर पावर ग्रिड से 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इतने बड़े क्षेत्र की देख–रेख के लिए एक भी कनीय अभियंता (जूनियर इंजीनियर) (J.E) की प्रतिनियुक्ति नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में कनीय विद्युत अभियंता की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, जबकि विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं
3. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रिड का भवन केवल दो (02) कमरों का है, जो जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित ग्रिड एवं इतने बड़े क्षेत्र को देखते हुए पर्याप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने के साथ ही खण्ड–03 में वर्णित भवन का विस्तार करते हुए निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आवश्यकतानुसार विभिन्न पदों को भरने के लिए जे०पी०एस०सी०/एस०एस०सी०/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने से संबंधित प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 373 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री धनन्जय सोरेन,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र के चारो प्रखण्डों में राशन कार्डधारकों को हर माह राशन देने के लिए नियमित व्यवस्था संचालित है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि बोरिया विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है;	अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुक परिवार एवं उनके सदस्यों को ई–पॉश मशीन के माध्यम से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जाता है। निर्धारित मानक के अनुरूप वितरण किए जाने के उद्देश्य से ई–पॉस मशीन को वेईंग मशीन के साथ सम्बद्ध किया गया है। बोरियो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत माह जनवरी, 2026 में NFSA योजना का वितरण प्रतिशत प्रखण्डवार निम्नवत् है:– (i) बोरियो– 88.40% (ii) मंडरो– 90.27% (iii) तालझारी– 92.27% (iv) साहेबगंज प्रखण्ड–92.99% (v) साहेबगंज शहर– 90.56%
(3) क्या यह बात सही है कि बोरिया विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों एवं मूलवासियों को राशन सुचारू एवं नियमित ढंग से नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। राशन वितरण में मासिक चक्र लागु है। ऐसे में NFSA एवं JSFSS के खाद्यान्न संबंधित माह में ही वितरित किये जाते है। सभी पात्र राशन कार्डधारियों को सुचारू एवं नियमित रूप से राशन मिल रहा है।
(4) क्या यह बात सही है कि राशन के वितरण में पारदर्शिता अति आवश्यक है;	स्वीकारात्मक। लाभुकों को राशन का वितरण ई–पॉस मशीन के माध्यम से बॉयोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत किया जाता है जिसकी पूर्ण विवरणी विभागीय आहार पोर्टल एवं SMART PDS पोर्टल पर प्रदर्शित होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहती है।
(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशन वितरण नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–4/ज०वि०प्र०/वि०स०–16/2026 529 /राँची, दिनांक 24/2/26

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3871/वि०स०, दिनांक 13.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, सिमडेगा जिला आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र और अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अंतर्गत कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष 2025–26 में कई जगहों के लिए नया आँगनबाड़ी भवन निर्माण शुरु किया गया था जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय मद से 02 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण शुरु किया गया है। इनमें से एक भवन में निर्माण कार्य लिंटन स्तर तक किया जा चुका है तथा दूसरे भवन में ढलाई कार्य उपरांत प्लास्टर का कार्य किया जा रहा है। इन भवनों में दिनांक–31.03.2026 तक कार्य पूर्ण हो जाना संभावित है।
3.	क्या यह बात सही कि आँगनबाड़ी केंद्र समय से पूर्ण नहीं होने के कारण आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र के गरीब बच्चें, गर्भवती महिलाएँ का केयर और कुपोषण मुक्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाऐं प्रभावित हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से एक का संचालन विद्यालय भवन में तथा दूसरे का संचालन किराया भवन में कराते हुए इसके लाभार्थियों को एतद् सेवाएँ सुचारु रुप से वितरित कराई जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आदिवासी समुदायों एवं इनकी घटती जनसंख्या अनुपातों और इनके प्रारंभिक देख भाल के साथ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी योजनाओं के उद्देश्यों की सफल सुचालन हेतू अधुरे आँगनबाड़ी भवन निर्माण संबंधी कारणों का समाधान करना चाहती है, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–74 / 2026 – 589 राँची, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–4152 / वि०स०, दिनांक– 17.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.26

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ऊ०–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखण्ड स्थित खेल मैदान के बीचो–बीच 33,000 वोल्ट (33KV) की उच्च शक्ति विद्युत प्रवाहित तार गुजरती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। चौपारण प्रखण्ड के समीप खेल मैदान के मध्य से 11 के0भी0 का तार गुजरती है।
2. क्या यह बात सही है कि इस मैदान में प्रतिदिन सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास करते है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित और खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए उक्त विद्युत लाईन को खेल मैदान की परिधि से बाहर स्थानांतरित (Shifting) करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	चौपारण प्रखण्ड स्थित खेल मैदान के मध्य में पूर्व से ही 11 के0भी0 Chouparan Town Feeder गुजर रही है। जनहित एवं खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए युद्धस्तर पर Survey कर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करते हुए 11 के0भी0 लाईन को यथाशीघ्र खेल के मैदान के मध्य से स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 358 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रदीप प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं॰–ऊ०–08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा पुराने बिजली पोलों को हटाकर नए बिजली पोल स्थापित किए जा रहे हैं, परंतु कई स्थानों पर सड़क के किनारे बिजली पोल स्थापित न करके सड़को और नालियों के परिधि के अंदर ही कुछ दूरी पर इन बिजली पोलों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो रही है तथा 9 मीटर का बिजली पोल होने के बावजूद 1.5 मीटर जमीन में गाड़ने के बाद बिजली के तारों का अधिष्ठापन 7.5 मीटर पर न करके कहीं 6 मीटर तो कहीं 6.5 मीटर पवर किया जा रहा है, जिससे एकरुपता नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में नए बिजली पोल स्थापित किए जा रहे हैं। इन पोलों की स्थापना सड़क/नाली से पर्याप्त दूरी पर किया जाता है। परन्तु कुछ एक स्थानों में जहां सड़क किनारे मकान, दुकान, पानी पाईप एंव अन्य अवरोध पहले से मौजूद है, वहां पोल को अधिकतम दूरी की सीमा पर स्थापित किए जाने के बावजूद यह दूरी थोड़ी कम हो सकती है। क्षेत्र में गाड़े जा रहे पोलों में से 8 मीटर एंव 9 मीटर लम्बाई दोनों ही तरह के पोल गाड़े जा रहे हैं, जो मानकता के अनुरुप है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त अनियमितता की जांच करवाते हुए इन विसंगतियों को दूर करवाने और भविष्य के हिसाब से जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों के हिसाब से सड़क और नाली से निर्धारित दूरी पर बिजली पोल को स्थानांतरित करवाते हुए विभाग द्वारा भविष्य और ऊँचे वाहनों तथा श्री रामनवमी और सरहूल, आदि त्यौहारों पर निकलने वाली शोभायात्रा और झांकियों, इत्यादि की ऊँचाई को ध्यान में रखते हुए उक्त बिजली पोलों पर बिजली के तारों को निर्धारित ऊँचाई और दूरी पर अधिष्ठापित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग में RDSS योजना अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है एवं किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच झारखण्ड बिजली वितरण निगम के द्वारा की जाती है साथ ही वरीय विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर नियमित अंतराल पर पर्यवेक्षण की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 360 / दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\AVP\Vidhan Sabha (Question & Answer)\6th Session Budget 2026\Answer.docx 21

श्री चन्द्रदेव महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–03 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री चन्द्रदेव महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर, बलियापुर, टुण्डी के कृषक पाठशाला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के रूप में प्रचारित किया गया वह आज स्वयं बदहाली और अव्यवस्था का शिकार है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन के द्वारा कृषक पाठशाला में निरीक्षण के बावजूद संदेवक/एजेंसी किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण दिलाने में असक्षम है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कृषक पाठशालाओं का सामाजिक–आर्थिक ऑडिट एवं योजना को वास्तविक रूप से सफल बनाने के लिए समयबद्ध रोडमैप तैयार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर समिति गठित है, तदनुसार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(तारांकित प्रश्न)–12/2025 –538 कृ0, राँची, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3563 दिनांक–22.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(तारांकित प्रश्न)–12/2025 –538 कृ0, राँची, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा–09 (कृषि प्रभाग)/मो0 जफर अली, Consultant, PMU, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ऊ०–24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम–बेड़ोकला में विद्युत सब–स्टेशन की स्वीकृति 7 वर्ष पूर्व प्रदान की गयी थी, परंतु अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस कारण आस–पास के इलाके में विद्युत संबंधी समस्या बनी रहती है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम–बेड़ोकला में पूर्व में किसी विद्युत सब–स्टेशन की स्वीकृति नहीं की गयी थी।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड के ग्राम–बेड़ोकला में 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण के लिए उपायुक्त, हजारीबाग को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि आवंटन के उपरांत आगामी वार्षिक विकास योजना के अन्तर्गत इस कार्य को शामिल करते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 375 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री देवेन्द्र कुंवर, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-28 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री देवेन्द्र कुंवर, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जरमुन्डी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सोनारायडीह प्रखंड में Cold Storage Building की कोई व्यवस्था नहीं होने से किसान, व्यापारी, आम जनता परेशान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जरमुण्डी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सोनारायडीह प्रखंड में कोई भी Cold Storage Building नहीं है। जरमुण्डी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जरमुण्डी प्रखण्ड (दुमका) में 5000 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया गया है तथा उक्त कोल्ड स्टोरेज का संचालन M/s Electro-Mech Engineers, Chas, Bokaro के द्वारा किया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में 100MT क्षमता वाली शीत गृह का निर्माण वर्तमान Financial Year 2026-27 में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रथम चरण में एक लैम्पस/पैक्स में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स-सह-सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम का निर्माण हेतु बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट (विधानसभा)-तारांकित-09/2026 सह0 251 /राँची, दिनांक- 24/02/2026

प्रतिलिपि:-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-4209 वि0स0 दिनांक-18.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, मा० सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०– कृष–25 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, मा० सदस्य विधान सभा	उत्तरदाता श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा० मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं सिमडेगा जिला अंतर्गत ठेठाईटांगर प्रखंड के कोरोमियां पंचायत में कई पशुओं की अज्ञात संक्रमित बीमारी से अकाल मृत्यु हुई है;	स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला के ठेठाईटांगर प्रखंड के कोरोमिया पंचायत मे अज्ञात बीमारी से 16 पशुओं की अकाल मृत्यु हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि गरीब किसानों के पशुओं का अज्ञात संक्रमण से आकस्मिक मृत्यु के कारण गरीब किसानों को काफी आर्थिक हानि हुई है और प्रभावित किसानों का कृषिकार्य भी प्रभावित हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अज्ञात संक्रमण रोगों से आकस्मिक मृत पशुओं के कारण किसानों को हुई क्षति की भरपाई (क्षति पूर्ति) करने के साथ अज्ञात संक्रमित बीमारियों का पता लगा कर बाकी बचे पशुओं का संरक्षण या इलाज करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	सिमडेगा जिला के ठेठाईटांगर प्रखड के कोरोमिया पंचायत में अज्ञात बीमारी से पशुओं की मृत्यु उपरांत दिनांक–10.02.2026 को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, कांके, राँची के त्रि–सदस्यीय जाँच दल द्वारा कोरोमियां आकर पशुओं का जाँच किया गया। जाँच के क्रम मे दो मृत एवं एक जीवित पशु का सेम्पल लेकर जाँच के लिये RDDL, कोलकता भेजी गई थी, जिसकी जाँच रिपोर्ट Negative आई है। पंचायत कोरोमियां में बाकी बीमार पशु ईलाज के बाद स्वस्थ हो गये है। वर्तमान मे कोरोमिया पंचायत मे किसी भी प्रकार के पशुओं के मरने की सूचना नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 19/2026 ....232....... राँची, दिनांक 21.02.26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–4143 दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 19/2026 ....232....... राँची, दिनांक 21.02.26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–288 दिनांक–18.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के अवर सचिव

श्री प्रदीप प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.–ऊ०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में 11 हजार वोल्ट के बिजली तारों का ओवरहेड वायरिंग पुराने हो जाने के कारण ये काफी घातक हो गए हैं और अक्सर टूटते रहते हैं, जिससे जान–माल की हानि होती है और कोई भी घातक घटना कभी भी घटित हो सकती है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में हजारीबाग में 11 हजार वोल्ट के बिजली केबल का आभाव होने के कारण उक्त जर्जर तारों को बदलना मुश्किल हो रहा है और अभी 1 महिने बाद श्री रामनवमी का महापर्व आने वाला है, जिसमें ऊँचे–ऊँचे झण्डे और झांकियां तथा शोभायात्रा निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इन तारों के नीचे और इनके संपर्क क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी घातक घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान मे अधिष्ठापित 11 के0भी0 ओभरहेड तार द्वारा बिजली सुचारू रूप से आपूर्ति की जा रही है। विशेष अवसरों पर यथा जुलुस आदि के समय पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण हेतु स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त 11 हजार वोल्ट के जर्जर तारों को रामनवमी महापर्व से पूर्व बदलवा कर विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग शहर के अंतर्गत प्रशासन द्वारा चिन्हित रामनवमी मुख्य मार्ग लगभग 15 कि0मी0 है, जिसमें से लगभग 07 Ckm 11KV का लाईन UG cable में Underground कर दिया गया है एंव शेष 11KV Line overhead है, जिसमें समय–समय पर आवश्यक मरम्मती का कार्य किया जाता है एंव बिजली सुचारु रुप से चालू है। शेष 11KV Overhead line को UG cable में बदलने के कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित राज्य सम्पोषित वार्षिक विकास योजना में प्रस्तावित किया गया है। योजना के अनुमोदनोपरांत कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 361 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, राँची जिलान्तर्गत प्रस्तावित राढू जलाशय योजना एक मध्यम सिंचाई योजना है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, प्राक्कलन संशोधन हेतु विभागीय पत्रांक– 1/PMC/Rarhu-CWC-193/2013-580 दिनांक 22.11.2024 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को निदेशित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ही संशोधित प्राक्कलित राशि के साथ जलाशय योजना हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के अनुसार पुनरीक्षित DPR, CWC के e-PAMS पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है। DPR का अनुमोदन होने के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–05/2026– 360 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3568 वि०स० दिनांक–09.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

kumar.docx

श्रीमती श्वेता सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य सरकार द्वारा वर्षाजल के अधिकतम संरक्षण, नदियो एवं सहायक नालों के प्राकृतिक प्रवाह को सुदृढ़ करने तथा भू–जल पुनर्भरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, बोकारो विधानसभा क्षेत्र में स्थित नदियां एवं नाले वर्षा ऋतु में तो प्रवाहित रहते है, परंतु शेष समय जल संरक्षण संरचनाओं के अभाव में उनका प्रवाह स्थायी नहीं रह पाता है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त एवं खण्ड 2 के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो विधानसभा क्षेत्र में वर्षाजल संरक्षण नदियों एवं नालो के सुदृढ़ीकरण तथा उनके सतत प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु योजना शुरू करने का विचार रखती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ ?	विभाग द्वारा वर्षा जल संरक्षण, नदियों एवं नालों के सुदृढ़ीकरण हेतु आहर/बांध/मध्यम सिंचाई योजना/पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य के साथ–साथ चेकडैम एवं सरकारी /अर्द्धसरकारी एवं सार्वजनिक भवनों में रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। बोकारो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्षो में कुल 10 अदद चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण तथा 15 अदद बांध/मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन कार्य किया गया है, जिससे कंडिका–1 में वर्णित उददेश्य के साथ–साथ कुल 1361 हे० सिंचन क्षेत्र का सृजन/पुनर्जीवित किया गया है। क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण/पुनर्स्थापन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी संभाव्यता पाए जाने के उपरांत प्राक्कलन तैयार कर बजेटीय उपबंध को देखते हुए आगामी वर्षो में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–04/2026..962.. / राँची, दिनांक–25.02.26

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–3570 दिनांक–09.02.2026 के क्रम में 05 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री सुरेश पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पुनासी जलाशय योजना में सौंदर्यीकरण हेतु बड़ी राशि लगाकर लाईटिंग का कार्य किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात भी सही है कि लगाये गये लाईटिंग में सही गुणवत्ता नहीं रहने के कारण अधिकतर लाईट रात में बुझा रहता है जिससे डैम में खतरा बना रहता है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लाईट लगाने वाले संवेदक पर कार्यवाही करते हुए सही लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विषयांकित कार्य योजना में पुनासी बाँध के सेवा पथ के दोनों ओर लगाये गये सभी लाईटिंग के कार्य गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रावधानित विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। सभी लाईट की स्थापना वर्ष 2023 में की गई थी। गत वर्ष अत्याधिक वर्षा होने एवं लाईटिनिंग (Thundering) होने के फलस्वरूप Short circuit हुआ, जिस कारण कुल 142 लाईट में से 22 लाईट में खराबी आ गई है। खराब लाईट के मरम्मति कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–तारांकित–18/2026– 955 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3880 वि०स० दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26.

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

Paswan.docx

श्रीमती श्वेता सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य सरकार द्वारा भू–जल स्तर में वृद्धि मृदा क्षरण पर नियंत्रण तथा स्थानीय जल स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के उददेश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चेकडैम का निर्माण कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, बोकारो विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है तथा वर्षाजल संरक्षण की पर्याप्त संरचनाएँ उपलब्ध नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र में चेकडैम निर्माण हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा वर्तमान में कितने चेकडैम प्रस्तावित है और उनके कार्य कब तक पूरी होगी।	बोकारो विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा कुल 10 अदद चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे कंडिका–1 में वर्णित उददेश्य के साथ–साथ क्षेत्र में 923 हे0 सिंचन क्षेत्र सृजित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत करहरिया, सिजुआ एवं नवाडीह पंचायतों में तीन अदद चेकडैम निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। क्षेत्र अंतर्गत अन्य योजनाओं के निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी संभाव्यता पाए जाने के उपरांत प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध को देखते हुए आगामी वर्षा में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–03/2026..967 / राँची, दिनांक– 25.02.26

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–3572 दिनांक–09.02.2026. के क्रम में 05 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्रीमती सबिता महतो, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र में सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अंतर्गत दाँया तट शिविर निर्माण हेतु घोड़ानेगी गाँव की रैयती जमीन का अधिग्रहण किया गया है ;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात भी सही है कि विभाग द्वारा लगभग 40 वर्षों से कार्यालय, आवासीय कॉलोनी, निरीक्षण भवन, पोलिटैक्नीक कॉलेज, गोदाम इत्यादि का निर्माण कर लिया गया परंतु आजतक रैयतदारों को जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है ;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त एवं खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घोड़ानेगी गाँव के रैयतदारों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>1. सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अन्तर्गत दाँया तट शिविर निर्माण हेतु ग्राम–घोड़ानेगी, थाना– चाण्डिल थाना नं०–205, जिला– सरायकेला– खरसावाँ में अभिलेख सं०–167/76–77 से 9.80 एकड़ एवं अभिलेख सं० 168/76–77 से 46.78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन के द्वारा वर्ष 1976–77 में किया गया है।
2. मुआवजा भुगतान वर्ष 1978 में किया गया है, जिसका विवरणी निम्नवत् है :–

भू–अर्जन अभिलेख सं०– 167/76–77

<table>
<tr><td>1.</td><td>CC भाउचर के द्वारा रैयतों को भुगतान की गई राशि</td><td>रू० 3283.12</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>R.D. हेड में जमा (जो रैयतों द्वारा भुगतान नहीं लिया गया)</td><td>रू० 552.09</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>029 LR हेड में जमा</td><td>रू० 29.80</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :–</td><td>रू० 3865.01</td></tr>
</table>

भू–अर्जन अभिलेख सं०– 168/76–77

<table>
<tr><td>1.</td><td>CC भाउचर के द्वारा रैयतों को भुगतान की गई राशि</td><td>रू० 82890.65</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>R.D. हेड में जमा (जो रैयतों द्वारा भुगतान नहीं लिया गया)</td><td>रू० 5048.75</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>029 LR हेड में जमा</td><td>रू० 1754.80</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :–</td><td>रू० 89694.20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

E:\MIS\Vidhan Sabha\Feb-Mar 2026\26.02.2026\J-24 Sabita Mahato.docx

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–29/2026– 956 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–4149 वि०स० दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–11 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26.

सरकार के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–20 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री रामचन्द्र सिंह, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधान–सभा क्षेत्र का सभी प्रखण्ड यथा–मनिका, बरवाडीह, सरयू, गारू, महुआडॉड एवं लातेहार का अधिकांश भू–भाग पलामू व्याघ्र परियोजना एवं भेड़िया अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण Eco Sensitive Zone घोषित है जिस कारण यहाँ के निवासी मूलतः कृषि आधारित कार्यों पर ही निर्भर है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरवाडीह मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय का अधिष्ठापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	बरवाडीह मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का वर्त्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–05/बी0ए0यू0(तारांकित प्रश्न)–05/2026 – 543 कृ0, राँची, दिनांक– 24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3973 दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदीप गुड़िया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान सभा क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित अधिकांश आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति जर्जर अवस्था में है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तोरपा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित 261 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 32 आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवन की स्थिति जर्जर अवस्था में पायी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य द्वारा संचालित कई आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्वभवन नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तोरपा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 64 आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्व–भवन नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तोरपा विधान सभा क्षेत्र के जर्जर हो चुके आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं भवन विहिन आँगनबाड़ी केन्द्रों को नया भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	1. उपर्युक्त 32 जर्जर आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों में से– क) 01 आंगनबाड़ी केन्द्र में भवन निर्माण कराया गया है ; ख) 06 केन्द्रों का निकटवर्त्ती विद्यालयों में सह–स्थापन (Co-location) तथा 03 केन्द्रों का सामुदायिक भवन में, 04 केन्द्रों का किराया भवन में शिफ्ट कराया गया है ; ग) 18 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों में मरम्मति का कार्य कराया जायेगा। 2. उपर्युक्त 64 भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से– क) 03 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन है जिनमें ढलाई के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और आगामी दो माह में निर्माण कार्य पूर्ण कराकर हस्तांतरण संभावित है ; ख) 01 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हितीकरण प्रक्रियाधीन है जिसमें शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा ; ग) वर्त्तमान में 19 केन्द्र सरकारी विद्यालय में, 09 केन्द्र सामुदायिक भवन में, 05 केन्द्र अन्य सरकारी भवन में तथा 31 केन्द्र किराया भवन में संचालित कराये जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–73 / 2026 – 588 राँची, दिनांक : 25-02-2026

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–4148 / वि०स०, दिनांक– 17.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.26
(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री शत्रुघ्न महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–22 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री शत्रुघ्न महतो, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 18,000 कृषक मित्र कार्यरत हैं, जो राज्य में कृषि संबंधित योजनाओं का प्रसार करते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। केन्द्र प्रायोजित योजना Support to State Extension programme for Extension Reforms Under Sub- Mission on Agriculture Extension (SMAE) अंतर्गत आत्मा कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कुल 10910 कृषक मित्र कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000/– रू. मात्र दी जाती है, जिसे बढ़ाकर मानदेय निर्धारित करने की माँग लगातार की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में कार्यरत कृषक मित्रों को आकस्मिक व्यय हेतु पूर्व में 1000/– रू0 प्रतिमाह दिया जा रहा था, जिसे विभागीय संकल्प संख्या–2341 दिनांक–09.10.2024 एवं भारत सरकार द्वारा परिपालित आत्मा मार्गदर्शिका, 2025 में किये गये संशोधन के आलोक में दुगुना कर 2000/–रू0 प्रति माह कर दिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में किसान सलाहकारों को सामान्य कार्य के लिए 21000/– रू. प्रतिमाह मानदेय दी जा रही है;	प्राप्त सूचनानुसार किसान सलाहकार बिहार में राज्य योजना मद अन्तर्गत वित्त पोषित है, जबकि झारखण्ड में कृषक मित्र भारत सरकार की योजनान्तर्गत वित्त पोषित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड में कार्यरत कृषक मित्रों को बिहार के समान 21000/– प्रतिमाह मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड में कार्यरत कृषक मित्रों को प्रतिमाह मानदेय देने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(ता0)–31/2025– 537– कृ0, राँची, दिनांक– 24-02-2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–4140 दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

(विजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(ता0)–31/2025– 537 कृ0, राँची, दिनांक– 24-02-2026

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा–09 (कृषि प्रभाग)/मो0 जफर अली, Consultant, PMU, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

सरकार के अवर सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ऊ०–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1) क्या यह बात सही है डालटेनगंज विधान सभा क्षेत्र के मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में खुला तार–पोल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2) क्या यह बात सही है मेदिनीनगर निगम में काफी घनी आबादी के साथ–साथ पलामू प्रमण्डल का मुख्यालय कहोने के चलते खुला विद्युत आपूर्ति से लोगों को बिजली के चपेट में आने से कई दुर्घटनाऐं पूर्व में घटित हो चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बड़े शहरों के तर्ज पर मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में भी अण्डरग्राउण्ड वायरिंग कर विद्युत आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत LT Overhead Line लगभग 300 किलोमीटर, 11 के० वी० लाइन लगभग 100 किलोमीटर एवं 33 के० वी० लाइन लगभग 25 किलोमीटर है। उक्त क्षेत्र में RDSS परियोजना के तहत् लगभग 65 Km LT Overhead Line को AB Cable से बदला गया है, और शेष कार्य इसी कैलेंडर वर्ष 2026 में किये जाने का लक्ष्य है। 11 के० वी० लाइन एवं 33 के० वी० लाइन को UG Cable में बदलने का कार्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के आगामी योजनाओं में स्वीकृति उपरान्त पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 362 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री संजीव सरदार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ऊ०–28 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री संजीव सरदार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जादुगोड़ा स्थित ग्राम स्वाससपुर में केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल का समूह केन्द्र लगभग 165 एकड़ में फैला हुआ है;	पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत जादूगोड़ा स्थित ग्राम स्यारापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का समूह अवस्थित है।
1) क्या यह बात सही है कि उक्त परिसर पर जवानो एवं उनके परिवारों के लिए आवासीय भवन एवं बैरक निर्मित है;	स्वीकारात्मक।
3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 05.06.2023 को ड्यूटी के दौरान एक सी०आर०पी०एफ० जवान की 132 के०वी० हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गयी एवं हाल हीं में निर्माण में जुटे एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गया;	दिनांक 05.06.2023 को सी०आर०पी०एफ० परिसर में हुई दुर्घटना के विषय में सी०आर०पी०एफ० जवान स्व० विक्रम कुमार, बल संख्या–060046381, ग्राम–सुन्दरगढ़, पो०+थाना–बिहारशरीफ, नालन्दा, बिहार का विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु की सूचना सी०आर०पी०एफ० द्वारा दी गई है। इस संबंध में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमिटि का प्रतिवेदन महाप्रबंधक, संचरण प्रक्षेत्र–III, जमशेदपुर के पत्रांक 791 दिनांक 23.05.2024 तथा पत्रांक 1297 दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है। (अनुसूची–I) इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिर्पोट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक की पत्नी श्रीमंती निशा कुमारी को झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या–105 दिनांक 16.01.2015 द्वारा निर्धारित मुआवजा रू० 2,00,000/– (दो लाख) मात्र के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय आदेश संख्या–559 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रदान करते हुए दिनांक 29.11.2024 को भुगतान कर दिया गया है। (अनुसूची–II) हाई टेंशन तार की चपेट में आकर किसी मजदूर के झुलसने एवं प्राथमिकी की सूचना अप्राप्त है।
4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह तथा आस–पास के ग्रामवासियों एवं राहगीरो की सुरक्षा को देखते हुए उक्त 132 के०वी० हाई टेंशन तार को कहीं दूसरे मार्ग में शिफ्ट/परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैम्पस के ऊपर से गुजर रहे 132 KV संचरण लाईन के शिफ्टिंग हेतु उप महाप्रबंधक, संचरण अंचल, जमशेदपुर द्वारा कार्य योजना तैयार कर प्राक्कलन समर्पित किया गया है जिसके आधार पर निगम द्वारा केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के कमाण्डेंट को पत्रांक 560 दिनांक 07.10.2025, पत्रांक 736 दिनांक 12.12.2025 तथा पत्रांक 72 दिनांक 30.01.2026 द्वारा प्राक्कलित राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है (प्रति संलग्न) (अनुसूची–III) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा राशि उपलब्ध कराए जाने के पश्चात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कैम्पस से उक्त संचरण लाईन शिफ्ट किया जाना निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 385 / दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को–अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\WIP\Vihan Sabha (Question & Answer)\6th Session Budget 2026\Answer.docx 29

अनुलग्नक-I

155

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001704)
महाप्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर
132/33 के0वी0 ग्रीड कैम्पस मानगो, पोस्ट- मानगो, जिला- सरायकेला-खरसावाँ, पिन- 832108
ईमेल आई0डी0-gmjsr.jusnl@rediffmail.com

पत्रांक 1217 / सं0प्र0-III, जमशेदपुर, दिनांक 09/09/2024

प्रेषक,

अभि0 शैलेश कुमार चौधरी,
महाप्रबंधक
संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर ।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (मा0सं0प्र0),
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची ।

विषय :- जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 744 दिनांक 19.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में, बल संख्या 060046381 सिपाही स्व0 विक्रम कुमार, ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0 बल, जमशेदपुर का विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु के मामले पर जाँच समिति का प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

अनु0:- यथावत्

विश्वासभाजन

(शैलेश कुमार चौधरी),
महाप्रबंधक
संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर।

6882/Gr.M/(v)
10.9.2024

म.प्र. (सुरक्षा)

आदित्य 09/09/24

प्रशाखा-VI (सु.)
10.9.24

303
09/09/24

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001704)
महाप्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर
132/33 के०वी० ग्रीड कैम्पस मम्हरिया, पोस्ट- मम्हरिया, जिला- सरायकेला-खरसावाँ, पिन-832109
ईमेल आई०डी०-tz3jar_jusnl@rediffmail.com

पत्रांक 781 / सं०प्र०-III, जमशेदपुर, दिनांक 23/05/2024

प्रेषक,

अभि० शैलेश कुमार चौधरी,
महाप्रबंधक
संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर ।

सेवा में,

महाप्रबंधक (मा०सं० एवं प्रशा०),
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची ।

विषय :- स्व० विक्रम कुमार, बल संख्या 060046381 सिपाही/ जीडी जमशेदपुर के विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु उपरान्त मुआवजा भुगतान के संबंध में ।

प्रसंग :- उप महाप्रबंधक (संचरण संचालन), संचरण अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 788 दिनांक 08.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, श्रीमति निशा कुमारी के द्वारा उनके पति स्व० विक्रम कुमार, बल संख्या 060046381 सिपाही/ जीडी जमशेदपुर का दिनांक 04.06.2023 को विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु हो जाने के कारण मुआवाजा हेतु प्रस्तुत आवेदन को उप महाप्रबंधक (संचरण संचालन), संचरण अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 788 दिनांक 08.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है ।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति (अनुलग्नक सहित) इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अनु०:- यथावत्

विश्वासभाजन

23/05/24

(शैलेश कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक
संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर

E:\KASHI\General Section\Letter\Hindi\G.M to Hqr

(154)

उप महाप्रबंधक (मा०सं०प्र०), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक 744 दिनांक 19.07.2024 के आलोक में महाप्रबंधक, संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर के कार्यालय आदेश संख्या 155 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा स्व० विक्रम कुमार बल संख्या 060046381 सिपाही/ जीडी जमशेदपुर का मृत्यु उपरान्त मुआवजा भुगतान हेतु गठित जाँच समिति का प्रतिवेदन :-

---

जाँच समिति के सदस्यों के द्वारा दिनांक 03.09.2024 को बल संख्या 060046381 सिपाही/ जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार का विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु होने के मामले में घटना स्थल के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में स्थित ग्रुप केन्द्र, केरिपु बल, जमशेदपुर के परिसर से झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का 132 kV D/C Jadugoda-Dhalbhumgarh Transmission line गुजर रही है ।

श्रीमति निशा कुमारी पत्नी स्वर्गीय विक्रम कुमार के आवेदन में संलग्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केरिपु बल, जमशेदपुर के कार्यालय आदेश संख्याः आई दस-06/2023-स्था0-04 दिनांक 15 जनवरी 2024 में दुर्घटना से संबंधित निम्न तथ्य उल्लेखित है :-

- पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सेक्टर, के०रि०पु०बल, राँची के बेतार संख्याः- डी०[illegible]-01/2023-झारखण्ड- स्था-4 (डब्ल्यू,इ.डी) दिनांक 19.05.2023 के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, दिनांक 05.06.2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर में साईकिल रैली एवं बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना निश्चित था । तदनुसार कैम्प परिसर स्थित पी०टी० ग्राउण्ड एवं केन्द्र क्लब में उपरोक्त कार्यक्रमों की विधिवत तैयारियाँ करने हेतु टीमें गठित की गई थी एवं प्रत्येक टीम को 02 अलग-अलग भागों में बाँट गया था जिसमें बल संख्याः- 060046381 सिपाही/जीडी स्व० विक्रम कुमार भी शामिल थे ।

- डीओपी/ झण्डा लगाने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी अधीनस्थ अधिकारियों (टीम कमाण्डर) एवं जवानों को ब्रीफ किया गया था कि वे हाई वोल्टेज तार से दूरी बनाकर अपना-अपना कार्य करें ।

- दिनांक 04.06.2023 दिन रविवार को सभी टीमें अपना-अपना कार्य कर रही थी तो उसी क्रम में पी०टी० ग्राउण्ड में झण्डा लगाने के दौरान लगभग संध्या 07:00 बजे बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्व० विक्रम कुमार भूलवश हाई वोल्टेज तार के सम्पर्क में आ गए ।

- सिपाही/जीडी स्व० विक्रम कुमार की स्थिति को देखते हुए उसे तुरन्त प्रशासनिक भवन के सामने खड़े वाहन के मार्फत ग्रुप केन्द्र, जमशेदपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ आकस्मिक ड्यूटी पर उपस्थित सहायक उप निरीक्षक/ फार्मासिस्ट उज्जवल हेमरी द्वारा उनका बी०पी० एवं पल्स का जाँच किया परन्तु बी०पी० एवं पल्स शून्य पाया । स्व० विक्रम कुमार को तुरन्त अन्य कर्मियों की सहायता से एम्बुलेन्स में शिफ्ट किया गया । साथ ही साथ सहायक उप निरीक्षक/ फार्मासिस्ट उज्जवल हेमरी द्वारा स्व० कुमार को "Cardio Pulmonary resuscitation" दिया गया परन्तु उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं पाकर उन्हें तुरन्त एम्बुलेन्स के माध्यम से टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर ले जाया गया, जहाँ ईलाज के दौरान दिनांक 04.06.2023 को ही रात्रि लगभग 07:[illegible] बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया ।

- डॉ० [illegible] माँझी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस०जी०), सीमा सुरक्षा बल (अदालती जाँच के [illegible]) द्वारा स्व० विक्रम कुमार की मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु घोषित किया गया है ।

पृष्ठ 1/2

- उक्त घटना की प्राथमिकी जादूगोड़ा पुलिस थाना द्वारा यू०डी० संख्या- 8/2023 दिनांक 04.06.2023 के तहत दर्ज की गई ।

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, स्वर्गीय सिपाही/ जीडी विक्रम कुमार की मृत्यु दिनांक 04.06.2023 को "Electrocution" के कारण हुई है ।

- कैम्प परिसर के भीतर मौजूद हाई वोल्टेज तार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैम्प से दूर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने हेतु केरिपु बल, जमशेदपुर के द्वारा अनुरोध किया गया है ।

जाँच समिति द्वारा दिनांक 03.09.2024 को दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि सी०आर०पी० ग्राउण्ड जिसमें 132 के०वी० Line Corridor भी शामिल है, में प्रतियोगिता कार्यक्रम किया जाना था । साथ ही देखने से पता चला कि लाईन के नीचे भूमि को समतल करने हेतु लगभग 02 मीटर मिट्टी भरवाया गया है जिसके चलते Ground clearance कम हो गया है । मिट्टी भरकर समतल करने कि सूचना झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के किसी कार्यालय को नहीं दी गई थी और न ही इसकी पूर्व में अनुमति ली गई थी । [illegible] कि नियमानुसार लाईन के नीचे Corridor की चौड़ाई 27 मीटर है एवं उक्त स्थान पर कोई भी कार्य करना [illegible] है । यह जानते हुए कि उक्त स्थान पर Ground clearance कम है वहाँ प्रतियोगिता कराना उचित नहीं था । इससे स्पष्ट है, कि विभाग के किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उक्त दुर्घटना के लिए दोषी प्रतीत नहीं होता है ।

निष्कर्ष :- विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर में आयोजन में व्यस्तता के मद्देनजर लगभग [illegible] बिजली का पोल 20 फीट लम्बा होने एवं मिट्टी भरने से Ground Clearance कम हो जाने के कारण परिसर से गुजरनेवाली 132 kV D/C Jadugoda-Dhalbhumgarh Transmission line between tower Location No. [illegible] के सम्पर्क में आने से बल संख्या 060046381 सिपाही/ जीडी स्व० विक्रम कुमार दुर्घटना का शिकार हो गए और "Electrocution" के कारण दिनांक 04.06.2023 को उनकी मृत्यु हो गई ।

अनुशंसा :- समिति के द्वारा अनुशंसा की जाती है कि स्व० विक्रम कुमार बल संख्या 060046381 सिपाही/ जीडी, ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर के उत्तराधिकारी श्रीमति निशा कुमारी को दुर्घटना मुआवजा भुगतान हेतु निगम के नियमानुसार विचार किया जा सकता है । साथ ही के०रि०पु०बल, जमशेदपुर के परिसर से गुजरनेवाली 132 kV D/C Jadugoda-Dhalbhumgarh Transmission line को Shift करने हेतु भूमि नहीं होने के कारण लाईन की ऊँचाई लगभग [illegible] बढ़ाया जा सकता है, ताकि भविष्य में इस तरह के दुर्घटना की पुनरावृति नहीं हो ।

प्रबंधक (मा०सं०प्र०), सं०प्र०-III, जमशेदपुर	वरीय प्रबंधक (वि०एवंले०), सं०प्र०-III, जमशेदपुर	उप महाप्रबंधक (सं०सं०प्र०), संचरण अंचल, जमशेदपुर	महाप्रबंधक, सं०प्र०-II, जमशेदपुर

अनुसूची-II

(16)

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि०

(CIN: U40108JH2013SGC001704)

निगम कार्यालय: एस०एल०डी०सी०भवन, कुसाई कॉलोनी, डोरण्डा, राँची-८३४००२

कार्यालय आदेश संख्या- 559 दिनांक 04/10/2024

संचिका सं०-V/JUSNL/HQ/विविध-3006/2019

बोर्ड/निगम के कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 एवं कार्यालय आदेश संख्या 105 दिनांक 16.01.2015 के आलोक में स्व० विक्रम कुमार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जमशेदपुर के सिपाही/जीडी (बल संख्या 060046381) के 132/33 के०भी० D/C जादुगोडा-धालभूमगढ़ संचरण लाईन के सम्पर्क में आने से विद्युत स्पर्शाघात से हुए मौत की जाँच एवं मुआवजा स्वीकृति हेतु गठित समिति का पत्रांक 1297 दिनांक 09.09.2024 की बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में मृतक के आश्रित पत्नी श्रीमती निशा कुमारी (आधार संख्या-485569996441) को रू० 2,00,000/- (दो लाख) मात्र भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

1. इस पर प्रबंध निदेशक महोदय, झा०ऊ०सं०नि०लि०, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
2. उक्त स्वीकृत राशि मृतक के पत्नी श्रीमती निशा कुमारी को बोर्ड/निगम के कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 के पारा 06 में दर्ज आवश्यक कागजात समर्पित करने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर के द्वारा मृतक के आश्रित की पहचान सुनिश्चित कर किया जाएगा।

ह./-
(आदित्य कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.प्र.)

ज्ञापांक.................... दिनांक....................

प्रतिलिपि:- श्रीमती निशा कुमारी, पत्नी स्व० विक्रम कुमार, ग्राम: सुन्दरगढ़, पो०+थाना-बिहारशरीफ, नालन्दा, बिहार-803101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(आदित्य कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.प्र.)
दिनांक 04/10/2024

ज्ञापांक 1050

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर/ उप महाप्रबंधक (संचरण संचालन), संचरण अंचल, जमशेदपुर/ वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), संचरण प्रक्षेत्र-III, जमशेदपुर से अनुरोध है कि उक्त राशि के भुगतान की कार्रवाई अपने स्तर से आवश्यकतानुसार बजटीय प्रावधान के तहत् करना सुनिश्चित किया जाय एवं श्रीमती निशा कुमारी के निम्न बैंक विवरणी में भुगतान कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे:-

Account Holder Name:- Smt. Nisha Kumari
S/B Account no.: 42003263374
Bank Name: State Bank of India, IFSC: SBIN0000042, Nai Sarai, Biharsharif

आदित्य कुमार 04/10/24
(आदित्य कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.प्र.)

वरीय प्रबंधक (वि. एवं ले.)

प्रबंधक (वि.एवं ले.)

18/X/24

1.

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

निगम कार्यालय: अभियंत्रण भवन,
एच. ई. सी. धुर्वा, राँची – 834004
(CIN U40100JH2013SGC001603)

कार्यालय आदेश संख्या ...105... दिनांक 16-01-2015

प्रतिलिपि संख्या ... [illegible]

निदेशक पर्षद की Item No. 07-16-03 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या 1537 दिनांक 19.09.2009 एवं कार्यालय आदेश संख्या 542 दिनांक 13.04.2011 को निरस्त करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 में उल्लेखित शर्तों को यथावत रखते हुए दुर्घटना मुआवजा राशि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों के अधीन अनुबन्ध पर कार्यरत प्रशिक्षु सहायक नियंत्रक, प्रशिक्षु सहायक परिचालक, प्रशिक्षु बटन–पट–चालक, प्रशिक्षु मानीय सारणी पुरुष/मानवदिवस कर्मी के लिए में निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

क्रमांक			क्षति का स्वरूप	संशोधित मुआवजा राशि
1.	a)		मृत्यु होने पर	₹2,50,000.00
	b)	i)	दो अंग (Limb) एवं दोनों आँखें या एक अंग (Limb) और एक आँख	₹ 1,00,000.00
		ii)	एक अंग (Limb) या एक आँख	₹ 75,000.00

इसके अतिरिक्त झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के अधीन अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत प्रशिक्षु सहायक नियंत्रक, प्रशिक्षु सहायक परिचालक, प्रशिक्षु बटन पट चालक, प्रशिक्षु मानीय सारणी पुरुष/ मानव दिवस कर्मियों के लिए निम्न प्रावधान लागू रहेंगे:–

(क) अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत प्रशिक्षु कर्मचारियों/ मानव दिवस कर्मियों को काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा का खर्च बोर्ड के नियमानुसार वहन किया जायगा।

(ख) दुर्घटना की तिथि से कार्य करने योग्य होने तक की अवधि को कार्य पर मानते हुए नियमानुसार अनुबन्ध/ मानव दिवस कर्मियों की मजदूरी का भुगतान किया जायगा।

बाहरी व्यक्तियों के विद्युत स्पर्शाघात से दुर्घटनाग्रस्त/ मृत्यु होने पर कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 में निहित शर्तें यथावत रखते हुए दुर्घटना मुआवजा के रूप में निम्न राशि की भुगतान की स्वीकृति दी जाती है:–

क्रमांक			क्षति का स्वरूप	संशोधित मुआवजा राशि
1.	a)		मृत्यु होने पर	₹2,00,000.00
	b)	i)	दो अंग (Limb) एवं दोनों आँखें या एक अंग (Limb) और एक आँख	₹ 75,000.00
		ii)	एक अंग (Limb) या एक आँख	₹50,000.00

ह0/
(राजीव अरूण एक्का)
प्रबंध निदेशक (ज.वि.नि.लि.)

[illegible]

[illegible]

387 / 16

ज्ञापांक............................   दिनांक..................

प्रतिलिपि निदेशक (प्रोजेक्ट एण्ड पी०आर), अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के कोषांग, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची/ तकनीकी सचिव, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ तकनीकी सचिव, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड/ तकनीकी सचिव, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ निदेशक (वित्त), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/ निदेशक (मा०, संसाधन एवं) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड/ निदेशक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/ अभियंता प्रमुख के तकनीकी सचिव/ महाप्रबंधक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निजी सहायक/ सभी संयुक्त सचिव, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/--
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक............................   दिनांक..................

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता/ वित्त नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त/ लेखा/ कार्मिक/ जनसम्पर्क)/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त/ लेखा/ कार्मिक)/ उप विधि परामर्शी/ सभी अवर सचिव/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी सहायक अभियंता/ सभी विधि पदाधिकारी, निगम मुख्यालय, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची एवं अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/--
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक......101..............   दिनांक 16/01/15

प्रतिलिपि महाप्रबंधक, पतरातू ताप विद्युत प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संचरण प्रक्षेत्र/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संचरण अंचल/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ संचरण प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16-1-15
(चन्द्रशेखर आजाद)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

कार्यालय: पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, जमशेदपुर (झारखण्ड)–832111		Office of the: Dy. Inspector General of Police, Group Centre, CRPF Jamshedpur Jharkhand-832111

Telephone No. 0657-2355595 (Control No & Fax No), and E-mail [illegible]@crpf.gov.in

संख्या: आर०देस–06/2023–स्था0–04–ग्रुके जमशेदपुर दिनांक 15 जनवरी 2024.

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15/07/2023 के अनुक्रम में।

2. इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15/07/2023 के तहत इस ग्रुप केन्द्र के बल संख्या 06[illegible]1 सिपाही/जीडी विक्रम कुमार की दिनांक 04/06/2023 को लगभग [illegible] बजे हाई वोल्टेज बिजली के तार के सम्पर्क में आने के कारण टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर में ईलाज के दौरान लगभग 2000 बजे असामयिक मृत्यु हो जाने संबंधित मामले पर अंतिम आदेश पारित किया गया था परन्तु महानिदेशालय, के0रि0पु0बल, नई दिल्ली के पत्र संख्या–[illegible]–01/2023–24–प्रशा–1–डी0ए0–2 दिनांक 15/0[illegible]/2023 के तहत उक्त अदालती जॉच पर कुछ विसंगतियां पाए जाने के फलस्वरूप आपत्ति व्यक्त की गई थी। तदनुसार, महानिदेशालय के0रि0पु0बल, नई दिल्ली के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15/09/2023 के तहत निर्देशित किए अनुसार, उक्त मामले पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11/12/2023 को तहत नवीनतम सिरे से श्री [illegible] कुमार, कमाण्डेंट, 133 बटालियन (इरला – [illegible]) की अध्यक्षता में श्री विक्की पाण्डेय, उप कमाण्डेन्ट ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर (इरला – 79295), बल संख्या–[illegible] उप निरीक्षक/मंत्रालयिक [illegible] कुमार राय एवं [illegible] मंडी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस0जी0) [illegible] की सदस्यता में एक अदालती जॉच पुनः गठित की गयी।

3. जॉच समिति द्वारा उक्त [illegible]/2001 के साथ अतिम स्थापना मैनुअल 1976 दिनांक 11/05/2012 तक संशोधित के अनुच्छेद 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार जॉच पूर्ण कर दिनांक 1[illegible]/01/2024 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसका निष्कर्ष निम्न प्रकार से है–

i) पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सेक्टर, के0रि0पु0बल, राँची के बेतार संख्या–सी0स0–01/2023–झारखण्ड–स्था–I (कल्याण) दिनांक 19/05/2023 के तहत जारी किए गए दिशा–निर्देश के अनुसार, दिनांक 05/06/2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर परिसर में साईकिल रैली एवं बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना निश्चित था।

ii) पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, जमशेदपुर के निर्देशानुसार रेंज कार्यालय, के0रि0पु0बल, जमशेदपुर के श्री विनय कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी (इरला – 58932) को साईकिल रैली एवं ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, जमशेदपुर के श्री विक्की कुमार पाण्डेय, उप कमाण्डेन्ट (प्रशासन) (इरला – 79295) को चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विभिन्न तैयारियाँ सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तदनुसार, श्री विक्की कुमार पाण्डेय, उप कमाण्डेन्ट (प्रशासन) (इरला – 79295) द्वारा इस ग्रुप केन्द्र में उपस्थित सभी अधीनस्थ अधिकारियों को दिनांक 03/06/2023 को ब्रीफिंग हेतु एकत्रित किया गया था। उक्त ब्रीफिंग के दौरान कैम्प में उपस्थित सभी अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों की पूर्ति हेतु जिम्मेदारी दी गई थी ताकि साईकिल रैली एवं बच्चों के लिए आयोजित किए जाने वाली चित्रकला प्रतियोगिता को सफल बनाया जा सके।

iii) गर्मी अधिक होने के कारण दिनांक 04/06/2023 (रविवार) को संध्या 1630 बजे गठित की गई समस्त टीमें अपने–अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रशासनिक भवन के सामने स्थित पी0टी0 ग्राउण्ड एवं मैन्स क्लब में पहुँची तथा पी0टी0 ग्राउण्ड में कैनोपी एवं झण्डा लगाने एवं मैन्स क्लब में प्रशासनिक बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ हुआ।

Scanned with OKEN Scanner

iv) कैनोपी/झण्डा लगाने का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी अधीनस्थ अधिकारियों (कंपनी कमाण्डर) एवं जवानों को ब्रीफ किया गया था कि वे हाई वोल्टेज तार से दूरी बनाकर अपना-अपना कार्य करें।

v) पी०टी० ग्राउण्ड में कार्य करने वाले सभी जवानों को 02 भागों में बाँटा गया था, जिसमें कुछ जवान कैनोपी लगाने एवं अन्य जवान झण्डा लगाने हेतु नियुक्त किए गये थे। तदनुसार सभी जवान अपने दिए गये कार्य को करने में संलिप्त हो गए।

vi) बल संख्या—043046301 सिपाही/जीडी विक्रम कुमार, पी०टी० ग्राउण्ड में झण्डा लगाने के क्रम में सक्रिय ड्यूटी के दौरान लगभग 1900 बजे हाई वोल्टेज तार के सम्पर्क में आने से जमीन पर गिर पड़ा।

vii) जिस स्थान पर सिपाही/जीडी विक्रम कुमार झण्डा लगाने का कार्य कर रहा था, उसके दक्षिण में लगभग 15 फिट की दूरी पर ठीक ऊपर से हाई वोल्टेज का तार गुजरता है जो कार्य करने के दौरान कार्मिक को सम्भवतः मूल्यांकन/अनुमान में नहीं रहा तथा झण्डे का पोल 20 फीट लम्बा होने के कारण हाई वोल्टेज तार के सम्पर्क में आने से कार्मिक दुर्घटना का शिकार हो गया।

viii) कार्मिक की स्थिति को देखते हुए उसे तुरन्त प्रशासनिक भवन के सामने खड़े वाहन के माध्यम से ग्रुप केंद्र जमशेदपुर अस्पताल ले जाया गया।

ix) ग्रुप केन्द्र अस्पताल को आकस्मिक वार्ड में उपस्थित बल संख्या 130350845 सहायक उप निरीक्षक/फार्मासिस्ट उज्जवल हेनरी द्वारा उक्त कार्मिक का बी०पी० एवं पल्स की जाँच किया परन्तु बी०पी० एवं पल्स शून्य पाया। कार्मिक को तुरन्त अन्य कार्मिकों की सहायता से एम्बुलेन्स में शिफ्ट किया गया एवं पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) को फोन के माध्यम से उक्त घटना की जानकारी दी गई। साथ ही साथ सहायक उप निरीक्षक/फार्मासिस्ट उज्जवल हेनरी द्वारा उक्त कार्मिक को "Cardio Pulmonary resuscitation" दिया गया परन्तु कार्मिक के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं होने पर उसे तुरन्त एम्बुलेन्स के माध्यम से टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान दिनांक 04/06/2023 को रात्रि लगभग 2000 बजे कार्मिक की मृत्यु हो गई।

x) उक्त घटना की प्राथमिकी जादूगोड़ा पुलिस थाना द्वारा यू०डी० संख्या—08/2023 दिनांक 04/06/2023 के तहत दर्ज की गई है जिसका अनुसंधान स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

xi) उक्त घटना की प्रारम्भिक सूचना इस कार्यालय के बेतार संख्या—डी०ए०आर०—II/2023—स्था—4 दिनांक 04/06/2023 के तहत पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सेक्टर, के०रि०पु०बल, राँची सहित अन्य उच्च कार्यालयों को प्रेषित की गई।

xii) कार्मिक की मृत्यु की सूचना मोबाईल के माध्यम से उसके परिजनों को दी गई। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त स्वर्गीय कार्मिक के परिजन भी दिनांक 05/06/2023 को ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर में आए।

xiii) दिनांक 05/06/2023 को टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर में शव का पोस्टमार्टम किया गया। तत्पश्चात् स्वर्गीय कार्मिक के पार्थिव शरीर को इस ग्रुप केन्द्र के वाहन द्वारा एस्कोर्ट कर उनके परिजनों के साथ उनके गृहनगर नगर ग्राम – गंभीर, पोस्ट – बदरवाली थाना – चण्डी, तहसील – हिलसा जिला – नालन्दा, राज्य – बिहार, भेजा गया। जहाँ कार्मिक के पार्थिव शरीर को सम्पूर्ण मान-सम्मान के साथ उनके उत्तराधिकारी श्रीमति निशा कुमारी को सुपुर्द कर दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

xiv) बल संख्या 050046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार के परिजनों को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने हेतु रू0 50,000/- त्वरित वित्तीय सहायता के तौर पर दिनांक 06/06/2023 को सुपुर्द किया गया।

xv) बल संख्या 050046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार के पार्थिव शरीर का उनके परिजनों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में बाढ़ (जिला – पटना) के गंगाघाट पर पूर्ण सम्मान के साथ अंत्येष्टि संस्कार दिनांक 06/06/2023 को 1100 बजे सम्पन्न किया गया।

xvi) बल संख्या 050046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार की मृत्यु से सम्बंधित मामले पर दर्ज की गई एफ0आई0आर0 की अंतिम विवेचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पुलिस थाना जादूगोड़ा को ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, जमशेदपुर के पत्र संख्या–डी0ग्यारह–1/2023–डीसी0–(एडम) दिनांक 10/06/2023, 22/06/2023 एवं 05/07/2023 के तहत अनुरोध किया गया है परन्तु पुलिस जाँच रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है।

xvii) ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, जमशेदपुर के पत्र संख्या–डी0ग्यारह–1/2023–दस–4 दिनांक 14/06/2023 के तहत पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सेक्टर, के0रि0पु0बल, राँची सहित अन्य उच्च कार्यालयों को स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार की मृत्यु से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

xviii) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार की मृत्यु दिनांक 04/06/2023 को "Electrocution" के कारण हुई है।

xix) 050046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार को जारी किए गए विभिन्न पहचान पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:

Sl. No.	Nomenclature of Card.	Card No.	Issued for self / dependent
1	Service I/Card	579/1188N/2018	Self
2	PRAN Card	110020105859	Self
3	Health Card	227611	Self
4	Family Health Card	227611	For Family
5	CAPF Ayushman Card.	POKPH1G0E	Self
6	CAPF Ayushman Card.	RZILGAQJC	Sandhya Kumari (Daughter)
7	CAPF Ayushman Card.	P2LZERO4E	Kavya Kumari (Daughter)
8	CAPF Ayushman Card.	PC8Q4DQ4M	Vijay Paswan (Father)
9	CAPF Ayushman Card.	PTHQZ2KH2	Alli Devi (Mother)
10	CAPF Ayushman Card.	PJJCP70NHN	Nisha Kumari (Wife)

xx) कैम्प परिसर के भीतर मौजूद हाई टेंशन तार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैंप से दूर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने हेतु (क) अधीक्षण अभियन्ता, डीवीसी, जमशेदपुर (ख) महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियन्ता, ट्रांसमिशन जोन–3, जमशेदपुर (ग) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची से इस कार्यालय के पत्र संख्या–बीओपीच–01/2017–भवन दिनांक 22/03/2017, 03/04/2017, 22/07/2017, 03/01/2020 तथा 06/06/2023 के तहत पत्राचार किया गया है। परंतु अभी तक इसपर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

10/128

4. गवाहों के बयान व दस्तावेजों के गहनतापूर्वक अध्ययन व विश्लेषण के पश्चात् जाँच समिति द्वारा निम्नलिखित तथ्य दी गयी–

पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सैन्य, केन्द्रिपुलिस, राँची के बेतार संख्या–सीएमजेड–01/2023–झारखण्ड–नया–4 (सबल्यूशनी) दिनांक 19/05/2023 के द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश के अनुसार दिनांक 05/06/2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर परिसर में साईकिल रैली एवं बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना निश्चित था। तदनुसार कैम्प परिसर स्थित पी०टी० ग्राउण्ड एवं मेस बलबुते उपरोक्त कार्यक्रमों की विभिन्न तैयारियाँ करने हेतु टीमें गठित की गई थी एवं प्रत्येक टीम को अलग–अलग कार्य बाँटे गये थे जिसमें बल संख्या–060046381 सिपाही/जीडी विक्रम कुमार को 118 बटालियन, केरिपुबल से ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर में स्थानांतरण पर दिनांक 20/11/2021 (पूर्वाह्न) को रिपोर्ट किया था, भी शामिल थी। कैनोपी/झण्डा लगाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी अधीनस्थ अधिकारियों (टीम कमाण्डर) एवं जवानों को ब्रीफ किया गया था कि वे हाई वोल्टेज तार से दूरी बनाकर अपना–अपना कार्य करें। दिनांक 04/06/2023 (रविवार) को सभी टीमें अपना–अपना कार्य कर रही थी जो उसी क्रम में पी०टी० ग्राउण्ड में झण्डा लगाने के दौरान लगभग 1900 बजे बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी विक्रम कुमार लगभग 15 फीट की दूरी पर ठीक ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार जो कार्य करने के दौरान सम्भवतः कार्मिक के संज्ञान में नहीं रहा, के सम्पर्क में आने से दुर्घटना का शिकार हो गया। कार्मिक को तुरंत ही नजदीकी मौजूद वाहन से ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर अस्पताल ले जाया गया जहाँ आकस्मिक ड्यूटी पर उपस्थित सहायक उप निरीक्षक/फार्मासिस्ट उज्जवल हेनरी द्वारा उसके बीपी एवं पल्स की जाँच की गई परन्तु बीपी एवं पल्स शून्य पाया। कार्मिक को तुरंत अन्य कार्मिकों की सहायता से एम्बुलेन्स में शिफ्ट किया गया। साथ ही साथ सहायक उप निरीक्षक/फार्मासिस्ट उज्जवल हेनरी द्वारा उक्त कार्मिक को "Cardio Pulmonary resuscitation" दिया गया परन्तु कार्मिक के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं पाकर उसे पुनः एम्बुलेंस के माध्यम से टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर ले जाया गया जहाँ ईलाज के दौरान दिनांक 04/06/2023 को ही रात्रि लगभग 2009 बजे कार्मिक को मृत घोषित किया गया। उक्त दुर्घटना सरकारी ड्यूटी (सक्रिय ड्यूटी) का निर्वहन करने के दौरान घटित हुई है जो असामयिक दुर्घटना है तथा अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में आती है जिसमें बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त डॉ० आर०एन० मांझी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजी), ग्रुप केन्द्र (अदालती जाँच के सहयोगी सदस्य) द्वारा उक्त मामले पर अपनी राय प्रकट की है कि ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर के बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी विक्रम कुमार दिनांक 04/06/2023 (रविवार) को ग्रुप केन्द्र जमशेदपुर कैम्प परिसर के पी०टी० ग्राउण्ड में झण्डा लगाने के दौरान लगभग 1900 बजे हाई वोल्टेज तार के सम्पर्क में आने से दुर्घटना का शिकार हो गया जिसकारण ईलाज के दौरान कार्मिक की दिनांक 04/06/2023 को रात्रि लगभग 2009 बजे मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना सरकारी ड्यूटी (सक्रिय ड्यूटी) का निर्वहन करने के दौरान घटित हुई है जो असामयिक दुर्घटना है तथा अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में आती है।

5. जाँच समिति द्वारा विद्यमान नियमों के अनुसार अदालती जाँच पूर्ण की गयी है। अतः मैं, अधोहस्ताक्षरी गवाहों के बयान, सम्बन्धित दस्तावेजों व अदालती जाँच रिपोर्ट के साथ ही साथ सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन व विश्लेषण के पश्चात् जाँच समिति की रिपोर्ट से पूर्ण सहमत होते हुए समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ–

क) बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी विक्रम कुमार दिनांक 04/06/2023 (रविवार) को पी०टी० ग्राउण्ड में झण्डा लगाने के दौरान लगभग 1900 बजे कार्य करने वाले स्थान से लगभग 15 फीट की दूरी पर दक्षिण दिशा में जमीन की सतह के ऊपर मौजूद हाई वोल्टेज तार जो कार्य करने के दौरान सम्भवतः कार्मिक के संज्ञान में नहीं रहा, के सम्पर्क में आने से दुर्घटना का शिकार हो गया जिसकारण ईलाज के दौरान कार्मिक की दिनांक 04/06/2023 को रात्रि लगभग 2009 बजे मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना सरकारी ड्यूटी (सक्रिय ड्यूटी) का

Scanned with OKEN Scanner

निर्वहन करने के दौरान घटित हुई है जो असामयिक दुर्घटना है तथा अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में आती है जिसके लिए न तो स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार और न ही अन्य किसी भी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराया जा सकता है। अतः बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार के उत्तराधिकारी को मिलने वाले सभी देय वित्तीय लाभ नियमानुसार उन्हें भुगतान किए जाएं। डॉ० [illegible] मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसजी), [illegible] (अदालती जाँच के सहयोगी सदस्य) द्वारा भी उक्त कार्मिक की मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु घोषित किया गया है।

ख) असाधारण पारिवारिक पेंशन नियमावली के अनुच्छेद 3 में निहित प्रावधान के अनुसार, बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार की मृत्यु श्रेणी-"सी" (Category-C) में वर्णित शर्तों है क्योंकि कार्मिक की मृत्यु सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करने के दौरान बिजली के सम्पर्क में आने से हुई है। अतः स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार के उत्तराधिकारी को असाधारण पारिवारिक पेंशन Extra Ordinary Family Pension, संक्षेप में (EOFP) प्रदान करने का आदेश पारित किया जाता है।

ग) संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार (प्रशासन समवाय) की मृत्यु सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करने के दौरान बिजली के सम्पर्क में आने से हुई है जो एक दुर्घटना है. अतः पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) महानिदेशालय, केरिपुबल, नई दिल्ली के बेतार संख्या-[illegible]/2022[illegible]-प्रशा-5(डीएपी-2) दिनांक 07/03/2022 के तहत निर्देशित अनुसार, उक्त स्वर्गीय कार्मिक के उत्तराधिकारी को अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) स्वीकृत करने की सिफारिश करता हूँ।

घ) बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार के ईलाज में यदि कोई रकम खर्च हुई हो, तो उक्त राशि का भुगतान निर्धारित प्रणाली द्वारा संबंधित को किया जाय।

ड.) स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र संख्या-579/[illegible]BN/2018 को रद्द कर बट्टे खाते में डाला जाता है।

च) बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार को जारी किए गए स्वास्थ्य कार्ड संख्या-227611 को रद्द किया जाता है।

छ) बल संख्या 060046381 सिपाही/जीडी स्वर्गीय विक्रम कुमार के आश्रितों को जारी किए गए स्वास्थ्य कार्ड संख्या-227611 को रद्द किया जाता है। अतः इसे उनके उत्तराधिकारी से प्राप्त कर बट्टे खाता में डाला जाए।

ज) स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार एवं उनके आश्रितों को जारी किए गए निम्नलिखित सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड को नियमानुसार डिस्पोज किया जाय-

Sl. No.	Nomenclature of Card	Card No.	Issued for self / dependent
1	CAPF Ayushman Card	PDKPH1G0F	Self
2	CAPF Ayushman Card	PZJLGAQJC	Sandhya Kumari Daughter)
3	CAPF Ayushman Card	P2L7PF04F	Kavya Kumari (Daughter)
4	CAPF Ayushman Card	PCPQ4DQ4H	Vijay Paswan (Father)
5	CAPF Ayushman Card	PTHQZ2KH2	Alfi Devi (Mother)
6	CAPF Ayushman Card	PHCP70NHN	Nisha Kumari (Wife)

झ) कार्मिक को जारी प्रान कार्ड संख्या-1100701[illegible]59 को नियमानुसार डिस्पोज किया जाए।

ञ) स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार को जारी किए गए किट सामग्री का वर्गीकरण करने के उपरान्त, यदि कोई रकम वसूल की जानी शेष हो तो, स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार को देय वित्तीय लाभांशो से वसूल कर सरकारी खजाने में जमा की जाए।

ट) स्वर्गीय सिपाही/जीडी विक्रम कुमार का पेंशन एवं अंतिम लाभ, लेखा कटौती का समायोजन करने के उपरान्त उसके वैध उत्तराधिकारी को वापस लौटाया जाए।

ठ) कैम्प परिसर के भीतर हाई वोल्टेज तार को मौजूद रहते हुए इस प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना बनी रहेगी क्योंकि वर्तमान में कैम्प परिसर में विभिन्न प्रकार की कार्य योजना/निर्माण कार्य का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्योहारों/महत्वपूर्ण दिवसों पर कैम्प में साजो-सज्जा का कार्य भी किया जाना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि हाई वोल्टेज तार को कैम्प से दूर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने हेतु (क) अधीक्षण अभियन्ता, डीवीसी, जमशेदपुर (ख) महाप्रबंधक सह मुख्य अभियन्ता, ट्रांसमिशन जोन-3, जमशेदपुर (ग) प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची से इस कार्यालय के पत्र संख्या-बीएफवी-01/2017-केन्द्र, दिनांक 22/03/2017, 03/04/2017, 22/07/2017, 03/01/2020 तथा 06/06/2023 के तहत पत्राचार किया गया है, फिर भी उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्राधिकार के साथ समय-समय पर पत्राचार/सम्पर्क स्थापित करते हुए हाई वोल्टेज तार को कैम्प परिसर से दूर अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कराने की कार्रवाई की जाए।

ड) जब तक हाई वोल्टेज तार को कैम्प परिसर से बाहर नहीं हटाया जाता है तब तक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का कार्य/आयोजन हाई वोल्टेज तार के नजदीक न किया जाए। इस संबंध में समय-समय पर प्रत्येक अधिकारियों/कार्मिकों को ब्रीफ किया जाने के साथ-साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures) जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव कुमार) उप महानिरीक्षक
ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, जमशेदपुर।

संख्या: आई-दस-06/2023-स्था0-04-ग्रुके जमशेदपुर   दिनांक [illegible] जनवरी,2024
(सेलो द्वारा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है-

1) पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सेक्टर, केरिपुबल, रांची (झारखण्ड)।
2) पुलिस उप महानिरीक्षक (परिचालन) महानिदेशालय, केरिपुबल नई दिल्ली।
3) पुलिस उप महानिरीक्षक (कल्याण) महानिदेशालय, केरिपुबल नई दिल्ली।

(संजय कुमार) उप महानिरीक्षक
ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल जमशेदपुर।

आन्तरिक:-

पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), उप कमाण्डेंट (प्रशा0/स्टोर)/क्यूएम/कंपनी कमांडर-(मुख्या0/प्रशा0/भवन)/ पेंशन लिपिक (दोहरी प्रतियों में)/सेवा पुस्तिका लिपिक-2/स्था-6/10/कैशियर/कल्याण निधि व ऋण निधि/वेतन लिपिक-1/2/बलावेश लिपिक-ग्रुप केन्द्र, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

Scanned with OKEN Scanner

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

(CIN No. – U40108JH2013SGC001704)
Regd. Office – JUSNL (SLDC) Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi – 834002
(E-mail –cetjusnl@gmail.com)

Letter No 560 G.M., C&M (NWBP)/ JUSNL
GM(Engg.)/185/2025-26

Dated 7/10/25

From,

Sharat Kumar,
General Manager, C&M (Non WB Project)

To,

The Commandant,
Office of the DIGP,
Group Centre, CRPF
Jamshedpur

e-mail – gccrpfjsr@crpf.gov.in

Sub: **Regarding deposit of fund against the submission of technically sanctioned estimate for Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.).**

Ref:
1) Your letter No. B-5-1/2024-25-G.KJ-Bhawan dated 27.06.2025
2) Letter no. 1241 dated 04.09.2025 of GM, Transmission Zone-III, Jamshedpur

Sir,

With reference to above, please find enclosed details of estimate (item wise) on the basis of detailed engineering and executed work for construction of Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.). The brief details is hereunder :-

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.)	3,92,06,774.00

It is requested to deposit the amount of Rs. 3,92,06,774.00to JUSNL with intimation to the undersigned. Also your GST registration certificate is to be shared for proper GST credit. Following are the details of bank account :-

(1) Payee Name — Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.

P.T.O.

(2)	Account No.	—	490220110000556
(3)	IFSC Code	—	BKID0005896
(4)	Branch name	—	Bank of India, Kusai, Ranchi
(5)	Pan No.	—	AADCJ3112A
(6)	GSTIN No.	—	20AADCJ3112A1ZP

Yours faithfully

General Manager, C&M (non WB Project)

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

Office of the General Manager (Engineering)

ESTIMATE

1.	Province	:	JHARKHAND
2.	Zone	:	Transmission Zone - III, Jamshedpur
3.	Circle	:	Transmission Circle, Jamshedpur
4.	Division	:	Transmission Division, Golmuri
5.	Head	:	Deposit Head (CRPF)
6.	Name of Work	:	Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of Shifting /Route Diversion work (from Tower no.- 14 to Tower no.-19 ,length 2.051 km) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda- Dhalbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda - Dhalbhumgarh Transmission line (from TW- 14 to TW-19, length 2.0km).
7.	Estimated Cost	:	3,92,06,774.00 (Rupees Three Crore Ninety Two Lakhs Six Thousand Seven Hundred Seventy Four) Only including all taxes and duties.

26/09/25
Sr. Manager (Engg.)

26/09/25
Sr. Manager (Engg.)

26/9/25
Sr. Manager (Engg.)

26/09/25
General Manager (Engineering)

26/09
Director (Projects)

Estimate No. - GM/Engg./457/2025-26

Technically sanctioned for Rs. 3,92,06,774.00 (Rupees Three Crore Ninety Two Lakhs Six Thousand Seven Hundred Seventy Four) Only including all taxes and duties.

Managing Director (JUSNL)

SUMMARY OF COST ESTIMATE

Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of Shifting /Route Diversion work (from Tower no.- 14 to Tower no.-19 ,length 2.051 km) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda- Dhalbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda - Dhalbhumgarh Transmission line (from TW- 14 to TW-19, length 2.0km).

Sl. No.	Description		Amount (in Rs.)			
		Schedule	Supply (including all Taxes)	Erection (including all Taxes)	Dismatling (including all Taxes)	Total Amount (in Rs.)
1	Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning 132 kV D/C 3 phase Jadugoda (New) - Dhalbhumgarh Transmission line Tentative Route Diversion TW- 14 TO TW-19 length (2.051km). (Total Nos. of Angle Point -03Nos., Total Nos. of Narrow Tower - 03 Nos. Total Nos. of Tower 06Nos.)	Schedule A	1,70,91,114.54	2,06,59,775.99		3,77,50,890.53
2	Dismantling of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda - Dhalbhumgarh Transmission line Tentative Route Diversion TW- 14 TO TW-19length(2.00km). (Total Nos. of Angle Point -3 Nos., Total Nos. of Suspension Tower - 3Nos. Total Nos. of Tower 06.)	Schedule B			14,55,882.98	14,55,882.98
				Total		3,92,06,773.51
				Say		3,92,06,774.00

Rupees Three Crore Ninety Two Lakhs Six Thousand Seven Hundred Seventy Four Only including all taxes and duties.

Sl. No.	Description	Unit	Qty.	Unit Rate (in Rs.)	Total Supply Amount (in Rs.)	Ref JUSNL SOR 24-25
3	Tower Accessories					
3.1	Supply of following tower accessories					
a)	Danger plate	Nos.	12	450.45	5,405.40	Pg-3, Sr 3.1
b)	Number plate	Nos.	6	450.45	2,702.70	Pg-3, Sr 3.2
c)	Phase plate (set of three)	Sets	12	350.70	4,208.40	Pg-3, Sr 3.3
d)	Circuit Plate (set of two)	Sets	6	350.70	2,104.20	Pg-3, Sr 3.4
e)	Anti-Climbing Device	Nos.	6	10,539.90	63,239.40	Pg-3, Sr 3.6
f)	Bird Guard (set of three)	Sets	6	2,490.60	14,943.60	Pg-3, Sr 3.5
4	**Design, manufacture and Supply of following line materials**					
4.1	INSULATORS & HARDWARE FITTINGS (including Insulator)					
c	Single Suspension (145 kV Silicon composite insulator)	Sets	18	8,505.00	1,53,090.00	Pg-3 & 4, Sr 5.2& 6.3
d	Single Tension (145 kV Silicon composite insulator)	Sets	24	9,091.95	2,18,206.80	Pg-3 & 4, Sr 5.2& 6.4
e	Double Tension (145 kV Silicon composite insulator)	Sets	12	18,477.90	2,21,734.80	Pg-3 & 4, Sr 5.2& 6.5
4.2	**SUPPLY OF ACSR PANTHER CONDUCTOR FOR 3 PHASE DOUBLE CIRCUIT TRANSMISSION LINE (Incd. 3% miscellaneous)**	KM	13	2,53,100.40	32,90,305.20	Pg-3, Sr 4.1
4.3	**OPGW with jointing and termination kit complete as per approved specification (Incd. 3% miscellaneous)**	KMS.	2.11	1,91,297.40	4,03,637.51	Pg-5, Sr 12
4.4	ACCESSORIES FOR CONDUCTOR AND OPGW					
a	Mid Span compression joint for ACSR Panther conductor	Nos.	12	959.70	11,516.40	Pg-3, Sr 7.1
b	Repair sleeve for ACSR Panther conductor	Nos.	2	399.00	798.00	Pg-3, Sr 7.2
c	Flexible copper bond for OPGW	Nos.	9	771.75	6,945.75	Pg-4, Sr 20.2
d	Vibration Damper for ACSR Panther conductor	Nos.	144	994.35	1,43,186.40	Pg-3, Sr 7.3
e	Vibration Damper for OPGW	Nos.	12	416.85	5,002.20	JUSNL SOR 2024-25 Page No 4 Sl.No 20.3
f	Suspension clamp for OPGW	Nos.	6	686.70	4,120.20	JUSNL SOR 2024-25 Page No 4 Sl.No 20.4

Sl. No.	Description	Unit	Qty.	Unit Rate (in Rs.)	Total Supply Amount (in Rs.)	Ref JUSNL SOR 24-25
g	2/3/4 way joint Box (48Fiber) including Coiling bracket ar per requirement for looping /coiling of 30 meter of cable as per technical requirment	Nos.	3	31,683.75	95,051.25	JUSNL SOR 2024-25 Page No 5 Sl.No 21.5
h	Tension clamp for OPGW	Nos.	12	2,742.60	32,911.20	JUSNL SOR 2024-25 Page No 5 Sl.No 20.5
				TOTAL	1,14,62,484.47	
				F&I @ 4%	4,58,499.38	
				Total Rate Incl. F&I	1,19,20,983.84	
				GST @ 18%	21,45,777.09	
				Total Incl. all Taxes	1,40,66,760.94	
				Supervision charges@21.5%	25,63,011.53	
				GST @18% on Supervision Charges	4,61,342.07	
				GRAND TOTAL	1,70,91,114.54	

Manager/TSD/DVM.

Sr. Manager/TD/Golmuri

SCHEDULE-A(Erection)

Schedule of Quantity & Prices for

Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of Shifting /Route Diversion work (from Tower no.- 14 to Tower no.-19 ,length 2.051 km) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda- Dhalbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda - Dhalbhumgarh Transmission line (from TW- 14 to TW-19, length 2.0km).

Sl. No.	Description	Unit	Qty.	Unit Rate (in Rs.)	Total Erection Amount (in Rs.)	REF JUSNL SoR 2024-25
1	2	3	4	5.00	6 (4*5)	7
	Total Nos. of Narrow base Tower	Nos.	3			
	Total Nos. of Angle Tower	Nos.	3			
	Total Nos. of Tower	Nos.	6			
	Length of Transmission Line	Km	2.051			
1.1	Survey					
a)	Detailed complete survey works including preliminary survey, profiling, tower spotting and check survey, submission of survey sheets including soil investigations (Rate per route Km)	RKms	2.051	33,269.25	68,235.23 - -	Survey includes route alignment, detailed survey including profiling & check survey (Rs- 33269.25), Pg 10 Sr-1.1
2	Soil Investigation					
2.1	Detail Soil Investigation					
a)	All kinds of soil except Fissured Rock & Hard Rock	Loc.	4	20,580.00	82,320.00	SOR 24-25 Pg 10, sr 1.2
3	Benching					
a)	All kinds of soil except Fissured Rock & Hard Rock	Cum	888	151.82	1,34,816.16	BCD GOI 2022-23 5.1.1

1	2	3	4	5.00	6 (4*5)	7
b)	Fissured Rock	Cum	444	167.33	74,294.52	BCD GOJ 2022-23 5.1.2
c)	Hard Rock	Cum	2	1,184.30	2,368.60	DSR 2021/2.7.3
4	**Work Associated with Tower Foundations**					
4.1	**Excavation in various types of soils**					
a)	Dry Soil	Cum	550.572	151.82	83,587.90	BCD 22-23, 5.1.1
b)	Wet Soil	Cum	816.978	151.82	1,24,033.66	BCD 22-23, 5.1.1
c)	Dry Fissured Rock	Cum	142.083	167.33	23,774.78	BCD 22-23, 5.1.2
d)	Wet Fissured Rock	Cum	248.646	167.33	41,605.87	BCD 22-23, 5.1.2
e)	Hard Rock	Cum	17.760	1,184.30	21,033.64	DSR 21/2.73
4.2	**Concreting (Including all associated works related to foundation not covered**					
a)	M 20 Nominal Concrete Mix 1:1.5:3	Cum	307.078	5,989.72	18,39,311.24	BCD 22-23, 5.3.2.1
b)	M 10 Nominal Concrete Mix 1:3:6	Cum	55.3	5,153.39	2,84,982.47	BCD 22-23, 5.3.2.3
4.3	**Supply and placement of reinforcement steel (Fe500)**	MT	22.12	80,879.07	17,89,279.58	BCD SOR 2022-23 Page No.119 Sl No.5.5.5 (Including 5% for Carriage)
4.4	**Installation of stub including bolts and nuts**	MT	8.26	17,106.60	1,41,368.94	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr3.1
5	**Erection of various type of towers, tower parts and tower extension (Complete)**					
a)	Narrow base type Towers	MT	32.87	17,106.60	5,62,362.37	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr3.1
b)	Angle Towers	MT	22.05	17,106.60	3,77,251.85	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr3.1
6	**Installation of Earthing of tower**					
a)	Pipe type Earthing	Nos.	6	5,565.00	33,390.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr4.1
7	**Installation of the following tower accessories**					
a)	Danger plate	Nos.	12	115.00	1,380.00	JUSNL SOR 22-23, Pg 11, sr5.1

1	2	3	4	5.00	6 (4*5)	7
b)	Number plate	Nos.	6	115.00	690.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.2
c)	Phase plate (set of three)	Sets.	12	115.00	1,380.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.3
d)	Circuit Plate (set of two)	Sets.	6	115.00	690.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.4
e)	Anti-Climbing Device	Nos.	6	2,205.00	13,230.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.6
f)	Bird Guard (set of three)	Nos.	6	346.50	2,079.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.5
8	**Protection of Tower Footing**					
a)	Random Rubble stone mansonary including excavation (1:5 Cement concrete)	Cum	144	3,058.78	4,40,464.32	BCD 22-23, sr5.2.31 & 5.1.1
b)	Back filling and leveling of volumes enclosed by revetment	Cum	1243.23	128.88	1,60,227.22	BCD 22-23, 5.1.8
c)	M15 Conc Nominal Mix 1:2:4 for top seal cover	Cum	0.75	4,598.00	3,448.50	BCD GOJ 2022-23 5.3.1.2
d)	Providing of retaining wall in tower	per tower	6	8,21,778.93	49,30,673.58	W.O-43/JSR dtd 18/12/2024 of GM TZ-III ,JSR
9	**Installation of insulator strings complete with arcing horns & necessary hardware, installing & stringing of conductor including fixing of conductor accessories, installing & stringing of OPGW including fixing of OPGW accessories**					
9.1	All type of Towers					
a)	132 kV ACSR PANTHER Double Circuit with single Conductor	kms	2.051	2,75,997.15	5,66,070.15	JUSNL SOR 2024-25 Page 11 slno. 6.3 & pg. No 12 SLNo 7.1
b)	Stringing of 24P OPGW Cable complete with all works	Rkm	2.051	99,051.75	2,03,155.14	JUSNL SOR 2024-25 Page No 12 SLNo 7.1
c)	Installation, Testing and Commissioning of complete OPGW and Communication equipments	LS	1	58,014.60	58,014.60	JUSNL SOR 2024-25 Page No 12 SLNo 7.4

1	2	3	4	5.00	6 (4*5)	7
10	Other items					
a)	Right of Way/ PTCC	KM	2.051	6,64,125.00	13,62,120.38	JUSNL SOR 24-25, srT,Pg 13
b)	Forest Clearance	Ha	0.25	15,97,522.50	3,99,380.63	JUSNL SOR 24-25, Pg 13, sr 2(Unit in Hectare)
				Total	1,38,27,020.33	
				GST @ 18%	24,88,863.66	
				Total Incl. GST	1,63,15,883.99	
				Labour Cess @ 1%	1,63,158.84	
				Sub-total	1,64,79,042.83	
				Supervision Charge @21.5% on Sub-total	35,42,994.21	
				GST @18% on Supervision Charge	6,37,738.96	
				Grand Total	2,06,59,775.99	

SCHEDULE-B

Schedule of Quantity & Prices for

Dismantling Work of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda - Dhalbhumgarh Transmission line from TW-14 to TW-19, length-2.0km). (Total Nos. of Angle Point -3 Nos., Total Tower Nos. of Suspension Tower - 3Nos. Total Tower Nos. of 06.)

Sl. No.	Description	Unit	Qty.	Unit Rate (in Rs.)	Total Supply Amount (in Rs.)	Ref JUSNL SOR 24-25
1	2	3	4	5.00	6 (4*5)	7
	Total Nos. of Suspension Tower	Nos.	3			
	Total Nos. of Angle Tower	Nos.	3			
	Total Nos. of Tower	Nos.	6			
	Length of Transmission Line	Km	2			
1.1	Dismantling of Tower of various type of tower & Tower Parts, Tower extension (Complete) excluding bolts & nuts, Step bolts and stubs but including hangers, D-Shackles pack washer etc.					
a)	NORMAL TOWERS					
i.	HT Steel	MT	3.600	10,263.96	36,950.26	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr5.1, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
ii.	Mild Steel	MT	10.800	10,263.96	1,10,850.77	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr5.1, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
b)	Angle Tower					
i.	HT Steel	MT	7.500	10,263.96	76,979.70	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr5.1, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
ii.	Mild Steel	MT	22.500	10,263.96	2,30,939.10	JUSNL SOR 24-25, Pg 10Sr5.1, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
2.	Dismantling of bolts & nuts including step bolts and spring washers					
a)	NORMAL and Angle TOWERS					
i.	Hexagonal bolts and nuts including step bolts	MT	0.500	10,263.96	5,131.98	JUSNL SOR 24-25, Pg 10 Sr5.1, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
3	Tower Accessories			-		
3.1	Dismantling of following tower accessories					
a)	Danger plate	Nos.	6	69.00	414.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.2, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
b)	Number plate	Nos.	6	69.00	414.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.3, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
c)	Phase plate (set of three)	Sets	12	69.00	828.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 11, sr5.4, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
d)	Circuit Plate (set of two)	Sets	6	69.00	414.00	JUSNL SOR 24-25, Pg 10, sr5.6, (Dismantling rate = Erection rate X 60%)
4	Dismantling of insulator strings complete with arcing horns & accessory hardware, installing & stringing of conductor including fixing of conductor accessories, installing & stringing of OPGW including fixing of OPGW accessories					
4.1	All type of Towers					
a)	Dismantling of 132 kV ACSR PANTHER Double Circuit with single Conductor	kms	2.0	1,58,130.00	3,16,260.00	JUSNL SOR 2024-25 Page 12 slno. Cr 6.3
b)	Dismantling of 24F OPGW Cable complete with all works	Kms	2	39,420.70	78,841.40	JUSNL SOR 2024-25 Page No 12 Sl.No 7.3
5	Transportation of Tower accessories / fitting, other equipment, Transmission line materials inclusive ERS through truck /pick up 9MT including loading unloading of the equipment /materials in proper packing (before loading)& unpacking (after loading)	MT	44.400			
	(i) Upto First 50KM	Trip	10	9,973.00	99,730.00	JUSNL SOR 2024-25 Page No 64
				Sub Total Rs.	9,58,143.30	
				GST @ 18%	1,72,465.79	
				Total incl. GST	11,30,609.09	
				Labour Cess @ 1%	11,306.09	
				Gross Total Rs.	11,41,915.07	
				Supervision charge @11.5%	1,35,511.74	
				GST @18 on supervision charge	44,193.11	
				Gross Total Rs including supervision charge	14,13,618.92	
				Gross Total Say Rs including supervision charge	14,13,619.00	

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

(CIN No. – U40108JH2013SGC001704)
Regd. Office – JUSNL (SLDC) Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi – 834002
(E-mail - ceijusnl@gmail.com)

Letter No 736 G.M., C&M (NWBP)/ JUSNL
CM (Engg.)/185/2025-26

Dated 12/12/25

From,

Sharat Kumar,
General Manager, C&M (Non WB Project)

To,

Reminder-1

The Commandant,
Office of the DIGP,
Group Centre, CRPF
Jamshedpur

e-mail – gccrpfjsr@crpf.gov.in

Sub: **Regarding deposit of fund against the submission of technically sanctioned estimate for Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.).**

Ref:
1) Your letter No. B-5-1/2024-25-G.KJ-Bhawan dated 27.06.2025
2) Letter no. 1241 dated 04.09.2025 of GM, Trans. Zone-III, Jamshedpur
3) This office letter no. 560 dated 07.10.2025

Sir,

With reference to above, earlier letter was send with detailed estimate vide this office letter dated 07.10.2025 for construction of Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.), but till date no reply/ fund has been received.

It is again requested to deposit the amount of Rs. 3,92,06,774.00to JUSNL with intimation to the undersigned. Also your GST registration certificate is to be shared for proper GST credit. Following are the details of bank account :-

(1)	Payee Name	—	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.
(2)	Account No.	—	490220110000556
(3)	IFSC Code	—	BKID0005896
(4)	Branch name	—	Bank of India, Kusai, Ranchi
(5)	Pan No.	—	AADCJ3112A
(6)	GSTIN No.	—	20AADCJ3112A1ZP

Yours faithfully

General Manager, C&M (non WB Project)

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

(CIN No. – U40108JH2013SGC001704)
Regd. Office – JUSNL (SLDC) Building, Kusai Colony, Doranda, Ranchi – 834002
(E-mail –cetjusnl@gmail.com)

Letter No 72 G.M., C&M (NWBP)/ JUSNL
GM (Engg.)/185/2025-26

Dated 30/01/26

From,

Sharat Kumar,
General Manager, C&M (Non WB Project)

To,

The Commandant,
Office of the DIGP,
Group Centre, CRPF
Jamshedpur

Reminder-II

e-mail – gccrpfjsr@crpf.gov.in

Sub: **Regarding deposit of fund against the submission of technically sanctioned estimate for Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.).**

Ref:
1) Your letter No. B-5-1/2024-25-G.KJ-Bhawan dated 27.06.2025
2) Letter no. 1241 dated 04.09.2025 of GM, Trans. Zone-III, Jamshedpur
3) This office letter no. 560 dated 07.10.2025
4) This office letter no. 736 dated 12.12.2025

Sir,

With reference to above, earlier letter was send with detailed estimate vide this office letter under reference (3) & (4) for construction of Design, Engineering, Supply, Erection, Testing & Commissioning of shifting/ route diversion work (from Tower no. 14 to Tower No. 19, length 2.051 Km.) of 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dhanbhumgarh Transmission line along with Dismantling of existing 132 kV D/C 3 phase Jadugoda – Dalbhumgarh Transmission line (from TW – 14 to TW-19, length 2.0 Km.), but till date no reply/ fund has been received : -

It is again requested to deposit the amount of Rs. 3,92,06,774.00to JUSNL with intimation to the undersigned. Also your GST registration certificate is to be shared for proper GST credit. Following are the details of bank account : -

(1)	Payee Name	—	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd.
(2)	Account No.	—	490220110000556
(3)	IFSC Code	—	BKID0005896
(4)	Branch name	—	Bank of India, Kusai, Ranchi

P.T.O.

(5) Pan No. — AADCJ3112A

(6) GSTIN No. — 20AADCJ3112A1ZP

Yours faithfully

30/01/26

General Manager, C&M (non WB Project)

श्रीमती मंजू कुमारी, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, गिरिडीह जिला अंतर्गत प्रखंड जमुआ के ग्राम कटरियाटांड में स्थित उसरी वीयर एवं उससे निकली नहर जो 1968–69 में निर्मित है, तथा वर्त्तमान में जर्जर अवस्था में होने के कारण किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, नहर कई जगह क्षति ग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम–कटरियाटांड, दुधनियाँ, चापादाह, तेजपुर, चकमंजो मांगोडीह, खरगडीहा, गांडो, बेलकुंडी एवं देवरी प्रखंड के टिहरो नेकपुरा इत्यादि गांवों के लगभग 15,000 किसानों को समुचित सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में उसरी वीयर योजना के माध्यम से ग्राम–दुधनियाँ, चापादाह, तेजपुर, चक्रमंजो को नहर से सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 175 हेक्टेयर एवं 2025–26 में 190 हेक्टेयर क्षेत्र में पटवन किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है खंड–1 में वर्णित योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के पत्रांक–800 दिनांक 29.11.2022 द्वारा आपके विभाग को समर्पित किया गया है जिसपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों की सिंचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए खंड–1 में वर्णित योजना का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। क्षेत्रीय संतुलन तथा बजट उपलब्धता के आलोक में योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–30/2026– 961 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–4150 वि०स० दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–16 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री जनार्दन पासवान,
स०वि०स०

उत्तरदाता
डॉ० इरफान अंसारी
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के कई धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 अन्तर्गत विभाग की राशि एक करोड़ से अधिक का बकाया है;	स्वीकारात्मक। खरीफ विपणन मौसम 2022–23 में चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के भरही पैक्स का रूपये 8,43,192.50 तथा धोरीघाट पैक्स का रूपये 46,92,101.50 बकाया है। साथ ही, खरीफ विपणन मौसम 2023–24 में चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर पैक्स का रूपये 59,43,798 बकाया है।
(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 के धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर बकाया अथवा गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई, परन्तु वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के बकायेदार अथवा गबन करने वाले पैक्स पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है;	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा प्रतिवेदित है कि खरीफ विपणन मौसम 2022–23 में चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के भरही पैक्स पर प्रतापपुर थाना काण्ड संख्या–11/2024 दर्ज है एवं नीलामपत्र वाद संख्या 05/2024–25 दायर है एवं धोरीघाट पैक्स पर प्रतापपुर थाना काण्ड संख्या–011/2024 दर्ज है एवं नीलाम पत्र वाद संख्या–04/2024–25 दायर है। साथ ही, खरीफ विपणन मौसम 2023–24 में चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड प्रतापपुर पैक्स पर नीलाम पत्र वाद संख्या 01/2024–25 दायर किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में समान आर्थिक अपराध के लिए दण्ड में समरूपता हेतु बकायेदार पैक्सों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–917, दिनांक 24.02.2026 द्वारा बकायेदार लैम्पस/पैक्स पर समानरूप से कार्रवाई हेतु जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, चतरा को निदेश दिया गया है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र०–4/जे०वि०प्र०/वि०स०–29/2026 530 /राँची, दिनांक 24/2/26

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3892/वि०स०, दिनांक 13.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26
सरकार के अवर सचिव।

श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स०, झारखण्ड	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सारठ विधानसभा क्षेत्र के बभनगाँवा में 5000 मेट्रिक टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कोल्ड स्टोरेज चालू होने से सारठ एवं अगल-बगल के प्रखंडों के हजारें किसानों को लाभ होगा;	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड-1 में वर्णित कोल्ड स्टोरेज को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, हाँ,तो कब तक, नहीं तो क्यूँ ?	उक्त कोल्ड स्टोरेज, संचालन एवं प्रबंधन हेतु चयनित एजेंसी को हस्तगत है। MoU सम्पन्न एवं विद्युतीकरण प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट (विधानसभा)-तारांकित-10/2026 सह0 250 /राँची, दिनांक- 24/02/2026

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-4142 वि0स0 दिनांक-17.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री चन्द्रदेव महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–ऊ०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री चन्द्रदेव महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अंतर्गत बिरसिंहपुर पंचायत के हरहरी में प्रस्तावित विद्युत सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति विगत वर्ष में कर दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है उक्त सब स्टेशन का निर्माण न होने से ग्रामीण को वर्षों से विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बिरसिंहपुर पंचायत के हरहरी में निर्माणाधीन 33/11 के०भी० विद्युत क्षमित उपकेन्द्र का असैनिक कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है एवं इलेक्ट्रिकल संरचना का कार्य शेष है। बचे हुए कार्यों का वार्षिक विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026–27 में समाहित कर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 363 / दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

(सौरव कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली विधान सभा क्षेत्र में कोकरो मुख्य नहर के बलुआडीह शाखा नहर जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण के अभाव में पानी नहीं पहुँच पा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि सोनाहातु प्रखण्ड अंतर्गत करमटांड, सोसोडीह, बाँकु, लान्दुपडीह एवं बारेन्दा शाखा नहर एवं वीसी जीर्णोद्धार अवस्था में है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित शाखा नहरों एवं वीसी का जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण का कार्य शीघ्र करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बलुआडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है। बारेन्दा शाखा नहर का लाईनिंग एवं पुनरूद्धार का कार्य संपन्न हो चुका है एवं इसके अंतर्गत संबंधित विसी एवं वितरणी करमटाँड, सोसोडीह, बाँकु, लान्दुपडीह का पुनरूद्धार कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। क्षेत्रीय संतुलन तथा बजट उपलब्धता के आलोक में योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–19/2026– 957 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3879 वि०स० दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोको रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री नरेश प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड के ग्राम राणाडीह से सुंडीपुर तक कोयल नदी के किनारे तटबंध नहीं होने से बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में एवं सड़क पर भर जाता है, जिससे किसानों के फसल क्षति होने के साथ ही उपजाऊ जमीन कट कर नदी में समा जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड के ग्राम राणाडीह से सुंडीपुर तक कोयल नदी के किनारे तटबंध निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गढ़वा जिले के कांडी प्रखण्ड के जिन क्षेत्रों का भूमि का स्तर जल निकाय में दर्ज अधिकतम जल स्तर से नीचे है, उन स्थलों पर बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर उपर होने के कारण जलमग्न हो जाता है। जिसके कारण किसानों के खेतों एवं सड़क पर पानी भर जाता है एवं कटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्नगत स्थल ग्राम राणाडीह से सुण्डीपुर तक विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त वांछित/उपयुक्त योजना तैयार करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–34/2026– 368 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–4253 वि०स० दिनांक–19.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री अनन्त प्रताप देव, मा० सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०– कृष–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त प्रताप देव, मा० सदस्य विधान सभा	उत्तरदाता श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा० मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगर ऊँटारी अनुमण्डल मुख्यालय में दुग्ध शीतल (bulk milk cooler BMC) केन्द्र नहीं होने के कारण यहाँ के पशुपालक नगर ऊँटारी से 50–50 किलोमीटर दूर गढ़वा में एक मात्र दुग्ध शीतल केन्द्र पर निर्भर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नगर ऊँटारी अनुमण्डल क्षेत्र में वर्तमान में BMC केन्द्र स्थापित नहीं है। उक्त क्षेत्र अन्तर्गत भोजपुर गाँव में दुग्ध संग्रहण केन्द्र संचालित है, जहाँ लगभग 104 दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन लगभग 250 लीटर दूध संग्रहित किया जाता है। संग्रहित दुग्ध का शीतलीकरण निकटवर्ती BMC केन्द्र सरवनिया रमना में किया जाता है, जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अनुमण्डल मुख्यालय में दुग्ध शीतल केन्द्र खोलने से यहाँ के पशुपालक लाभान्वित होंगे;	आंशिक स्वीकारात्मक। BMC की स्थापना से क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिल सकता है। परन्तु, वर्तमान में नगर ऊँटारी क्षेत्र में Marketable surplus दुग्ध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान संग्रहण लगभग 250 लीटर प्रतिदिन है। BMC केन्द्र की स्थापना के लिये न्यूनतम लगभग 1000 लीटर प्रतिदिन Marketable surplus दुग्ध की उपलब्धता आवश्यक होती है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में BMC केन्द्र की स्थापना व्यवहारिक नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित जिले के नगर ऊँटारी अनुमण्डल में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दुग्ध शीतल केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 16/2026 ....233..../ राँची, दिनांक 21.02.26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–3888 दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 16/2026 ....233..../ राँची, दिनांक 21.02.26

प्रतिलिपि– अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–171 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के अवर सचिव

श्री सुरेश पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०ं	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुनरीक्षित पुनर्वास नीति–2012 जो विस्तारित कर 2027 तक किया गया है, जिसकी कंडिका 6.2(ख) के अनुसार प्रत्येक विस्थापित को स्वरोजगार हेतु 2,25,000 रूपये दिया जाना है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि विभाग द्वारा लापरवाही के कारण मात्र बीस विस्थापितों को राशि दी गई, बाकी विस्थापितों के साथ अनदेखी किया जा रहा है,	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीतिगत बाकी विस्थापितों को स्वरोजगार की राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 के कंडिका 6.2(ख) के तहत् स्वरोजगार हेतु अहर्त्ता पूर्ण करनेवाले कुल 54 विस्थापितों को रू० 2,25,000 की दर से भुगतान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–तारांकित–16/2026– 959 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3881 वि०स० दिनांक–13.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री नरेश प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है झारखण्ड राज्य के अतिपिछड़ा जिला गढ़वा के कांडी प्रखण्ड के नारायणपुर ग्राम में बरसात के दिनों में सोन नदी के बाढ़ से किसानों का हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात भी सही है कि नारायणपुर गाँव एवं सोन नदी के बीच सरकार द्वारा निर्मित पुल का जमीनी परत काफी ऊँचा हो जाने की वजह से बाढ़ का पानी नदी में नहीं जा पाता है ;	अस्वीकारात्मक। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड अंतर्गत नारायणपुर ग्राम के समीप ग्राम सुण्डीपुर तथा पलामू जिला के हैदरनगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पनसा के बीच उतरी कोयल नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल निर्मित है। इस पुल के पाया अथवा नदी तल पर कोई अवरोध प्रत्यक्ष रूप से बाढ़ के जल के बहाव में रूकावट नही पैदा करता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त वर्णित स्थल पर किसानों को बाढ़ से निजात दिलाने हेतु ठोस कदम उठाने का विचार रखती है, जिससे किसानों का हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने से बचाया जा सके, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में, प्रश्नगत स्थल गढ़वा जिला के कांडी प्रखण्ड में सोन नदी के किनारे सुण्डीपुर से श्रीनगर तक तटबंध निर्माण कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य कराने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए परामर्शी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) के मापदंडों/मार्गदशन के अनुरूप डी०पी०आर० सूत्रण कराने के निमित्त TOR तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को दिया गया है। विहित प्रक्रियानुसार डी०पी०आर० तैयार हो जाने के उपरान्त आगामी वर्षों में क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति, राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) से अनुशंसा के उपरान्त स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग (CWC) को भेजी जाएगी। केन्द्रीय जल आयोग (CWC) से स्वीकृति के पश्चात् निविदा आमंत्रित कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारांकित–33/2026– 371 /राँची, दिनांक 25.02.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–4252 वि०स० दिनांक–19.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री मनोज कुमार यादव, मा०स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चैथी में स्थित "चैथी टाल आहार" स्थानीय किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य साधन है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, इस आहार में गाद (Slit) जमा होने और मेड़ (Embarkment) के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी जल भंडारण क्षमता काफी कम हो गई है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित चैथी टाल आहर की महत्ता को देखते हुए इसका जीर्णोद्धार (Renovation) चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	प्रश्नगत योजना की भूमि की विवरण एवं प्रकृति से संबंधित प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, चौपारण से प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–24/2026 913 / राँची, दिनांक– 25.02.26

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–3982 दिनांक–14.02.2026. के क्रम में 05 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री अनन्त प्रताप देव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2026 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, गढ़वा जिला के केतार प्रखण्ड के पंचायत–परसोडीह अंतर्गत लवदर नाला चेकडैम का निर्माण अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, लवदर नाला चेकडैम का निर्माण होने से केतार प्रखण्ड के दर्जनों गाँव यथा–परसोडीह, ताली, बक्सीपुर, बाँसडीह खुर्द, बाँसडीह कला, धौरा, हुराका, सिहपुर आदि के किसानों को इनके हजारों एकड़ जमीन पर खेती हेतु सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से खण्ड–1 में वर्णित लवदर नाला चेकडैम का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत योजना का स्थल वन भूमि में अवस्थित है तथा चेकडैम निर्माण हेतु दोनों किनारों पर आवश्यक Tagging Point उपलब्ध नहीं है। लवदर नाला पर चेकडैम का निर्माण तकनीकी रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–14/2026...366 / राँची, दिनांक–25.02.26

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–3883 दिनांक–13.02.2026 के क्रम में 05 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम्-(बजट)-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 26.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0 श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0 डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0	कोडरमा जिला अन्तर्गत डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जयनगर अंचल के मौजा सुगासांख के खाता संख्या- 35, प्लॉट संख्या-1111 एवं 1266 गैरमजरूआ खास भूमि पर बराकर नदी के किनारे **Intake Well** का निर्माण कराया जाना है, जहाँ से प्रतिदिन 10,00000 (दस लाख) लीटर जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। **Intake Well** के माध्यम से अब तक जितने भी जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया है वह कही भी सफल नही हुआ है, साथ ही **Intake Well** के आस-पास के क्षेत्र का जलस्तर भी काफी घटता है। अतः व्यापक लोकहित में जयनगर अंचल के मौजा सुगासांख के खाता संख्या-35, प्लॉट संख्या-1111 एवं 1266 गैरमजरूआ खास भूमि पर प्रस्तावित **Intake Well** निर्माण योजना को रद्द करते हुए सीधे	पेयजल एवं स्वच्छता

01.	02.	03.	04.
		तिलैया डैम अथवा पचखेरो डैम से पाईप लाईन के माध्यम से डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत जलापूर्ति करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
02–	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0	जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा 2006–07 में बहुउदेशीय बालपहरी बांध परियोजना के तहत बराकर नदी में तिलैया बांध एवं मैथन बांध परियोजना के बीच धनबाद जिला के टुंडी प्रखण्ड तथा गिरिडीह जिला के गाण्डे प्रखण्ड में लगभग कुल 6000 करोड़ प्रस्तावित लागत से बराकर नदी में बांध निर्माण परियोजना का कार्यान्वयन कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें बराकर नदी का पानी संचय कर बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। जिसका 2012 में CWC द्वारा DPR का प्रारूप तैयार कर DVC को उपलब्ध करा दिया गया था। वर्त्तमान में उक्त परियोजना का DPR जल संसाधन विभाग के पास है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि राज्यहित एवं जनहित में 2006–07 से लंबित बहुउदेशीय बालपहरी बांध परियोजना के तहत बराकर नदी में चयनित स्थल पर बांध का निर्माण कराया जाए।	जल संसाधन
03–	श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	नगर विकास विभाग के द्वारा हटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुटे, आनी, मुड़मा, लाबेद एवं तिरिल में वर्षों से रह रहे विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत् बनकर तैयार आवास आवंटित करने के संबंध में ध्यानाकर्षण की सूचना देता हूँ। हटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुटे, आनी, मुड़मा, लाबेद एवं तिरिल में वर्षों से रह रहे विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना के तहत् लगभग	नगर विकास एवं आवास

क्र0प030

01.	02.	03.	04.
		400 नये आवास का निर्माण कार्य 7-8 वर्ष पूर्व जगरनाथपुर आनी मौजा में पुरी तरह से बनकर तैयार है। जिन विस्थापितों के लिए इस आवास का निर्माण कराया गया है, उसे अभी तक विस्थापितों को आवंटित नहीं किया गया है। वर्त्तमान में इस आवास में राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मी एवं राज्य कर्मी रह रहे है। इस संबंध में यहाँ के विस्थापितों के द्वारा एवं विस्थापित समितियों के द्वारा बार-बार अनुरोध एवं आंदोलन किया गया है, बावजूद इसके अभी तक इन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया है। पूर्व में यहाँ के विस्थापितों के लिए नये आवास आवंटित के अलावा यहाँ के विस्थापितों के लिए सरकारी एवं गैरसरकारी नौकरी में प्राथमिकता, खाली पड़े खेतीहर जमीन के लिए मुआवजा, आवास शिफ्टींग खर्च, विस्थापितों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दुकानदारों के लिए व्यवसायिक सुविधा जैसे अनेकों सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समझौता हुआ था। परन्तु विस्थापितों को ना तो नया आवास आवंटित किया गया है, ना ही एच0ई0सी0 के द्वारा अतिरिक्त अधिगृहित जमीन को यहाँ के विस्थापित रैयतों को वापस किया गया है। जिस कारण यहाँ के विस्थापितों में काफी आक्रोश की भावना बनी हुई है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि यहाँ के विस्थापितों के लिए जो आवास वर्षों से बनकर तैयार है उसे यथाशीघ्र विस्थापितों को आवंटित करने एवं एच0ई0सी0 के अतिरिक्त अधिगृहित जमीन को यहाँ के विस्थापित रैयतों को वापस करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	

01.	02.	03.	04.
04-	श्री अजय प्रताप देव स०वि०स० श्री हेमलाल मुर्मू स०वि०स० श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स०	झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आलोक पर प्रति विधान सभा के प्रखण्डों/पंचायतों में 10-10 चापानल अधिष्ठापन कार्य की योजना विभाग द्वारा संचालित की जाती रही है। अत्यंत खेद का विषय है कि वित्तीय वर्ष-2024-25, वर्ष-2025-26 में गढ़वा जिले के जनप्रतिनिधियों से इस कार्य हेतु कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं की गई और न ही नए चापानल अधिष्ठापित किए गएं इसके परिणामस्वरूप, भीषण गर्मी के मौसम में राज्य के अन्य जिलों सहित गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया और ग्रामीणों को पानी के लिए मीलों दूर भटकना पड़ा। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष- 2026-27 के बजट में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, पूर्व की भाँति जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर 10-10 चापानल अधिष्ठापन कार्य की स्वीकृति देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	पेयजल एवं स्वच्छता
05-	श्रीमती ममता देवी स०वि०स० श्रीमती लुईस मरांण्डी स०वि०स०	रामगढ़ जिला के भैरवी जलाशय के विस्थापित गांव बेयांग, नावाडीह, भालू, बोंगासौरी, होहद, सोठई आदि जो जलाशय के किनारे ऊपरी छोर पर बसे हुए है, आज भी समुचित सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, जिससे किसानों को खेती करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन गाँवों में लिफ्ट इरीगेशन योजना के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आग्रह है कि विस्थापित गाँवों को लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से स्थायी समाधान हेतु 100% सिंचाई सुविधा-	जल संसाधन

कण्डिका-

01.	02.	03.	04.
		उपलब्ध हो इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 26 फरवरी, 2026 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 -01/2026-4473 /वि0स0,राँची,दिनांक- 25.02.26

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2026
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0-01/2026-4473 /वि0स0,राँची,दिनांक- 25.02.26

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/2026
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

25/02/26

सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र

फरवरी, 2026 की कार्य सूची का पूरक।

(खण्ड–01)

दिनांक–26 फरवरी, 2026 ई0।

।

मॉंग संख्याः....01

आय–व्ययक का शीर्षकः **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)**

1–मंत्री, प्रभारी **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगे कि **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 25,34,23,21,000/–(पच्चीस अरब, चौतीस करोड़, तेईस लाख, इक्कीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

2–5– श्री नवीन जयसवाल, श्री नीरा यादव, श्री जयराम कुमार महतो, एवं श्री निर्मल महतो, स०वि०स० प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)** की नीति पर विमर्श करने के लिए।

मॉंग संख्याः....02

आय–व्ययक का शीर्षकः **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)**

6–मंत्री, प्रभारी **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगे कि **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,64,82,94,000/–(छः अरब, चौसठ करोड़, बयासी लाख, चौरानबे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्याः....09

आय–व्ययक का शीर्षकः **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)**

7–मंत्री, प्रभारी **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगे कि **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 9,77,11,26,000 /–(नौ अरब, सतहत्तर करोड़, ग्यारह लाख, छब्बीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ह० रू० ३० –

2 ५

मॉंग संख्या:53

आय–व्ययक का शीर्षक: **कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)**

9– मंत्री, प्रभारी– **कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगे कि **कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान मे जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 2,71,76,78,000/–(दो अरब इकहत्तर करोड़, छिहत्तर लाख, अठहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉंग संख्या:54

आय–व्ययक का शीर्षक: **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)**

9– मंत्री, प्रभारी– **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)** प्रस्ताव करेंगे कि **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(डेयरी प्रभाग)** के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 4,36,58,29,000/–(चार अरब, छत्तीस करोड़, अट्ठावन लाख, उनतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

रॉंची,
26 फरवरी, 2026 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

पाद टिप्पणी:–(1)कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में की जायेगी।

(2)अन्य मॉंगो से संबंधित कटौती प्रस्ताव बाद में भेजे जायेंगे।

ज्ञाप सं0–आय–व्ययक(बजट)–04/2026–4533/वि0स0, रॉंची, दिनांक–25.02.26

प्रति–सभी माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा सचिव/सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–06

पंचम (बजट) सत्र
बुधवार, दिनांक–25 फरवरी, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 04.19 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकालः–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–07)

(क) उत्तरित कुल–05

क्रम सं०–74,	अ०सू०–01	श्री अरूप चटर्जी,	स०वि०स०,
क्रम सं०–76,	अ०सू०–03	श्री चन्द्रदेव महतो,	स०वि०स०
क्रम सं०–77,	अ०सू०–02	श्री हेमलाल मुर्मू,	स०वि०स०,
क्रम सं०–78,	अ०सू०–14	श्री अमित कुमार यादव,	स०वि०स०,
क्रम सं०–79,	अ०सू०–13	श्री उदयशंकर सिंह,	स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र–01

क्रम सं०–75,	अ०सू०–09	श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०।

(ग) अनागत मात्र–01,

क्रम सं०–80,	अ०सू०–04	श्री चन्द्रदेव महतो,	स०वि०स०।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–78)

(क) उत्तरित कुल–05

क्रम सं०–207,	श्री सरयू राय,	स०वि०स०,
क्रम सं०–208,	श्री सुरेश पासवान,	स०वि०स०,
क्रम सं०–209,	श्रीमती ममता देवी,	स०वि०स०,
क्रम सं०–210,	श्री अनन्त प्रताप देव,	स०वि०स०,
क्रम सं०–211,	श्री जिगा सुसारन होरो,	स०वि०स०।

(ख) स्थगित मात्र–01

क्रम सं०–212,	श्री मनोज कुमार यादव,	स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–72, तारां० क्रम संख्या–213 से 284 तक।

2.सूचना का दिया जाना–

माननीय सदस्य, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा जैक की लापरवाही के कारण पाँकी स्थित मजदूर किसान इंटर कॉलेज के 391 छात्रों के परीक्षा से वंचित हो जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया साथ ही इनके यथाशीघ्र परीक्षा लिये जाने का आग्रह किया गया।

3.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री जयराम कुमार महतो,
श्री रौशन लाल चौधरी,
श्रीमती रूबेका सिंह,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री जिगा सुसारन होरो,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्री सुरेश पासवान,
श्रीमती ममता देवी,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री अमित कुमार,
श्री धनंजय सोरेन,
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री निर्मल महतो,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री नागेन्द्र महतो,
डॉ० नीरा यादव,
श्री संजीव सरदार,
श्री सोनाराम सिंकू,
श्री भूषण तिर्की,
श्री हेमलाल मुर्मू,
श्री राज सिन्हा,
श्री मंगल कालिंदी,
श्री अरूप चटर्जी।

4.ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं–

I–माननीय सदस्या, श्रीमती पूर्णिमा साहू, द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

II–माननीय सदस्य, श्री विकास कुमार मुण्डा द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

III–माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

IV–माननीय सदस्य, श्री राजेश कच्छप एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

४-माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ.

५-माननीय सदस्य, श्री अरूप चटर्जी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

5.वित्तीय कार्य:--

अन्तराल के बाद वित्तीय वर्ष–2026–27 के आय–व्ययक पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अनन्त प्रताप देव ने बजट पर वक्तव्य प्रारम्भ किया. इसको उपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया–

श्री राज सिन्हा,

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)

श्री रामेश्वर उरॉव,

श्री सुरेश पासवान,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री सरयू राय,

श्री निर्मल महतो,

श्री जयराम कुमार महतो एवं

श्री चन्द्रदेव महतो।

चर्चा के उपरांत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष–2026–27 के आय–व्ययक पर माननीय मंत्री (वित्त), श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

(सरकार के उत्तर के क्रम में विपक्षी दल के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–26.02.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रॉंची,
दिनांक–25 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।